

टीकस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 1994/अग्रहायण 2, 1916
No. 35] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 1994/AGRAHAYANA 2, 1916

प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1994

संख्या एफ. 304-4/सो.पी.एफ./पार.ई.जी./94—प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) की धारा 23 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते - हुए, प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों को प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (नई तकनीकी संस्थाएँ खोलना, पाठ्यक्रमों या नए कार्यक्रमों को शुरू करना और पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में अनुमोदित प्रवेशार्थियों की जगहों की संख्या में वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 1994 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. प्रयोग्यता :—ये विनियम निम्नलिखित प्रस्तावों पर लागू होंगे,

(क) विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय विभागों और सम विश्व-विद्यालयों सहित नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हेतु परिषद् का अनुमोदन दिया जाना; और साथ ही उन तकनीकी संस्थाओं के लिए जो डिग्री और डिप्लोमा स्तरों पर इन विनियमों के लागू होने की तिथि से कार्य कर रही हैं।

(ख) तकनीकी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के तकनीकी विभागों या

(ग) परिषद् का वर्तमान प्रवेशार्थी संख्या तथा पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की वार्षिक प्रवेशार्थी संख्या में वृद्धि हेतु अनुमोदन दिया जाना।

3. परिभाषाएं :—

इन विनियमों में यदि संदर्भ में अन्यथा प्रपेक्षित न हों :

(क) "अधिनियम" का अर्थ है प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52)

(ख) "न्यूरो प्र. म." का अर्थ है परिषद् का प्रध्यन मंडल न्यूरो;

(ग) "न्यूरो मा. नि. जी. वि." का अर्थ है परिषद् का मानव शक्ति नियोजन और जीवन विकास न्यूरो;

(घ) "न्यूरो मा. प्र." का अर्थ है परिषद् का मान्यता और प्रत्यायन न्यूरो;

(ज) "न्यूरो क्षेत्र. स." का अर्थ है परिषद् का क्षेत्रीय समिति न्यूरो;

(च) "परिषद्" का अर्थ है अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;

(छ) "सम विश्वविद्यालय" का अर्थ है विश्वविद्यालय को छोड़कर उच्च शिक्षा की वह संस्था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 3 के अंतर्गत ऐसा घोषित किया जा चुका है;

(ज) "कार्य" का अर्थ है वह कार्य जिसे इन विनियमों के साथ संलग्न किया गया है;

(झ) "क्षेत्रीय कार्यालय" का अर्थ है वह क्षेत्रीय कार्यालय जो परिषद्

(ज) "विश्वविद्यालय तकनीकी विभाग" का अर्थ है संबंधित विश्वविद्यालय का वह विभाग जो "तकनीकी शिक्षा" पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों का संचालन करता है।

(ट) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है और जो अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) में परिभाषित हैं उनका अर्थ वही रहेगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है;

4. अनुमोदन देने की प्रपेक्षा :

(1) इन विनियमों के प्रारम्भ होने के बाद परिषद् के अनुमोदन के बिना,

(क) कोई भी नई तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय तकनीकी विभाग नहीं खोला जाएगा; या

(ख) कोई भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम सम विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कालेज सहित किसी तकनीकी संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू नहीं किया जाएगा; या

(ग) तकनीकी संस्थाएँ, विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कालेज डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश जारी नहीं रखेंगे;

(घ) अनुमोदित प्रवेशार्थी संख्या में कोई वृद्धि या घटती नहीं किया जाएगा;

(2) अनुमोदन प्राप्ति के लिए आवेदनपत्र निम्नलिखित में से किसी के द्वारा भी उप-विनियम (1) के अंतर्गत किए जा सकेंगे;

(i) सरकारी संस्थाओं, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं, सम विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय विभागों या कालेजों।

(ii) व्यावसायिक कालेजों के बारे में पंजीकृत सोसाटियों/न्यास।

5. आवेदन पत्रों के लिए फार्म :

(1) कोई तकनीकी संस्था खोलने या इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से कार्य कर रही संस्थाओं के अनुमोदन के लिए या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए या पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए हर आवेदनपत्र उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट फार्म में किया जाएगा और उसके साथ मांगे गए दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

(2) (क) तकनीकी संस्था खोलने के लिए आवेदन पत्र फार्म-I में होगा।

(ख) इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से कार्य कर रही डिग्री स्तरीय संस्था के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र फार्म-II में किया जाएगा।

(ग) इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से कार्य कर रही डिप्लोमा स्तरीय संस्था के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र फार्म-III में किया जाएगा।

(घ) डिग्री स्तरीय संस्थाओं में प्रतिरिक्त पाठ्यक्रमों के शुरू करने या प्रवेशार्थियों की जगहों में वृद्धि करने के लिए आवेदन पत्र फार्म-IV में किया जाएगा।

(ङ) डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने या प्रवेशार्थियों की जगहों में वृद्धि करने के लिए आवेदन पत्र फार्म-V में किया जाएगा।

6. अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें :

निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने पर हर आवेदनपत्र पर, विनियम (4) के उप-विनियम (1) के अंतर्गत विचार दिया जाएगा :-

(i) वार्षिक प्रादेशीय विकास को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार आवेदक को विकसित भूमि में निवेश तथा संबंधित प्राध्वारिक संरचना और अनुदेशी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए;

(ii) मूल्यांकित तकनीकी मानव शक्ति मांगों के अनुसार ही पाठ्यक्रम या कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

(iii) परिषद् के विनियमों और निर्देशों के अनुसार अपनी-अपनी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय में प्रवेश किए जाएंगे।

(iv) परिषद् द्वारा निमित्त प्रक्रिया के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार शिक्षा और अन्य शुल्क लिए जाएंगे।

(v) समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार स्टाफ की भर्तों को जाएंगे।

(vi) परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं के लिए शासी निकाय होंगे।

(vii) समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य शर्तें।

7. आवेदन पत्रों का प्रस्तुत करना :

(1) अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदनपत्र, 6 प्रतिरिक्त प्रतियों के साथ और सभी दृष्टि से पूर्ण, 31 दिसम्बर तक परवर्ती शिक्षा वर्ष में प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित संस्थाओं या पाठ्यक्रमों के बारे में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) सरकारी संस्थाओं और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं से अनुमोदन के लिए प्रत्येक प्रार्थनापत्र संबंधित राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय/राज्य मंडल की संरचना-स्वीकृति के साथ क्षेत्रीय समिति व्यूरो को भेजा जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग या सम विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक आवेदनपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) तकनीकी संस्थाएँ जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से कार्य कर रही हैं और साथ-साथ डिग्री या डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी संस्थाएँ स्थापित करने हेतु या पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों और प्रवेशार्थियों की संख्या के अनुमोदन संबंधी प्रत्येक प्रार्थनापत्र पंजीकृत सोसाइटी/न्यास क्षेत्र, म. व्यूरो को भेजेगा और साथ ही संबंधित राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल, जो भी लागू हो, और स्थिति अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजेगा।

8. आवेदनपत्रों की जांच :

(1) क्षेत्रीय व्यूरो हर आवेदनपत्र की प्रारम्भिक जांच करेगा;

(2) यदि क्षेत्रीय समिति व्यूरो किसी कारण आवेदनपत्र को अपूर्ण पाता है तो यह आवेदनपत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर आवेदक को वृद्धियाँ बताते हुए लौटाएगा।

(3) आवेदनपत्र के सभी दृष्टि से पूर्ण पाए जाने पर क्षेत्रीय समिति व्यूरो विनियमों में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार उसे संसाधित करेगा।

9/15

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण

3

[भाग III-खण्ड 4]

(4) उप-विनियम (3) में प्राप्ति वाले आवेदनपत्रों पर डी. ए. यूरो निम्नलिखित से टिप्पणी/सिफारिशें प्रामाणित करेगा :

- (i) संबंधित राज्य सरकार;
- (ii) संवद विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल
- (iii) मा. नि. जो. वि. ब्यूरो;
- (iv) प्र. म. ब्यूरो;
- (v) मा. प्र. ब्यूरो;
- (vi) क्षेत्रीय कार्यालय;

(5) उप-विनियम (2) के तहत परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की यात्रा क्षेत्रीय कार्यालय विनियम 9 के उप-विनियम (2) के तहत व्यवस्थित करेगा और परिषद् के कार्यालय को क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें प्रेषित करेगा। ये सिफारिशें सामान्यतः 2 महीने के भीतर या परिषद् द्वारा स्वीकृत अवधि तक पहुंच जानी चाहिए।

(6) विनियम 9 के उप-विनियम (4) के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति उप-विनियम (4) में उल्लिखित राज्य सरकार या प्रान्तों को सिफारिशों पर विचार करेगी और केन्द्रीय कार्यबल को अपनी सिफारिशें भेजेगी।

(7) विनियम 9 के उप-विनियम (5) के तहत गठित केन्द्रीय कार्यबल राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशें परिषद् के सदस्य-सचिव के पास भेजेगा।

(8) यदि राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या क्षेत्रीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों में कोई मतभेद है तो केन्द्रीय कार्यबल अन्तिम सिफारिश करने से पहले संबंधित अधिकारियों के प्रतिनिधियों को फिर परामर्श के लिए प्रामाणित करेगा।

(9) केन्द्रीय कार्यबल की सिफारिश पर परिषद् आवेदनपत्र में बांछित अनुमोदन देने के प्रश्न पर निर्णय लेगी;

परिषद् यथोचित प्रतिबंधों और संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान कर सकती है और इसके लिए उसे आवेदक को कारण सूचित करने होंगे।

(10) परिषद् का निर्णय राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग को, जैसी भी स्थिति हो, विश्वविद्यालय या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और आवेदक को 30 अप्रैल तक सूचित किया जाएगा बशर्ते कि आवेदनपत्र गत 31 दिसम्बर से पहले किया गया है।

(11) यदि परिषद् ने किसी आवेदनपत्र को प्रस्वीकार कर दिया है तो आवेदक को आवेदनपत्र को प्रस्वीकृत करने के कारण सूचित करने होंगे।

(12) आवेदनपत्र की प्रस्वीकृति आवेदक को नए सिरे से प्रागामां शिक्षा वर्ष में आवेदन देने के लिए बांछित नहीं करेगी।

(13) परिषद्, हर वर्ष, 31 दिसम्बर से पहले अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों विभागों या सम विश्वविद्यालय के नाम, जो तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तथा स्वीकृत जगहों की सूची (वार्षिक प्रवेशार्थी सूची) प्रकाशित करेगी। यह प्रकाशन-कार्य परिषद् प्रत्येक पाठ्य-क्रम या कार्यक्रम के लिए करेगी और संबंधित प्राधिकारियों को इसके उद्घरण भी सूचित करेगी।

(14) उपविनियम (13) के तहत सूची के प्रकाशन के बाद अनु-

किसी भी प्रकार के आवेदनपत्र की समय सारणी में परिवर्तन हेतु परिषद् को उचित और पर्याप्त कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

9. समितियां

(1) इन विनियमों के अन्तर्गत आवेदनपत्र संसाधित करने के लिए परिषद् निम्नलिखित समितियां गठित करेगी:

- (1) विशेषज्ञ समिति
- (2) राज्य स्तरीय समिति
- (3) केन्द्रीय कार्यबल

(2) विशेषज्ञ समिति परिषद् द्वारा क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष को सलाह से गठित की जाएगी और उसमें संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी या उसका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय या संबंधित मंडल का प्रतिनिधि और विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे।

(3) उप-विनियम (2) के होते हुए भी अत्यावश्यक या विशिष्ट परिस्थितियों में आवेदनपत्रों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या श्रेणी पर विचार करने के लिए परिषद् के अध्यक्ष कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकेंगे जिसमें परिषद् का अधिकारी सदस्य-सचिव के रूप में रहेगा।

(4) राज्य स्तरीय समिति में संबंधित क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा को देख रहे संबंधित राज्य सरकार के सचिव और संबंधित राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा के निदेशक, दो कुलपति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक निदेशक, कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग का प्रतिनिधि और शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योग से परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य, सलाहकार (प्र. म.), सलाहकार (मा. नि. जो. वि.), सलाहकार (मा. प्र.), और सलाहकार (क्ष. स.), क्षेत्रीय अधिकारी, प्रमुख एन. टी. एम. आई. एस. परियोजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तकनीकी ब्यूरो के प्रतिनिधि और परिषद् द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य। प्रशिद्ध शिक्षाविद्/उद्योगपति को परिषद् के अध्यक्ष द्वारा राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष नामित किया जाएगा और सलाहकार (क्षेत्र. स.) को परिषद् द्वारा इस समिति का सदस्य-सचिव नामित किया जाएगा।

(5) केन्द्रीय कार्यबल—केन्द्रीय कार्यबल में परिषद् की कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य, एक शैक्षिक योजनाकार/प्रशासक, दो विशेषज्ञ सदस्य और एक न्यायपालिका का सदस्य होगा। केन्द्रीय कार्यबल को अध्यक्षता कार्यकारिणी समिति का सदस्य जिन्हें अध्यक्ष नियमित करे, करेगा और परिषद् का वह सलाहकार केन्द्रीय कार्यबल का सदस्य-सचिव होगा, जिन्हें परिषद् नामित करे। उन्हीं विशेषज्ञ सदस्यों को नामित किया जाएगा जो राज्य स्तरीय समिति के सदस्य न हों।

(6) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी परिषद् किसी भी व्यक्ति या सदस्य को उपर्युक्त समितियों में सहभाजित कर सकती है।

(10.) व्याख्या

(1) इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न है तो उसका निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की शंका के निवारण के लिए स्पष्टीकरण जारी करने का परिषद् को अधिकार प्राप्त होगा।

(11) छूट का अधिकार

(12) अनुमोदन का वापस लेना

यदि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग या सम विश्वविद्यालय या कालेज सहित कोई तकनीकी संस्था इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती है तो परिषद् समुचित जांच-पड़ताल के बाद और संबंधित तकनीकी संस्थाओं को सुनने का मौका देकर इन विनियमों के अधीन दिए गए अपने अनुमोदन को वापस ले सकती है।

रूपया प्रमाणीकरण

से पहले सारणी

और फार्म लाएं।

वाई.एन. चतुर्वेदी, सदस्य-सचिव

सारणी

[देखिए विनियम 8(15)]

अनुमोदनों के लिए आवेदन पत्रों के संसाधन की समय-सारणी और क्रम

क.सं.	आवेदन पत्र के संसाधन का चरण	अंतिम तिथि जब तक कि संसाधन-कार्य पूरा हो जाना चाहिए
1.	क्षे. स. न्यूरो, प्रभातशिप, द्वारा आवेदनपत्र प्राप्त करना।	31 दिसम्बर
2.	क्षे. स. न्यूरो के लिए (क) पूर्ण आवेदनपत्रों को लौटाना, और (ख) प्रस्तावों को जांचना और टिप्पणियों के लिए प्रेषित करना—(i) राज्य सरकार, (ii) विश्वविद्यालय/राज्य मंडल, (iii) प्रभातशिप द्वारा गठित विशेषज्ञ निरीक्षण समिति की क्षेत्रीय अधिकारी (क्षे. प्र.) द्वारा निरीक्षण के लिए यात्राएं व्यवस्थित करना और (iv) परिषद् के न्यूरो मा. नि. जी. वि., प्र. मं., और मा. प्र.।	15 जनवरी
3.	टिप्पणियां प्राप्त करना—(i) राज्य सरकार, (ii) विश्वविद्यालय/राज्य मंडल और (iii) क्षे. स. की सिफारिशों के साथ विशेषज्ञ निरीक्षण समिति को रिपोर्ट, (iv) परिषद् के न्यूरो से।	15 मार्च
4.	राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/राज्य मंडलों, क्षेत्रीय समितियों और परिषद् के न्यूरो से प्राप्त टिप्पणियां राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ।	31 मार्च
5.	केन्द्रीय कार्यबल, प्रभातशिप, द्वारा सिफारिशें देना।	15 अप्रैल
6.	राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग को अंतिम निर्णय सूचित करना और पांच जो क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशक तकनीकी शिक्षा, सोसाइटी/न्यास, विश्वविद्यालय और/या तकनीकी शिक्षा मंडल को भी अवगत कराना।	30 मई

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

फार्म I

[देखिए, विनियम 5(2)(क)]

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मसी, अनुप्रयुक्त कलाओं आदि में डिग्री/डिप्लोमा संस्था स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदनार्थ आवेदन।

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मसी, अनुप्रयुक्त कलाओं आदि में डिग्री/डिप्लोमा संस्थाएं स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हिदायतें।

- (क) निर्धारित फार्म में तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण आवेदन पत्र की सात प्रतियां परिषद् के न्यूरो (प्रार. सी.) को 31 दिसंबर तक प्रवेश प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ख) पूर्ण एवं निर्धारित फार्म में प्रस्तुत न किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगे किंतु जो व्यवस्थित रूप में होंगे उन पर अनुवर्ती शैक्षिक वर्ष में कार्रवाई की जाएगी।

(घ) प्रस्ताव केवल ए-4 आकार में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बड़े आकार वाले प्रलेखों का आकार घटाकर ए-4 कर दिया

(ङ) यदि आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों को गलत पाया जाएगा तो आवेदन पत्र को प्रस्वीकार कर दिया जाएगा।

2. प्रस्तावित संस्था के उपयोगार्थ प्रेषित भू-क्षेत्र होना चाहिए जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार सोसाइटी/न्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजीकृत पट्टानामा होना चाहिए।

3. यदि सोसाइटी/न्यास/प्रस्तावित संस्था के पास प्रेषित भू-क्षेत्र नहीं होगा तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था को मिलकर संस्था और संबंधित राज्य प्राधिकरण के नाम में एक अध्यक्षनिधि सृजित करनी चाहिए जिसकी राजस्व अधिकतम वार्षिक प्रक्षिप्त भावर्तों व्यय के 30 प्रतिशत या राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित राजस्व या रु. 10 लाख (इनमें जो भी अधिक हो)।

5. (क) आवेदन के समय, आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था के पास किसी अनुसूचित बैंक में संस्था के नाम कम से कम 9 महीने से चालू बचत या संचयि जमा खाता (खाते) में परियोजना की कुल अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत पूरा जमा होनी चाहिए।

- (ख) आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था की कुल परिसंपत्तियों का प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के प्रमाणस्वरूप स्वीकार करने के लिए

3. क्या प्रावेदक न्यास/सोसाइटी का राज्य सरकार या प्रखिल भारतीय तकनीकी परिषद् के विरुद्ध कोई प्रदालती केस चल रहा है। यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।

4. शैक्षिक सूचना

4.1 शैक्षिक कार्यक्रम जिन्हें आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवधि (वर्ष)	प्रवेश	प्रारंभ करने का वर्ष	प्रवेश स्तर
इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी	4 या 3	60	1993-94	12+ या 10+
कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी	4 या 3	60	1993-94	12+ या 10+
यांत्रिक इंजीनियरी	4 या 3	60	1993-94	12+ या 10+

टिप्पणी : विभिन्न कालों में दिए गए विषय और संख्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

4.2 कृपया उस पाठ्यचर्चा और पाठ्य विवरण को प्रतियों नत्थो कर जिसका पालन संस्था द्वारा प्रत्येक प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए किया जाएगा। साथ ही, शिक्षण एवं परीक्षा स्कीम भी संलग्न करें।

5.0 क्या प्रस्ताव का समर्थन राज्य सरकार ने किया है?

यदि हां, तो राज्य सरकार के मिफारिजी/अग्रप्रेषण पत्र की प्रति संलग्न करें।

यदि नहीं तो उसके कारण दें (कृपया इस बात का ध्यान रखें कि डी टी ई या किसी अन्य निदेशक का पत्र हो पर्याप्त नहीं होगा)।

6.0 क्या प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से संबद्ध करने के लिए संबंधित निकाय (संबंधित विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा बोर्ड) की रजामंदी/सहमति प्राप्त कर ली गई है?

यदि हां, तो रजामंदी/सहमति पत्र की एक प्रति संलग्न करें।

यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं।

7.0 औचित्य

7.1 क्या उस जिले में जिसमें प्रस्तावित कालेज स्थापित किया जाएगा एक या अधिक संस्थाओं में एक या अधिक प्रस्तावित पाठ्यक्रम पहले से ही चलाए जा रहे हैं?

यदि हां, तो प्रत्येक-प्रत्येक स्वीकृत वार्षिक प्रवेशों सहित संस्थाओं के नामों और चलाए जा रहे पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का उल्लेख करें।

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	जिले में कुल स्वीकृत प्रवेश
कोई भी	यांत्रिक इंजीनियरी	120
	सिविल इंजीनियरी	60

टिप्पणी : विभिन्न कालों में दिए गए विषय और संख्याएं केवल

7.2 गत शैक्षिक वर्ष के दौरान प्रत्येक प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में राज्य के प्रत्येक कुल उपलब्ध सीटों का उल्लेख कीजिए।

पाठ्यक्रम का नाम	राज्य में कुल स्वीकृत प्रवेश
इलेक्ट्रानिक्स संचार, इंजीनियरी :	240
यांत्रिक इंजीनियरी	480

टिप्पणी : कालों में दिए गए विषय और संख्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

7.3 उपर्युक्त 7.1 और 7.2 को ध्यान में रखते हुए प्रक्षिप्त जनशक्ति मांग और औद्योगिक स्थिति तथा स्व-रोजगार की संभावनाओं की तुलना में प्रस्तावित विषयों एवं प्रवेशों को लागू करने के संबंध में विस्तृत विवरण दीजिए।

7.4 प्रस्तावित संस्था के शैक्षिक आधार क्या प्रवेश में यदि, नए पाठ्यक्रम शुरू करना, अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम आदि के विस्तार के लिए वारंवार भावी योजना का उल्लेख कीजिए। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि भावी अनुमोदन यहां दी गई सूचना के आधार पर ही दिए जाएंगे :

प्रस्तावित पाठ्यक्रम	पूर्णकालिक/अंशकालिक/सतत	प्रस्तावित प्रवेश	प्रारंभ करने का प्रस्तावित वर्ष
----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------------

8.1 संस्थान की स्थापना के लिए कम्मागत भू-क्षेत्र (हेक्टेयर में) उल्लेख कीजिए (बांछित भू-क्षेत्र के निर्धारण के लिए कृपया अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के संगत मानक और मानदंड देखें)।

कृपया पंजीकरण प्रलेखों की एक प्रति संलग्न कीजिए।

यह भी बताएं कि क्या भू-क्षेत्र में केवल एक भू-खंड है या अधिक। एक से अधिक भू-खंड हैं तो एक नक्शा प्रस्तुत करें जिसमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल और भू-खंडों की मध्य दूरियां दिखाई गई हों।

बंध स्वामित्व के लिए कृपया हिदायतें देखें।

8.2 कृपया जिले की सड़कों का नक्शा संलग्न करें जिसमें संस्था का प्रस्तावित स्थल दिखाया गया हो।

8.3 क्या भूमि का उपयोग संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है? कृपया सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र की एक प्रति संलग्न करें।

9.0 वित्त

9.1 क्या निकाय निधि/प्रसाय निधि सृजित कर दी गई है और राज्य सरकार के यहां रहन कर दी गई है। यदि हां, तो उसका प्रमाण संलग्न करें।

9.2 प्रस्तावित संस्था की स्थापना के लिए निवेश योग्य उपलब्ध शेष निधियों का ब्योरा दें और उसकी पुष्टि में भद्रयतन बैंक विवरणों, सावधि जमा रसीदों आदि की प्रतियां संलग्न करें। बचनपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.3 कृपया सूचित करें कि अगले 3—4 वर्षों के दौरान भवनों, उपस्करों आदि में निवेशार्थ प्रतिरिक्त निधियां कैसे जुटाई जाएंगी। कृपया अपने विवरण की पुष्टि में प्रमाणित प्रलेख संलग्न करें।

9.4 कृपया निम्नलिखित ढंग से वर्षवार वार्षिक प्रत्यागित भावर्ती व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करें (संस्था के स्थापना वर्ष से संबंधित 1, 2, 3 और 4 वर्ष) :

व्यय की मद	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रत्यागित वार्षिक व्यय			
	1	2	3	4
क. शिक्षण स्टाफ का वेतन भत्ता हितलाभ आदि				
ख. तकनीकी सहायक स्टाफ का वेतन				
ग. गैर-तकनीकी सहायक स्टाफ का वेतन				
घ. प्रशिक्षण लागत				
ङ. उपस्कर और भवनों का प्रभुरक्षण				
च. पुस्तकालय				
छ. विविध प्राकस्मिकताएं				
ज. अन्य				

विस्तृत विवरण के लिए कृपया अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के संबंधित मानक एवं मानदंड देखें।

9.5 कृपया स्पष्ट कीजिए कि 9.4 में उल्लिखित भावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष निधियां किस प्रकार सृजित की जाएंगी।

10.0 आवास-संरचना

10.1 यदि संस्था के स्थायी या अस्थायी आवास के लिए भवन पहले से ही उपलब्ध है/हैं तो निम्नलिखित ढंग से उसका/उनका कुरमी (कर्ममोटर) दीजिए :—

निर्माण का प्रकार	शिक्षण भवन	प्रशासनिक	सुविधाएं	आवासास	निवास	कुल क्षेत्र

(क) मार सी सी

(ख) गैड

कोटो सहित भू-खंड पर भवन का नक्शा (के-प्लान) और प्रत्येक भवन का पक्की नक्शा प्रस्तुत करें।

टिप्पणी : कृपया निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट प्रमाण संलग्न करें :

[भाग III—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र: प्रसाधारण

(क) संस्था के प्रयोजनों के लिए भवन (भवनों का उपयोग)।

(ख) भवन (भवनों) के निर्माणार्थ स्थानीय उपनियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदित नक्शे।

(ग) भवन (भवनों) का समापन/कच्चा प्रमाणपत्र।

(घ) शहरी विकास प्राधिकरण की अनुमति।

10.2 यदि संस्था के लिए स्थायी भवन (भवनों) का निर्माण किया जाना हो तो प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों एवं मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित के लिए निर्माण की वर्षवार योजना प्रस्तुत करें:—

शिक्षणात्मक क्षेत्र (कक्षाएं, अनुशिक्षण कक्षाएं, ड्राइंग हाल, प्रयोगशालाएं, कर्मशालाएं, पुस्तकालय, शिक्षणात्मक संसाधन केंद्र, कम्प्यूटर

केंद्र, परीक्षा भवन आदि); प्रशासनिक क्षेत्र (कार्यालय, स्टाफ कक्ष, सम्मेलन कक्ष, गोपनीय कक्ष, सम्पदा कार्यालय आदि); सुविधाएं (विनोद-कक्ष, खेल-कक्ष, एन सी सी, एन एस एस, कैंटीन, हॉबी केंद्र, प्रौद्योगिक्य आदि); तथा निवासीय क्षेत्र (छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रतिपि गृह)।

संस्था के लिए भू-खंड पर प्रस्तावित भवन (भवनों) का नक्शा (ले-आउट) और प्रत्येक भवन का प्लॉर नक्शा दीजिए:

स्थान का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निर्माण के लिए कुल सी क्षेत्र			
	कक्षाएं प्रारंभ करने से पूर्व की अवधि	संस्था का प्रथम वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष
कक्षा कक्ष				
अनुशिक्षण कक्ष				
ड्राइंग हाल				
प्रयोगशालाएं				
कर्मशालाएं				

यहां जो स्थानों आदि के नाम दिए गए हैं वे केवल उदाहरण के लिए हैं। अधिक विवरण के लिये, कृपया प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विषय संबंधी मानक एवं मानदंड देखें।

10.3 कृपया 10.2 में उल्लिखित भवनों के निर्माण-व्यय का वर्षवार प्राक्कलन दीजिए:—

स्थान का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रतिरिक्त निर्माण का व्यय			
	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि से पहले की अवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि होने का दूसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि होने का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का चौथा वर्ष
कक्षा कक्ष				
अनुशिक्षण कक्ष				
ड्राइंग हाल				
प्रयोगशालाएं				
कर्मशालाएं				

यहां जो स्थानों आदि के नाम दिए गए हैं वे केवल उदाहरण के लिए हैं। अधिक विवरण के लिए, कृपया प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के

10.4 प्रयोगशालाएं

विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना (अर्थात् उपस्कर प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल किया जाना) की वर्षवार कार्य योजना दीजिए। साथ ही, उपस्करों, उपकरणों, जुड़नार और फिटिंग, फर्नीचर आदि प्राप्त करने की अनुमानित लागत भी दीजिए।

प्रयोगशाला का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए व्यय				
	कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले की अवधि	संस्था का पहला वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष	संस्था का चौथा वर्ष
भौतिकी					
रसायन					
धनप्रयुक्त यांत्रिकी					

विस्तृत विवरण के लिए, रूपरामानक एवं मानदंड तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या देखिए।

10.5 कर्मशालाएं

रूपरामानक विभिन्न कर्मशालाओं की स्थापना की वर्षवार कार्ययोजना दीजिए। साथ ही, उपस्करों, मशीनों, फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग आदि प्राप्त करने की अनुमानित लागत भी दीजिए।

कार्यशाला का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न कर्मशालाओं की स्थापना के लिए व्यय				
	कक्षाएं प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि	संस्था का पहला वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष	संस्था का चौथा वर्ष
बढ़ईगरी					
फिटिंग					
ब्लॉक					
वेल्डिंग					

विस्तृत विवरण के लिए रूपरामानक एवं मानदंड तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या देखें।

10.6 अभिकलन सुविधाएं

कम्प्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मदों, फर्नीचर, फिटिंग तथा जुड़नार आदि प्राप्त करने की वर्षवार कार्ययोजना दीजिए। साथ ही, उनकी अनुमानित लागत भी दीजिए।

सुविधाएं

निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न अभिकलन सुविधाएं स्थापित करने के लिए व्यय

कदाएं शुरू होने से संस्था का पहला वर्ष संस्था का दूसरा वर्ष संस्था का तीसरा वर्ष संस्था का चौथा वर्ष
पूर्व अवधि

कम्प्यूटर केंद्र

कम्प्यूटर

प्रयोगशाला

आफिस

प्रयोगशाला

अधिक विवरण के लिए कृपया मानक एवं मानव संसाधन तथा कार्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यवर्षा देखें।

10.7 पुस्तकालय

कृपया पुस्तकों के प्रारंभिक स्टॉक, वार्षिक पुस्तक (पाठ्य-पुस्तकें, संदर्भ-ग्रंथ, विश्वकोश आदि) वृद्धियां, पत्रिकाओं (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय), फर्नीचर, जुड़नार तथा फिटिंग आदि की अधिप्राप्ति के लिए वर्षवार कार्य योजना दीजिए और साथ ही उनकी अनुमानित लागत भी दीजिए।

मद

निम्नलिखित वर्षों के दौरान पुस्तकालय की पुस्तकों/पत्रिकाओं की अधिप्राप्ति के लिए व्यय

कदाएं आरंभ होने से संस्था का पहला वर्ष संस्था का दूसरा वर्ष संस्था का तीसरा वर्ष संस्था का चौथा वर्ष
पूर्व की अवधि

पाठ्यपुस्तकें

संदर्भ पुस्तकें

पत्रिकाएं

10.8 शिक्षण संकाय

कृपया शिक्षण संकाय (प्रिंसिपल, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ लेक्चरर, लेक्चरर) की भर्ती के लिए कार्य योजना दीजिए।

संकाय काडर	संख्या पहले से उपलब्ध	संकाय का प्रकार (प्रशासनिक/ पूर्णकालिक/ अध्यागत)	निम्नलिखित वर्षों के दौरान भर्ती किए जाने वालों की संख्या				
			कक्षाएं प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि	संस्था का पहला वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष	संस्था का चौथा वर्ष
प्रिंसिपल							
प्रोफेसर							
सहायक प्रोफेसर							
विभागाध्यक्ष							
वरिष्ठ लेक्चरर							
लेक्चरर							

कृपया स्टाफ के प्रत्येक वर्ग की संख्या भी दें, यदि पहले से उपलब्ध हो।

10.9 कर्मशाला स्टाफ :

कृपया कर्मशाला स्टाफ (कर्मशाला अधीक्षक, फोरमैन, इन्स्ट्रक्टर, कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर/सहायक इन्स्ट्रक्टर, प्रयोगशाला तकनीशियन/सहायक,

कुशल सहायक आदि) की भर्ती के लिए वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की। कृपया स्टाफ के प्रत्येक वर्ग की संख्या भी दीजिए, यदि पहले से उपलब्ध हो।

संकाय काडर	संख्या पहले से उपलब्ध	संकाय का प्रकार (प्रशासनिक/ पूर्णकालिक/ अध्यागत)	निम्नलिखित वर्षों के दौरान भर्ती किए जाने वालों की संख्या				
			कक्षाएं प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि	संस्था का पहला वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष	संस्था का चौथा वर्ष
कर्मशाला अधीक्षक							
फोरमैन							
इन्स्ट्रक्टर							
कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर							

2. 4] [भाग III—खण्ड 4]

10.10 पुस्तकालय, आई आई तथा कम्प्यूटर स्टाफ :

पुस्तकालय, आई आई तथा जोर कम्प्यूटर स्टाफ (पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, सिस्टम मैनेजर, सिस्टम

विश्लेषक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रचालक आदि) की भर्ती के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। कृपया, स्टाफ के प्रत्येक वर्ग की संख्या भी दी जाए, यदि पहले से उपलब्ध हो।

संकाय काडर	सं. पहले से उपलब्ध	संकाय का प्रकार (प्रशासनिक/ पूर्णकालिक/ अध्यागत)	निम्नलिखित वर्षों के दौरान भर्ती किए जाने वालों की संख्या			
			कक्षाएं प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि	संस्था का पहला वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष
पुस्तकालयाध्यक्ष						
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष						
सिस्टम मैनेजर						
सिस्टम विश्लेषक						
कम्प्यूटर प्रोग्रामर						

विस्तृत विवरण के लिए, अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के संबंधित मानक एवं मानदंड देखें।

10.11 तकनीकी सहायक एवं प्रशासनिक स्टाफ :

कृपया प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी, लेखाकार, भाषातिथि धनुरक्षण इंजीनियर, डाप्टसमैन, कर्मशाला परिचर, पुस्तकालय परिचर आदि जैसे स्टाफ की भर्ती के लिए वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। स्टाफ के प्रत्येक वर्ग की संख्या भी दी जाए, यदि पहले से उपलब्ध हो।

संकाय काडर	संख्या पहले से उपलब्ध	संकाय का प्रकार (प्रशासनिक/ पूर्णकालिक/ अध्यागत)	निम्नलिखित वर्षों के दौरान भर्ती किए जाने वालों की संख्या			
			कक्षाएं प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि	संस्था का पहला वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष
प्रशासनिक अधिकारी						
वित्त अधिकारी						
लेखाकार						

10. 12 विभिन्न प्रयोगशालाओं/कर्मशालाओं में उपलब्ध कराए जाने वाले वर्षवार मूल्य उपस्करों (प्रति यूनिट रु. 5000/- या अधिक लागत वाले) की सूची तथा निम्नलिखित फार्मेट में संक्षिप्त विनिर्दिष्टियाँ :

प्रयोगशाला/कर्मशाला	उपस्कर का नाम	संक्षिप्त विनिर्दिष्टियाँ	उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा			
			I वर्ष	II वर्ष	III वर्ष	IV वर्ष

11. कृपया बताएं कि क्या पीने के पानी की सप्लाई नगरपालिका द्वारा नियमित रूप से की जाती है और प्रयोगशालाओं/कर्मशालाओं आदि के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध है; यदि नहीं तो यह बताएं कि पानी की नियमित पूर्ति के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी ?

12. कृपया बताएं कि क्या चिक्की की नियमित सप्लाई उपलब्ध होगी। इसकी दृष्टि में प्रलेख संलग्न करें।

कामचंदी/घरायियों (ब्रेकडाउन) के दौरान क्या आपाती व्यवस्था की जाएगी ?

13. यदि संस्था नगरपालिका सीमाओं के अंदरूनी स्थित नहीं है तो यह बताएं कि शहर से संस्था तक जाने-आने के लिए परिवहन की क्या व्यवस्था की जाएगी ?

14. अधिसंघ संस्थाओं में संकाय की कमियां पाई गई हैं और प्रध-शहरी तथा गैर-शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में ये कमियां और भी अधिक होंगी।

यह भी देखा गया है कि कुछ विषयों के लिए विभिन्न कारणों से सीमित संकाय उपलब्ध है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, संकाय संसाधन आधार बताएं, यदि उपलब्ध हो और यह भी सूचित करें कि प्रावेदन प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए किस व्यक्ति को संकाय के लिए प्रस्तावित करना चाहता है।

15. यह देखा गया है कि सभी आवेदकों के पास इतने विनोद नहीं होते कि वे किसी तकनीकी संस्था की स्थापना समन्वय बंग तथा उचित प्रक्रिया (भौतिक एवं शैक्षिक रूप से) के अनुसार कर सकें। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि एक बरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति को मुख्य परामर्शदाता रखा जाए जिसकी सहायता के लिए विषय के विशेषज्ञ हों ताकि प्रस्तावित संस्था की स्थापना करने में प्रबंधकत्व की सहायता और सलाह दी जा सके। यतः यह भी आवश्यक हो गया है कि परामर्शदाता और विज्ञान-विशेषज्ञों का पता लगाया जाए और उनके साथ कम से कम पहले चार वर्षों के लिए एक करार निष्पादित किया जाए जिसके दौरान संस्था की स्थापना की जाएगी।

उपर्युक्त की दृष्टि से कृपया परामर्शदाताओं और विज्ञान-विशेषज्ञों के नाम और उनकी योग्यताएं तथा पृष्ठभूमि दें। इसके प्रतिरिक्त परामर्शदाता और विषय विशेषज्ञ के साथ हस्ताक्षर किए गए करार पत्रों की प्रतियां भी संलग्न करें।

16. तकनीकी शिक्षा में प्रभाविकता लाने और छात्रों तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करने हेतु तथा उद्योग के बरिष्ठ कामियों द्वारा चुनिंदा व्याख्यान और सलाह दिलवाने के लिए यह आवश्यक है कि संस्था के पासपास संगत उद्योगों के साथ समर्पक स्थापित किया जाए।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कृपया उन उद्योगों के नाम और उनकी अवस्थिति दें जिनके साथ समर्पक स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, उनके सहमति-पत्र भी संलग्न करें।

17. कृपया अपने बैंकों के नाम दें। साथ ही, प्रस्तावित संस्था के लिए उन बैंकों में खोले गए विभिन्न खातों के नम्बर भी दें।

18. कृपया उन सेवापरीक्षकों के नाम और पते दें जिन्हें प्रस्तावित संस्था के लिए नियुक्त किया गया है या नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है।

19. कृपया व्यापिकेतर स्थान कागज पर एक बचनबंध संलग्न करें जो संलग्न फार्मेट के अनुसार उप-पंजीयक या किसी समकक्ष सक्षम प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत हो (सरकार/बिधिविधायक पर लागू नहीं है)।

संस्थाओं/प्रबंध व्याप्ति/सोसाइटी/व्यास के अध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर

प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

फार्म II

[देखिए, विनियम 5(2)(ख)]

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मसी, अनुप्रयुक्त कलाओं आदि में प्रतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) और/या प्रतिरिक्त प्रवेश (प्रवेशों) के बिना प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन चाहने वाली वर्तमान डिग्री संस्था (संस्थाओं) के लिए प्रावेदन

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मसी, अनुप्रयुक्त कलाओं आदि में प्रतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) और/या प्रतिरिक्त प्रवेश (प्रवेशों) के बिना प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अनुमोदन चाहने वाली वर्तमान डिग्री संस्था (संस्थाओं) के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु हिदायतें।

1. (क) निर्धारित फार्म में तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण आवेदन-पत्र कीसत प्रतियां परिषद के क्यूरो(भार.सो.) को 31 दिसम्बर तक प्रवरण प्रस्तुत की जानी चाहिये।

(ख) धूपूर्ण एवं निर्धारित फार्म में प्रस्तुत न किये गये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगे किन्तु जो व्यवस्थित रूप में हों उन पर अनुवर्ती वार्षिक वर्ष में कार्रवाई की जायेगी।

(घ) प्रस्ताव केवल ए-4 आकार में प्रस्तुत किये जाने चाहिये। बड़े आकार वाले प्रलेखों का आकार घटाकर ए-4 कर दिया जाना चाहिये।

(ङ) यदि आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों को गलत पाया जायेगा तो आवेदनपत्र को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

2. (क) प्रस्तावित संस्था के उपयोगार्थं अर्पणित भू-क्षेत्र होना चाहिये जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार सोसाइटी/न्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजीकृत पट्टानामा होना चाहिये।

(ख) यदि सोसाइटी/न्यास/प्रस्तावित संस्था के पास अर्पणित भू-क्षेत्र नहीं होगा तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था को मिलकर संस्था और संबंधित राज्य प्राधिकरण के नाम में एक अर्पणनवि सुनिश्चित करना चाहिये जिसकी राशि अधिकतम वार्षिक प्रक्षिप्त भावर्ती व्यय के 30 प्रतिशत या राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित राशि या रु. 10 लाख (इनमें जो भी अधिक हो) हो।

4. (क) आवेदन के समय, आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्थान के पास किसी अनुसूचित बैंक में संस्था के नाम कम से कम 9 महीने से चालू बचत या सावधि जमा खाता (खाते) में परिपोजना को कुल अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत राशि जमा होनी चाहिये।

(ख) आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था की कुल परिष्मत्तियों को प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के प्रमाणस्वरूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ग) बचन-पत्रों को प्रस्तावित संस्था की स्थापना के लिये उपनगर राशि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

5. विशेषतः दूरवर्ती क्षेत्रों में यदि कोई संस्था स्थापित की जाती है तो इसके संबंध में स्वाभाविक कठिनाइयां होती हैं कि वहां शिक्षण संकाय और तकनीकी सहायक स्टाफ जाने को तैयार नहीं होता। इसलिये, आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्थान को यह विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि संस्था के लिये स्टाफ उपलब्ध है और उसकी व्यवस्था की जा सकती है।

संलग्न किये जाने वाले प्रलेखों की सूची

आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निम्नलिखित प्रलेख संलग्न किये जा रहे हैं:

(क) सोसाइटी/न्यास आदि के पंजीकरण प्रलेख की एक प्रति। उसके साथ सोसाइटी/न्यास आदि के गठन की प्रति भी संलग्न करें।

(ख) संस्था खोलने के लिये प्रति बैठक संगत सरकारी प्रादेशों की एक प्रति।

(ग) संस्थान/वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के संबंधन की प्रति

(ङ) निम्नलिखित दस्तावेजों के स्पष्ट प्रमाण में संशय प्राधिकारियों के पक्ष:

(1) नक्शे की एक प्रति जिसमें भू-खंड पर वर्तमान तथा प्रस्तावित भवन (भवनों) का नक्शा (ले-आउट) दिखाया गया हो और फोटो सहित प्रत्येक भवन का प्लोर नक्शा।

(2) संस्था के भवन निर्माण के लिये स्थानीय उपाययमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे।

(3) भवनों का समापन/कच्चा प्रमाणपत्र।

(4) शहरी भूमि विकास प्राधिकरण की अनुमति।

(च) भूमि पंजीकरण कागज़ों/पंजीकृत पट्टानामा की एक प्रति (जो लागू हो)।

(छ) संशम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाणपत्र की एक प्रति जिसमें संस्था के प्रयोजनों के लिये उपयोग करने की अनुमति दी गई हो।

(ज) आवेदक के अधिशासी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि भूमि और सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य संस्था/गतिविधि के लिये नहीं किया जा रहा है।

(झ) एक रेखाचित्र जिसमें प्रत्येक भू-खंड का क्षेत्र दिखाया गया हो और भू-खंडों की मध्य दूरियां दी गई हों, यदि भूमि क्षेत्र में एक से अधिक भू-खंड शामिल हों।

(ञ) शहर की सड़कों के नक्शे की एक प्रति जिसमें संस्था की अवस्थिति दिखाई गई हो।

(ट) निकाय निधि/अक्षय निधि सावधि जमा रसीदों की फोटो प्रतियां।

(ठ) शेष निधियों की उपलब्धता के संबंध में अद्यतन बैंक विवरणों, सावधि जमा रसीदों आदि की फोटो प्रतियां।

(ड) संस्थान के पिछले तीन वर्षों के आय/व्यय के विधिवत् परीक्षित विवरणों, तुलनपत्र और लेखापरीक्षित रिपोर्टों की फोटो प्रतियां।

(ढ) अतिरिक्त निधियां जुटाये जाने की पुष्टि में अधिप्रमाणित प्रलेख।

(ण) भवन (भवनों) के निर्माण के लिये स्थानीय उपाययमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित भवन (भवनों) के अनुमोदित प्लोर नक्शे (अर्थात् सिविल ड्राइंग)।

(त) अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिये दावे की पुष्टि में अधिप्रमाणित प्रलेख।

(थ) वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिये संबंधित दावे के समर्पण में अधिप्रमाणित प्रलेख।

करने के लिये एक वचनबद्ध जो संलग्न फार्मेट के अनुसार उप-पंजीयक या अन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां विधिवत् पंजीकृत हो।

(घ) संस्थान के प्रबंध के लिये जिम्मेदार निकाय/परिषद्/समिति की गत तीन बैठकों का कार्यवृत्त।

प्रनुबंध-I

न्यायिकेतर स्टांप कागज पर वचनबद्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो उप-पंजीयक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो।

मै/हम (कालेज/संस्था/मंडल/न्यास/सोसाइटी आदि के न्यासी/अध्यक्ष/प्रिंसिपल/निदेशक का नाम) एतद्द्वारा वचन देता हूँ/दिते हैं कि मै/हम—सत्र से (पाठ्यक्रम/कालेज का नाम) प्रारंभ कर/स्थापित करने/सीटों की प्रवेश क्षमता से संबंधित अपने प्रावेदन (पत्र) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे:

1. प्रबंधकवर्ग (इसमें संस्थान/कालेज का शासी निकाय भी शामिल है) का गठन तथा निकाय/परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति परिषद् मार्गनिर्देशों के अनुसार की जायेगी (प्रनुबंध-II)।

2. प्रबंधकवर्ग प्रावर्ती व्यय को पूरा करने के लिये परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानकों एवं मानदंडों के अनुसार विकसित भूमि में निवेश करने संबंधित आधार-संरचनात्मक, शिक्षणात्मक एवं अन्य सुविधाएं, प्रदान करने के लिये निधियां उपलब्ध कराएगा।

3. पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों का संचालन तकनीकी कामकों की निर्धारित मांगों के अनुसार किया जायेगा।

4. (क) दाखिले संबंधित तकनीकी संस्थाओं में प्रवेशार्थ परिषद् के विनियम एवं निर्देशिका के अनुसार किये जायेंगे।

(ख) पाठ्यक्रमों में केवल तभी दाखिले दिये जायेंगे जब न्यूनतम अपेक्षित/विहित सुविधायें सृजित कर दी गई होंगी और संबंधक विश्वविद्यालय/राज्य बोर्ड ने पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दे दी होगी।

(ग) संस्था परिषद् की पूर्व-सहमति के बिना किसी संस्था को बंद नहीं करायेगी या बंद कराने की अनुमति नहीं देगी या पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को बंद नहीं करायेगी। अथवा सीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं करेगी।

5. शिक्षा तथा अन्य शुल्क परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानदंडों के अनुसार लिये जायेंगे। छात्रों/अभिभावकों से किसी भी रूप में कोई भी प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जायेगी।

6. संस्था के लेखाओं की परीक्षा प्रतिवर्ष किसी सनदी

उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।

7. शिक्षण तथा अन्य स्टाफ का चयन परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं, प्रहताओं, एवं अनुभव के अनुसार किया जायेगा।

8. प्रबंधकवर्ग अन्य उन शर्तों का भी पूरा पालन करेगा जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जायेंगी।

9. यदि (सोसाइटी/न्यास/मंडल/कालेज/संस्था आदि का नाम) परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित/विहित किये गये मार्ग-निर्देशों, मानकों तथा शर्तों का पालन नहीं करेगा तो परिषद् या कोई निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को किन्हीं भी संबद्ध मुद्दों पर विचार किये बिना संस्था से अनुमोदन या मान्यता वापस लेने की कार्यवाई करने की स्वतन्त्रता होगी, और अनुमोदन या मान्यता वापस लेने की पूरी जिम्मेदारी उस (सोसाइटी/संस्थान/कालेज) पर होगी।

10. कोई भी कालेज/संस्थान केवल इस आधार पर कि उसे परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है, संस्थान या प्रावर्ती व्यय आदि के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार से स्वयं सहायता अनुदान प्राप्त करने का दावेदार नहीं बनेगा।

(वचन देने वाले प्राधिकृत व्यक्ति नाम और उसका पद)

(सोल)

स्थान :

दिनांक

1. कोष्ठकों में संगत विवरण दिया जाना चाहिये

2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि स्टांप कागज तथा वचनबद्ध का अधिप्रमाणन उचित रूप से किया गया है।

प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं के शासी निकाय का मॉडल

शासी निकाय में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित कम से कम 11 सदस्य होंगे। पंजीकृत सोसाइटी/न्यास अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित 6 सदस्यों को नामित करेगा और बाकी 5 सदस्यों का नामन इस प्रकार किया जायेगा :—

1. अध्यक्ष : अध्यक्ष का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जायेगा।

2-5. सदस्यों का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जायेगा।

6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा केन्द्रीय अधिकारी (पदेन)।

[भाग III-अध्याय 4]

प्रारम्भ का अनुसूची-प्रमाण

7. क्षेत्र से एक उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद्/शिक्षाविद् का नामन परिषद के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पैनल से परिषद के नामितों के रूप में संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जायेगा।

8. संबंधक निकाय/विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का नामितों।

9. राज्य सरकार का नामितों-तकनीकी शिक्षा निदेशक (पदेन)।

10. राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया क्षेत्र से एक उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद्/शिक्षाविद्।

11. संबंधित तकनीकी संस्था का प्रिंसिपल/निदेशक (सोसाइटी/न्यास के नामितों के रूप में) - सदस्य-सचिव।

वर्तमान डिग्री संस्था के बारे में सूचना
(इंजीनियरी, वास्तुकला, फार्मसी, अनुप्रयुक्त कलाएं आदि)

- 1.0 सामान्य
- 1.1 (क) संस्था का नाम:
- (ख) डाक पता:
- (ग) तार पता:
- (घ) फैंस और फोन नं.
- (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित)
- 1.2 संस्था के अध्यक्ष का नाम और पद तथा निवास और कार्यालय का टेलीफोन नं. (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित)
- 1.3 संस्था का प्रकार (निम्नलिखित में से किसी एक को निर्दिष्ट करें)

- प्रारबेट गैर अनुदान प्राप्त
- प्रारबेट/सहायता प्राप्त
- 1.4 प्रारबेट संस्थाओं के मामले में प्रबंध एजेंसी का पूरा डाक पता और तार पता, फैंस और फोन नं. (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित)

सरकारी (केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित क्षेत्र)
अन्य (निर्दिष्ट करें)

1.5 संस्था की स्थापना की तारीख (रूपया सरकार के मंगत आदेश की प्रति संलग्न करें)।

1.6 संबंधक विश्वविद्यालय का नाम और पूरा डाक पता लिखिए। कुलाति और कुल सचिव या समकक्ष अधिकारियों के नाम और फोन नम्बर भी दें।

2.0 शैक्षिक सूचना

2.1 वर्ष 1992-93 के दौरान संचालित किये जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम:

कार्यक्रम स्तर/ प्रदत्त डिप्लोमा	क्षेत्र/विशेषज्ञता	पूर्ण/अंशकालिक	अवधि (वर्ष)	स्वीकृत प्रवेश वास्तविक दाखिले	प्रारंभ वर्ष
पूर्व-स्नातक					
बी. टेक.	विद्युत इंजीनियरी	पूर्ण-कालिक	4	60	50 1972
बी. ई.	घाटि इंजीनियरी	अंश-कालिक	4	30	28 198
बी. आर्की.	वास्तुकला	पूर्ण-कालिक	5	60	55 1985
बी. फार्म.	फार्मसी	पूर्ण-कालिक	4	60	53 1985
स्नातकोत्तर					
एम. टेक.	मशीन डिजाइन	पूर्ण-कालिक	1.5	10	10 198
एम. ई.	ताप इंजीनियरी	अंशकालिक	3	10	10 1984

2.2 क्या संस्था और संचालित किया गया/किये गए पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित है?

--यदि हाँ, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सभी अनुमोदनपत्रों की प्रति संलग्न कीजिये।

--यदि संचालित किये जा रहे किसी पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अनुमोदन प्रदान नहीं किया है तो उसका कारण बताएं।

2.3 प्रवेश :

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश के लिये प्रवेश विधि को प्रहृता	सीटों का वितरण			
		राज्य सरकार	प्रबंधन	अनु. जा. / अनु. ज. जा.	अन्य

कृपया यह बताएं कि क्या प्रवेश परीक्षा का आधार प्रहृक परीक्षा में प्राप्त अंक हैं?

2.4 यदि दाखिले प्रहृक परीक्षा (यथा 10+2 आदि) में प्राप्त अंकों के आधार पर किये जाते हैं तो भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में निर्धारित न्यूनतम-कुल प्रतिशत अंकों और न्यूनतम औसत प्रतिशत अंकों के संबंध में सभी दाखिलों का ब्योरा दीजिए।

2.5 स्वीकृत एवं वास्तविक दाखिले :

पाठ्यक्रम	स्वीकृत (स्वी.) और वास्तविक (वा.) प्रवेश					
	1987-88 स्वी. वा.	1988-89 स्वी. वा.	1989-90 स्वी. वा.	1990-91 स्वी. वा.	1991-92 स्वी. वा.	1992-93 स्वी. वा.

2.6 विगत पूरे 5 शैक्षिक वर्षों के दौरान

प्रथम वर्ष छात्र नामांकन का ब्योरा (5 वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	कुल स्वीकृत प्रवेश	कुल प्रवेश	कुल प्रवेशों का प्रतिशत	कुल ड्राप-आउट	कुल प्रवेशों का प्रतिशत	कुल उत्तीर्ण छात्र
		अनु. जा. / अनु. ज. जा.	ग्रामीण और जन-जातीय	लड़कियाँ	अनु. जा. / अनु. ज. जा.	ग्रामीण और जन-जातीय

(क) पूर्व-स्नातक
पूर्णकालिक
अंशकालिक
अन्य (निर्दिष्ट करें)

(ख) स्नातकोत्तर
पूर्णकालिक,
अंशकालिक
अन्य (निर्दिष्ट करें)

(ग) डाक्टोरल या समकक्ष

(घ) अन्य

+ यदि संस्था का काम करते हुए 5 वर्षों से कम हुए हैं तो वर्षों की संख्या बताएं जिनके लिये प्रांकड़े दिये गये हैं।

[भाग III-खण्ड 4]

2.7. विगत पूरे 5 वार्षिक वर्षों के दौरान द्वितीय वर्ष छात्र नामांकन का ग्योरा (5 वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	कुल स्वीकृत प्रवेश	कुल प्रवेश	कुल प्रवेशों का प्रतिशत	कुल ड्राप	कुल ड्राप-माउटों का प्रतिशत	कुल उत्तीर्ण छात्र
			मनु.जा./ ग्रामीण और लड़कियां पार्श्विक मनु.ज. जन-जातीय प्रवेशक जाति	माउट	मनु.जा./ ग्रामीण और लड़कियां पार्श्विक मनु.ज. जन-जातीय प्रवेशक जा.	

(क) पूर्व-स्नातक
पूर्णकालिक
अर्धकालिक
अन्य (निर्दिष्ट करें)

(ख) स्नातकोत्तर
पूर्णकालिक
अर्धकालिक
अन्य (निर्दिष्ट करें)

(ग) डाक्टोरल या समकक्ष

(घ) अन्य

+ यदि संस्था के काम करते हुए 5 वर्षों से कम हुए हैं उन वर्षों की संख्या बताएं जिनके लिये प्रांकड़े दिये गए हैं।

2.8 यदि कुछ पाठ्यक्रमों में पार्श्विक प्रवेश द्वारा भी दाखिले किये जाते हैं तो पार्श्विक दाखिले की प्रवेश प्रहंता का ग्योरा और पार्श्विक प्रवेश के लिये कुल प्रारक्षित सीटों का प्रतिशत तथा पार्श्विक प्रवेशकों की न्यूनतम दाखिले प्रहंता का विवरण दीजिए।

2.9 संबंधक संस्था के कैरेडर के अनुसार दाखिले आरंभ और बंद करने की तारीखें।

2.10 विगत दो वार्षिक वर्षों के दौरान परीक्षा परिणामों का विवरण (दो वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	कुल उत्तीर्ण छात्र	विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण छात्र	प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र	द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र
-------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

(क) पूर्व-स्नातक
पूर्णकालिक
अर्धकालिक
अन्य (निर्दिष्ट करें)

(ख) स्नातकोत्तर
पूर्णकालिक
अर्धकालिक
अन्य (निर्दिष्ट करें)

(ग) डाक्टोरल या समकक्ष

(घ) अन्य

2.11 विगत दो वार्षिक वर्षों के दौरान संस्था के कार्य समय का ग्योरा (औसत)

प्रति सेमेस्टर/वर्ष प्रत्याशित कार्य दिवसों की संख्या	प्रतिसेमेस्टर/वर्ष वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या	प्रतिसेमेस्टर/वर्ष शिक्षण संबंधी काम के घंटों की संख्या	प्रतिसेमेस्टर/वर्ष वास्तविक संयं क घंटे	प्रवकाश के दिनों की सं.	परीक्षा के लिये व्यतीत किये गये दिनों की संख्या
---	--	---	---	-------------------------	---

2.12 विगत दो वार्षिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण छात्रों के नौकरी दिलवाने का ग्योरा (2 वर्षों का जोड़)

उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3 महीने के भीतर नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3-6 महीने के प्रतर्गत नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 6-12 महीने के प्रतर्गत नौकरी दिलवाई गई
----------------------------	--	--	---

3.0 शिक्षण संकाय के बारे में सूचना

3.1 कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिये संकाय की संख्या

संकाय का प्रकार	स्वीकृत संख्या		स्थानों की संख्या			
	पूर्व स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य	जोड़	पूर्व स्नातक	स्नातकोत्तर
पूर्णकालिक						
अर्धकालिक						
अभ्यागत						

3.2 विगत दो वर्षों के दौरान वर्गवार

वर्तमान शिक्षण संकायों की संख्या दीजिये

संकाय काडर	निम्नलिखित तारीखों की स्थान संख्या		निम्नलिखित के अनुसार जन. 1, 1993 को प्रपेक्षित संख्या
	जन. 1, 1992	जन. 1, 1993	राज्य/विश्वविद्यालय के मानक "प्रमातृशिप" के मानक
प्रिंसिपल			
प्रोफेसर			
सह-प्रोफेसर			
रीडर			
सहायक प्रोफेसर			
वरिष्ठ लेक्चरर			
लेक्चरर			
अन्य			

3.3 परिलब्धियों और प्रायु का न्यौरा

विवरण	प्रोफेसर	सह-प्रोफेसर	रीडर	सहायक प्रोफेसर	वरिष्ठ लेक्चरर	लेक्चरर	अन्य
संकाय की संख्या							
औसत प्रायु							
अधिकतम परिलब्धियां							
औसत परिलब्धियां							
न्यूनतम परिलब्धियां							
संस्था में सेवा की न्यूनतम अवधि							
संस्था में सेवा की अधिकतम अवधि							
संस्था में सेवा की औसत अवधि							

3.4 कर्मशाला, पुस्तकालय तथा अन्य सहायक स्टाफ की संख्या (वर्गवार)

संकाय काडर	निम्नलिखित तारीखों की संख्या		निम्नलिखित के अनुसार जन. 1, 1993 को प्रपेक्षित संख्या
	जन. 1, 1992	जन. 1, 1993	राज्य/विश्वविद्यालय के मानक प्रदत्त भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानक

कर्मशाला अधीक्षक
फोरमैन इन्स्ट्रक्टर
कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर/सहायक इन्स्ट्रक्टर
कुशल सहायक
प्रयोगशाला तकनीशियन सहायक
पुस्तकालयाध्यक्ष
पुस्तकालय सहायक
सिस्टम मैनेजर
सिस्टम विरलेपक
कम्प्यूटर प्रोग्रामर
कम्प्यूटर प्रचालक

[भाग III-खण्ड 4]

3.5 निम्नलिखित कार्य-कलापों के लिये एक सप्ताह में कुल कार्य समय की प्रतिशतता में प्रति सप्ताह कार्यभार

कार्यकलाप	प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	रीडर	सहायक प्रोफेसर	वरिष्ठ लेक्चरर	लेक्चरर	अन्य
शिक्षण							
अनुसंधान							
प्रशासन							
संस्थान/कालेज							
विकास मार्ग/दर्शन एवं उपबोधन							
परामर्श							
प्रशिक्षण एवं स्थानन							
अन्य							

3.6 संकाय का न्यौरा (नाम, अर्हताएं और अनुभव आदि)

नाम	अर्हताएं	कुल अनुभव	शिक्षण का कुल अनुभव	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति का स्तर (लेक्चरर, वरिष्ठ लेक्चरर, सहायक प्रोफेसर, आदि)	वर्तमान के वेतन-मान तथा तारीख जिससे यह वेतन-मान दिया गया है	इस तारीख को मूल वेतन	कुल प्रतिभिता

3.7 कृपया बताएं कि क्या सभी वर्तमान संकायों को भर्ती अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा इंजीनियरिंग कालेजों के लिये निर्धारित की गई प्रक्रिया, अनुभव और अर्हताओं के अनुसार की गयी है।

3.8 कृपया बताएं कि शिक्षण संकाय के कितने प्रतिशत सदस्यों को गत दो शैक्षिक वर्ष से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के वेतनमानों के अनुसार भुगतान की जा रही है।

3.9 कृपया संकाय सदस्यों को प्रदत्त सेवा हितलाभों यथा--छुट्टी यात्रा रिपायत, बिक्रता व्यय की प्रतिपूर्ति, आवास, बच्चों के लिये स्कूल आदि का विवरण दीजिए।

3.10 संकाय सदस्यों को प्रदत्त सेवानिवृत्ति और समय पूर्व सेवानिवृत्ति के हितलाभ।

4.0 कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाएं

कृपया वर्तमान सुविधाओं (टर्मिनलों की संख्या, कंप्यूटरों का प्रकार) और स्टाक (शिक्षण स्टाफ को छोड़कर स्टाक का स्तर और संख्या) का न्यौरा दीजिए।

5.0 पुस्तकालय की सुविधाएं

5.1 पुस्तकें

वर्ग	गत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	गत वर्षों के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	इस तारीख को पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या

(क) पाठ्य पुस्तकें

(ख) संदर्भ पुस्तकें

(ग) विषयकोश

5.2 पत्रिकाएं

विवरण	पत्रिकाओं की वर्तमान संख्या
(क) सहायक विभाग : -- भारतीय -- विदेश	
(ख) इंजीनियरी विभाग -- भारतीय -- विदेश	
(ग) अन्य विभाग -- भारतीय -- विदेश	

6.0 प्रयोगशालाएं

विभाग	विभिन्न प्रयोगशालाओं के नाम	गत 3 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
कृपया प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये वर्तमान कीमतों पर ₹. 1000 या अधिक लागत वाले उपस्कर की सूची संलग्न कीजिए।		
6.1 फर्निचर		

विभाग	विभिन्न शायों के नाम	गत 3 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
-------	----------------------	--

7.0 शिक्षक और परीक्षा स्कीम सहित संस्था द्वारा अपनाई गई पाठ्यचर्या की एक प्रति संलग्न कीजिए।

8.0 कुरसी क्षेत्र (वर्ग मीटर)

निर्माण का प्रकार	शिक्षण भवन	प्रशासनिक भवन	सुविधाएं	छात्रावास	निवास	कुल क्षेत्र
(क) ग्राउंड सी						
(ख) सैंड						

9.0 भूमि उपलब्धता (वर्ग मीटर)

शैक्षिक और प्रशासन	खेल के मैदान	छात्रावास	स्टाफ क्वार्टर	अन्य	जोड़
--------------------	--------------	-----------	----------------	------	------

कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कीजिये कि भूमि पर संस्था का कब्जा है और भूमि उपयोग की अनुमति है तथा यह गारंटी है कि उल्लिखित भूमि केवल संस्था के उपयोग के लिये उपलब्ध है और इसका उपयोग किसी अन्य संस्था/गतिविधि के लिये नहीं किया जायेगा। कृपया यह भी उल्लेख करें कि भूमि क्षेत्र में एक या अधिक भूखंड शामिल हैं।

10.0 छात्र विकास, आचार तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण:

उन प्रवर्तकों का उल्लेख कीजिये जो विभाग में छात्रों की संगत तकनीकी/व्यावसायिक सोसाइटियों में सहभागिता और सदस्यता के लिये उपलब्ध हैं। ये अवसर विभाग द्वारा कैसे उपलब्ध कराये जाते हैं।

11.0 गत 5 वर्षों के दौरान परामर्श, प्रायोजित अनुसंधान, व्यावसायिक विकास आदि।

11.1 परामर्शी दत्तकार्य और ग्राहक संगठनों के नामों सहित कुल आय तथा प्रत्येक दत्तकार्य की प्रकृति और नाम, कुल आय आदि का व्यौरा दीजिए।

11.2 परियोजना के प्रायोजक संगठनों के नाम, परियोजना के नाम तथा कुल मूल्य सहित प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं तथा कुल आय का व्यौरा दीजिये।

11.3 शैक्षिक प्रवृत्तियों, शिक्षण कीशलों आदि के सुधार के लिये प्रयत्न प्रायोजित संकाय संख्या।

कृपया संकाय के नाम, पदनाम, वृत्ति प्रवृत्तियों के नाम/उन्नत कीशलों आदि का उल्लेख कीजिये।

11.4 सम्मेलनों तथा अन्य व्यावसायिक बैठकों में भाग लेने के लिये आज तक प्रायोजित संकायों की संख्या और इस प्रयोजन के लिये खर्च की गई कुल राशि।

कृपया संकाय का नाम, पदनाम, सहभागिता सम्मेलन/बैठकों का नाम दीजिये और स्थान और तारीख आदि का उल्लेख करें।

11.5 प्रापकी संस्था द्वारा संवागित अनुवर्ती इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या तथा सहभागियों की कुल संख्या।

कृपया कार्यक्रम का नाम, तारीख और अवधि, सहभागियों की संख्या, आदि दीजिये।

135

[भाग III-खण्ड 4]

12.0 वित्तीय

12.1 गत 2 वार्षिक वर्षों (1990-91, 1991-92) के दौरान भारतीय व्यय तथा प्रभावर्ती व्यय के रूप में कुल व्यय।

12.2 वित्तीय सहायता के स्रोत

स्रोत	भारतीय व्यय	प्रभावर्ती व्यय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सीधे प्राप्ति)		
राज्य सरकार		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्रोत		
निजी न्याय		
छात्रों से फीस		
पारिवारिक राजस्व		
उत्पादन		
अन्य (रूपमा निर्दिष्ट करें)		
जोड़		

12.3 निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रति छात्र वसूल की गई कुल वार्षिक फीस का उल्लेख कीजिये। (इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आदि की फीस शामिल है लेकिन छात्रावास फीस और खाद्य प्रभार शामिल नहीं हैं)।

—1990-91

—1991-92

—1992-93

12.4 प्रतिरिक्त निधि की आवश्यकता, यदि हो

ह. तालि में

विवरण

भारतीय :

- (क) शिक्षण कर्मचारियों का वेतन
- (ख) शिक्षण स्टाफ का वेतन
- (ग) छात्रवृत्तियाँ
- (घ) यात्रा व्यय
- (ङ) अन्य भारतीय व्यय

प्रभावर्ती का जोड़ :

प्रभावर्ती :

- (क) प्रतिरिक्त भवन
- (ख) प्रतिरिक्त उपस्कर
- (ग) अन्य

प्रभावर्ती का जोड़ :

12.5 रूपमा यह बतायें कि प्रतिरिक्त निधियों (जैसा 12.4 में अनुमान लगाया है) का सृजन किस प्रकार किया जायेगा।

13.0 गत 2 वर्षों के दौरान प्राप्त किये गये प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन

पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/संस्थाओं का नाम	वार्षिक प्रवेश	प्रारंभ करने का वर्ष	प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन	संस्था और तारीख
---	----------------	----------------------	---	-----------------

14. रूपमा यह बतायें कि क्या प्रस्तावक कोई ऐसा कार्यक्रम या अन्य तकनीकी संस्था का संचालन और/या प्रबंध कर रहा है जो प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं है।

यदि हाँ, तो कार्यक्रम/संस्था का नाम, उसका पता तथा संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।

15. क्या प्रस्तावक के विरुद्ध राज्य सरकार या प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के संबंध में कोई प्रदावती मुकदमा चल रहा है।

16. वार्षिक रूपमा अन्य गतिविधियों (यदि हों) में आधार-संरचनात्मक/विस्तार संबंधी सुधार के लिये भावी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दें।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

फार्म—III

[देखिए, विनियम 5(2)(ग)]

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मसी, अनुप्रयुक्त कलाओं आदि में

प्रतिरित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) और/या प्रतिरित प्रवेशों

के बिना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का

अनुमोदन चाहने वाली वर्तमान डिप्लोमा संस्था

(संस्थाओं) के लिए आवेदन

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मसी, अनुप्रयुक्त कलाओं आदि में प्रतिरित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) और/या प्रतिरित प्रवेश (प्रवेशों) के बिना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन चाहने वाली वर्तमान डिप्लोमा संस्था (संस्थाओं) के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु, हिदायतें

1. (क) निर्धारित फार्म में तथा त्रिहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण आवेदन पत्र को सात प्रतियां परिषद् के ब्यूरो (फार्मसी) की 31 दिसम्बर तक अवश्य प्रस्तुत की जाती चाहिए।

(ख) पूर्ण एवं निर्धारित फार्म में प्रस्तुत न किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगे किन्तु जो व्यवस्थित रूप में होंगे उन पर अनुवर्ती शैक्षिक वर्ष में कार्यवाई की जाएगी।

(घ) प्रस्ताव केवल ए-4 आकार में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बड़े आकार वाले प्रलेखों का आकार घटाकर ए-4 कर दिया जाना चाहिए।

(ङ) यदि आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों को गलत पाया जाएगा तो आवेदनपत्र को खसोकार कर दिया जाएगा।

2. (क) प्रस्तावित संस्था के उपयोगार्थ प्रेषित भू-खत होना चाहिए जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार सोसाइटी/न्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजीकृत पट्टानामा होना चाहिए।

(ख) यदि सोसाइटी/न्यास/प्रस्तावित संस्था के पास प्रेषित भू-खत नहीं होगा तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था को भित्तर संस्था और संबंधित राज्य प्राधिकरण के नाम में एक अध्यापन विज्ञापित करने चाहिए जिसकी राशि अधिकतम वार्षिक प्रेषित आवर्ती व्यय के 30 प्रतिशत या राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित राशि या रु. 10 लाख (जिसमें जो भी अधिक हो) हो।

4. (क) आवेदन के समय, आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था के पास किमी अनुमूचित बैंक में संस्था के नाम कम से कम 9 महीने के चालू बचत या सावधि जमा खाता (खातों) में परियोजना की कुल अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत राशि जमा होनी चाहिए।

(ख) आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था को कुल परिणामितियों को प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के प्रमाणस्वरूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ग) बचत-गत्तों को प्रस्तावित संस्था की स्थापना के लिए उपयुक्त राशि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

5. विशेषतः दूरवर्ती क्षेत्रों में यदि कोई संस्था स्थापित की जाती है तो इसके संबंध में स्वाभाविक कठिनाइयां ये होती हैं कि वहां शिक्षण

आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था को यह विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि संस्था के लिए स्थल उपलब्ध है और उससे व्यवस्था की सकती है।

संतान किए जाने वाले प्रवेशों की सूची

आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित संतान किए जा रहे हैं:

(क) सोसाइटी/न्यास आदि के पंजीकरण प्रलेख की एक प्रति। साथ सोसाइटी/न्यास आदि के गठन की प्रति भी संतान

(ख) संस्था खोलने के लिए प्रति बैंक संगत सरकारी धादे एक प्रति।

(ग) संस्था/वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के संबंधन की प्रति संबंधक निकाय के पत्र की एक प्रति।

(घ) शिक्षण और परीक्षा स्कीमों सहित वर्तमान पाठ्यक्रम (क्रमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण की प्रतियां।

(ङ) निम्नलिखित दस्तावेजों के स्पष्ट प्रमाण में सक्षम प्राधिकार के पत्र:

(i) नक्शे की एक प्रति जिसमें भूखंड पर वर्तमान प्रस्तावित भवन (भवन) का नक्शा (जो या दिखाया गया हो और कोटो सहित प्रत्येक भवन के स्तोर नक्शा।

(ii) संस्था के भवन निर्माण के लिए स्थानीय उपाय के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा

(iii) भवनों का समापन/कच्चा प्रमाणपत्र।

(iv) गहरी भूमि विकास प्राधिकरण की अनुमति।

(च) भूमि पंजीकरण कागजों/पंजीकृत पट्टानामा की एक (जो लागू हो)।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाणपत्र प्रति जिसमें संस्था के प्रयासों के लिए उचित कला अनुमति दी गई हो।

(ज) आवेदक के अधिकांश प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस का एक प्रमाणपत्र कि भूमि और पुरानाओं का उपयोग निम्न संस्था/निविधि के लिए नहीं किया जा रहा है

(झ) एक रेखाचित्र जिसमें प्रत्येक भूखंड का क्षेत्र दिखाया गया हो और भूखंडों की मध्य दूरियां दी गई हों, यदि भूमि में एक से अधिक भूखंड शामिल हों।

(ञ) शहर की सड़कों के नक्शे की एक प्रति जिसमें संस्था प्रस्थिति दिखाई गई हो।

(ट) निम्नलिखित/प्रत्येक निविधि या नीति के तहत प्रतियां।

(ठ) जेप निविधियों की उपलब्धता के संबंध में सक्षम बैंक विवरण सावधि जमा रकमों आदि की फोटो प्रतियां।

(ड) संस्था के निम्न तीन वर्षों के आय/व्यय के विवरण, प्रतियां, तुलनाएं और निष्कर्षोपनि (नियंती) की प्रतियां।

(ढ) प्रतिरित निविधियां जुटाए जाने की पुष्टि में अधिपत्र प्रवेश।

(ण) भवन (भवनों) के निर्माण के लिए स्थानीय उपाय अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित

भाग III—खण्ड 4]

- (त) प्रभावर्ती एवं की पूरा करने के लिए दावे की पुष्टि में अधि-प्रमाणित प्रलेख ।
- (प) वार्षिक प्रभावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित दावे के समर्पण में अधिप्रमाणित प्रलेख ।
- (द) न्यायिकेतर स्टॉप कागज पर अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सामान्य शर्तों का अनुपालन करने के लिए एक वचनबंध जो संलग्न फॉर्मेट के अनुसार उप-योज्यक या अन्य सक्षम प्राधिकारी के यहाँ विधिवत पंजीकृत हो ।
- (घ) संस्थान के प्रबंध के लिए जिम्मेदार निकाय/परिषद्/समिति की गत तीन बैठकों का कार्यवृत्त ।

अनुबंध-I

न्यायिकेतर स्टॉप कागज पर वचनबंध प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उप-योज्यक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत हो ।

मैं/हम (कालेज/संस्था/मंडल/न्यास/सोसाइटी आदि के न्यासी/अध्यक्ष/प्रिंसिपल/निदेशक का नाम) एतद्वारा वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम... सत्र से (पाठ्यक्रम/कालेज का नाम) प्रारम्भ करने/स्थापित करने/सीटों की प्रवेश क्षमता से संबंधित अपने प्रावेदन (पत्र) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करूँगा/करेंगे :

1. प्रबंधक वर्ग (इसमें संस्थान/कालेज का शासी निकाय भी शामिल है) का गठन तथा निकाय/परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति परिषद् मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाएगी (अनुबंध-II) ।

2. प्रबंधक वर्ग प्रभावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानकों एवं मानदंडों के अनुसार विकसित भूमि में निवेश करने तथा संबंधित आधार-संरचनात्मक, शिक्षणात्मक एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा ।

3. पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों का संचालन तकनीकी कामियों की निर्धारित मांगों के अनुसार किया जाएगा ।

4. (क) दाखिले संबंधित तकनीकी संस्थाओं में प्रवेशार्थ परिषद् के विनियम एवं निर्देशिका के अनुसार दिए जाएंगे ।

(ख) पाठ्यक्रमों में केवल तनी दाखिले दिए जाएंगे जब न्यूनतम अपेक्षित/बिहित सुविधाएं सृजित कर दी गई होंगी और संबंधित विश्व-विद्यालय/राज्य बोर्ड ने पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी होगी ।

(ग) संस्था परिषद् की पूर्व-सहमति के बिना किसी संस्था को बंद नहीं कराएगी या बंद कराने की अनुमति नहीं देगी या पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को बंद नहीं कराएगी अथवा शीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं करेगी ।

5. शिक्षा तथा अन्य शुल्क परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार लिए जाएंगे । छात्रों/प्रतिभाषकों से किसी भी रूप में कोई भी प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी ।

6. संस्था के लेखाओं की परोक्षा प्रतिवर्ष किसी गारंटी लेखाकार द्वारा की जाएगी और परिषद् या बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा ।

7. शिक्षण तथा अन्य स्टाफ का चयन परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं, प्रहृताओं एवं अनुभव के अनुसार किया जाएगा ।

8. प्रबंधक वर्ग अन्य उन शर्तों का भी पूरा पालन करेगा जो परिषद् समय-समय पर निर्दिष्ट की जाएंगी ।

मानकों तथा शर्तों का पालन नहीं करेगा तो परिषद् या कोई निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को किन्हीं भी संवद्ध मर्दानों पर विचार किए बिना संस्था से अनुमोदन या मान्यता वापस लेने को कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी, और अनुमोदन या मान्यता वापस लेने को पूरी जिम्मेदारी उस (सोसाइटी/संस्थान/कालेज) पर होगी ।

10. कोई भी कालेज/संस्थान केवल इस आधार पर कि उसे परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है, संस्थान या प्रभावर्ती व्यय आदि के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार से स्वतः सहायता-अनुदान प्राप्त करने का दावेदार नहीं बनेगा ।

(वचन देने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और उसका पद)

(सोल)

स्थान :

दिनांक :

1. कोष्ठकों में संगत विवरण दिया जाना चाहिए ।
2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टॉप कागज तथा वचनबंध का अधिप्रमाणन उचित रूप से किया गया है ।

प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं के शासी निकाय का मॉडल गठन

शासी निकाय में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव रहित कम से कम 11 सदस्य होंगे । पंजीकृत सोसाइटी/न्यास अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित 6 सदस्यों को नामित करेगा और बाकी 5 सदस्यों का नामन इस प्रकार किया जाएगा :—

1. अध्यक्ष : अध्यक्ष का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जाएगा ।
2. 5. सदस्यों का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जाएगा ।
6. अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का नामिती—क्षेत्रीय अधिकारी (पदेन) ।
7. क्षेत्र से एक उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद/शिक्षाविद का नामन परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पत्र से परिषद् के नामिती के रूप में संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जाएगा ।
8. संबंधक निकाय/विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का नामिती ।
9. राज्य सरकार का नामिती—तकनीकी शिक्षा निदेशक (पदेन) ।
10. राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया क्षेत्र से एक उद्योग-पति/प्रौद्योगिकीविद/शिक्षाविद ।
11. संबंधित तकनीकी संस्था का प्रिंसिपल/निदेशक (सोसाइटी/न्यास के नामिती के रूप में)—सदस्य—सचिव ।

तकनीकी संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत सोसाइटी के नामितियों और संबंधित क्षेत्र के शिक्षाविदों की इतनी ही संख्या जोड़ कर सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है । लेकिन शासी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी ।

शासी निकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति

शासी निकाय का अध्यक्ष मुख्यतः एक तकनीकी व्यक्ति अर्थात् कोई उद्योगी या उद्योगपति या विख्यात शिक्षाविद होगा जो तकनीकी शिक्षा के विकास में रुचि रखता हो और मूल सोसाइटी/न्यास का सदस्य हो तथा जिसने विशेषतः उच्च कोटि की शिक्षा को बढ़ावा देने में

वर्तमान डिप्लोमा संस्थाओं के बारे में सूचना
(इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कामर्सो आदि)

1.0 सामान्य:

1.1 (क) संस्था का नाम:

(ख) डाक पता:
(पिन कोड सहित)

(ग) तार पता:

(घ) फैक्स और फोन नं.:
(कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित)

1.2 संस्था के अध्यक्ष का नाम और पद तथा निवास और कार्यालय का टेलीफोन नं. (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित)

1.3 संस्था का प्रकार (निम्नलिखित में से किसी एक को निर्दिष्ट करें):

प्राइवेट गर अनुदान प्राप्त

सरकारी (केन्द्रीय/राज्य/संघ-शासित क्षेत्र)

प्राइवेट/सहायता प्राप्त

अन्य (निर्दिष्ट करें)

1.4 प्राइवेट संस्थाओं के मामले में प्रबंध एजेंसी का पूरा डाक पता और तार पता, फैक्स और फोन नं. (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित) दिया जाए।

1.5 संस्था की स्थापना की तारीख (कृपया सरकार के संगत आदेश को प्रति संलग्न करें)

1.6 संबंधित विश्वविद्यालय का नाम और पूरा डाक पता लिखिए। कुलपति और कुलसचिव या समकक्ष अधिकारियों के नाम और फोन नम्बर भी दें।

2.0 शैक्षिक सूचना

2.1 वर्ष 1992-93 के दौरान संचालित किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम:

कार्यक्रम स्तर/ प्रदत्त डिप्लोमा	क्षेत्र/विशेषज्ञ	पूर्ण/अंशकालिक	प्रवधि (वर्ष)	प्रारम्भ वर्ष
डिप्लोमा	सिविल इंजीनियरी	पूर्णकालिक	3	1989
	इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी	अंशकालिक	4	1990
उत्तर डिप्लोमा	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	पूर्णकालिक	1.5	1990
	प्रशोधन और वातानुकूलन	अंशकालिक	1.5	1980
	कामिक सचिवालय पद्धति	पूर्णकालिक	1	1979
उच्च डिप्लोमा	औद्योगिक इंजीनियरी	पूर्णकालिक	2	1989
	औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स	पूर्ण कालिक	1.5	1985

टिप्पणी: विभिन्न कालों में दिए गए विषय और प्रांकड़े केवल उदाहरण के लिए हैं।

2.2 क्या संस्था और संचालित किया गया/किए गए पाठ्यक्रम प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित है/हैं?

— यदि हां, प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सभी अनुमोदन पत्रों की प्रति संलग्न कीजिए।

— यदि संचालित किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अनुमोदन प्रदान नहीं किया है तो उसका कारण बताएं।

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण

[भाग - II (खण्ड 4)]

2.3 प्रवेश :

पाठ्यक्रम का नाम

प्रवेश के लिए प्रवेश विधि की प्रहंता

सीटों का वितरण

राज्य प्रबंधन
सरकारधनु.जा./
धनु.ज.जा.

धन्य

कृपया यह बताएं कि क्या प्रवेश परीक्षा का आधार प्रहंक परीक्षा में प्राप्त अंक हैं ?

2.4 यदि दाखिले प्रहंक परीक्षा (यथा 10, + 10 + 2 प्रादि) में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाते हैं तो भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में निर्धारित न्यूनतम कुल प्रतिशत अंकों और न्यूनतम औसत प्रतिशत अंकों के संबंध में सभी दाखिलों का ब्योरा दीजिए।

2.5 स्वीकृत एवं वास्तविक दाखिले :

पाठ्यक्रम

स्वीकृत (स्वी.) और वास्तविक (वा.) प्रवेश

1987-88
स्वी. वा.1988-89
स्वी. वा.1989-90
स्वी. वा.1990-91
स्वी. वा.1991-92
स्वी. वा.1992-93
स्वी. वा.

2.6 विगत पूरे 5 शैक्षिक वर्षों के दौरान प्रथम वर्ष छात्र नामांकन का ब्योरा (5 वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	कुल स्वीकृत प्रवेश	कुल प्रवेश	कुल प्रवेशों का प्रतिशत	पारिविक प्रवेशक	कुल ड्राप आउट	कुल प्रवेशों का प्रतिशत	पारिविक प्रवेशक	कुल उत्तीर्ण छात्र
			धनु.जा./ प्रामोण लड़कियां धनु.ज. और जन-जा. जा. जातीय			धनु.जा./ प्रामोण लड़कियां धनु.ज. और जन-जा. जा. जातीय		

(क) डिप्लोमा
पूर्णकालिक
अंशकालिक

(ख) उत्तर डिप्लोमा :
पूर्णकालिक
अंशकालिक

(ग) उच्च डिप्लोमा
पूर्णकालिक
अंशकालिक

*यदि संस्था का काम करते हुए 5 वर्षों से कम हुए हैं तो वर्षों की संख्या बताएं जिनके लिए पांकड़े दिए गए हैं।

2.7 विगत पूरे 5 शैक्षिक वर्षों के दौरान द्वितीय वर्ष छात्र नामांकन का ब्योरा (5 वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	कुल स्वीकृत प्रवेश	कुल प्रवेश	कुल प्रवेशों का प्रतिशत	कुल ड्राप आउट	कुल ड्राप आउटों का प्रतिशत	उत्तीर्ण छात्र
			धनु.जा. प्रामोण लड़कियां पारिविक प्रवेशक ध.ज. और जन-जाति जातीय		धनु.जा. प्रामोण लड़कियां पारिविक प्रवेशक धनु.ज. और जन-जाति जातीय	

(क) डिप्लोमा :
पूर्णकालिक
अंशकालिक

(ख) उत्तर डिप्लोमा :
पूर्णकालिक
अंशकालिक

(ग) उच्च डिप्लोमा
पूर्णकालिक
अंशकालिक

- 2.8 यदि कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश द्वारा भी दाखिले किए जाते हैं तो पारिविक दाखिले की प्रवेश प्रहंता का न्योरा और पारिविक प्रवेश के लिए कुल प्रारक्षित सीटों का प्रतिशत तथा पारिविक प्रवेशकों की न्यूनतम दाखिला प्रहंता का वितरण दीजिए।
- 2.9 संबंधक संस्था के कैलेण्डर के अनुसार दाखिले आरम्भ और बन्द करने की तारीखें।
- 2.10 विगत दो शैक्षिक वर्षों के दौरान परीक्षा परिणामों का विवरण (दो वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	कुल उत्तीर्ण छात्र	विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण छात्र	प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र	द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र
(क) डिप्लोमा पूर्णकालिक अंशकालिक					
(ख) अंतर डिप्लोमा: पूर्णकालिक अंशकालिक					
(ग) उच्च डिप्लोमा पूर्ण कालिक अंशकालिक					

- 2.11 विगत दो शैक्षिक वर्षों के दौरान संस्था के कार्य समय का व्योरा (प्रोसत)

प्रति सेमेस्टर/वर्ष प्रत्याशित कार्यदिवसों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/वर्ष वास्तविक कार्यदिवसों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/वर्ष शिक्षण संबंधी काम के घंटों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/वर्ष वास्तविक संपर्क घंटे	प्रकाश के दिनों की संख्या	परीक्षा के लिए व्यतीत किए गए दिनों की संख्या

- 2.12 विगत दो शैक्षिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण छात्रों के नौकरी दिलवाने का व्योरा (2 वर्ष का जोड़)

पाठ्यक्रम	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3 महीने के भीतर नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3-6 महीने के अन्तर्गत नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 6-12 महीने के अन्तर्गत नौकरी दिलवाई गई

- 3.0 शिक्षण संकाय के बारे में सूचना

- 3.1 कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिए संकाय की संख्या

संकाय का प्रकार	स्वीकृत संख्या			स्थानों की संख्या		
	डिप्लोमा	उच्च डिप्लोमा	जोड़	डिप्लोमा	उत्तर डिप्लोमा	जोड़
पूर्ण कालिक						
अंशकालिक						
अध्यागत						

अध्यापक-बन्ध 4]

कार्य का उद्देश्य	निम्नलिखित तारीखों की स्थान संख्या		निम्नलिखित के अनुसार जून, 1993 को प्रेषित संख्या	
	जन. 1, 1992	जन. 1, 1993	राज्य/विश्वविद्यालय के मानक	"प्रभातशिव" के मानक

प्रतिपत्त

विभागाध्यक्ष/लेक्चरर
(सलेक्शन ग्रेड)

वरिष्ठ लेक्चरर

लेक्चरर

सह/सहायक लेक्चरर, यदि हो

परिलब्धियों और प्राप्ति का न्योरा

प्रतिपत्त	विभागाध्यक्ष/लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड)	वरिष्ठ लेक्चरर	लेक्चरर	सह/सहायक लेक्चरर, यदि हो
-----------	---	----------------	---------	-----------------------------

कार्य की संख्या

प्रतिपत्त कार्य (वर्ष)

अधिकतम परिलब्धियाँ

प्रतिपत्त परिलब्धियाँ

न्यूनतम परिलब्धियाँ

संस्था में सेवा की न्यूनतम अवधि

संस्था में सेवा की अधिकतम अवधि

संस्था में सेवा की प्रीति अवधि

3.4 कर्मशाला, पुस्तकालय तथा अन्य सहायक स्टाफ की संख्या (वर्गवार)

कार्य का उद्देश्य	निम्नलिखित तारीखों की संख्या		निम्नलिखित के अनुसार जन. 1, 1993 को प्रेषित संख्या	
	जन. 1, 1992	जन. 1, 1993	राज्य/विश्वविद्यालय के मानक	पश्चिम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानक

कर्मशाला प्रमुख

कोरपस इन्स्ट्रक्टर

कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर

प्रयोगशाला तकनीशियन/सहायक

पुस्तकालयाध्यक्ष

पुस्तकालय सहायक

कम्प्यूटर प्रोग्रामर

कम्प्यूटर प्रबालक

3.5 निम्नलिखित कार्य-कलापों के लिए एक सप्ताह में कुल कार्यसमय की प्रतिशतता में प्रति सप्ताह कार्यभार

कार्य-कलाप	प्रतिपत्त	विभागाध्यक्ष/लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड)	वरिष्ठ लेक्चरर	लेक्चरर	सह/सहायक लेक्चरर यदि हो
------------	-----------	---	----------------	---------	----------------------------

शिक्षण

प्रमुखान

प्रशासन

संस्थान

प्रासिदनिक विकास

मागदर्शन एवं उपबोधन

3.6 संकाय का व्यौरा (नाम, प्रहंताएं और अनुभव आदि) :

नाम	प्रहंताएं	कुल अनुभव	शिक्षण का कुल अनुभव	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति का स्तर (लेक्चरर, वरिष्ठ लेक्चरर आदि)	वर्तमान के वेतन-मान तथा तारीख जिससे यह वेतनमान दिया गया है	इस तारीख को मूल वेतन	कुल परिलब्धियां
-----	-----------	-----------	---------------------	-------------------	--	--	----------------------	-----------------

3.7 कृपया बताएं कि क्या सभी वर्तमान संकायों की भर्ती प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इंजीनियरिंग कालेजों के लिए निर्धारित की प्रक्रिया, अनुभव और प्रहंताओं के अनुसार की गयी है।

3.8 कृपया बताएं कि शिक्षण संकाय के कितने प्रतिशत सदस्यों को गत तीन शैक्षिक वर्ष से प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वेतनमानों के अनुसार प्रदायगी की जा रही है।

3.9 कृपया संकाय सदस्यों को प्रदत्त सेवा हितलाभों यथा—छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रावास, बच्चों के लिए स्कूल आदि विवरण दीजिए।

3.10 संकाय सदस्यों को प्रदत्त सेवानिवृत्ति और समयपूर्व-सेवानिवृत्ति हितलाभ।

4.0 कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाएं

कृपया वर्तमान सुविधाओं (टर्मिनलों की संख्या, कम्प्यूटरों का प्रकार) और स्टाफ शिक्षण स्टाफ को छोड़कर स्टाफ का स्तर और संख्या का व्यौरा दीजिए।

5.0 पुस्तकालय की सुविधाएं

5.1 पुस्तकें

वर्ग	गत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	गत वर्षों के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	इस तारीख को पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या
(क) पाठ्यपुस्तकें			
(ख) संदर्भ पुस्तकें			
(ग) विश्वकोश			
(घ) अन्य			

— 5.2 पत्रिकाएं

विवरण	पत्रिकाओं की वर्तमान संख्या
(क) तकनीकी	
(ख) गैरतकनीकी	
(ग) अन्य	

6.0 प्रयोगशालाएं

विभाग	विभिन्न प्रयोगशालाओं के नाम	गत 5 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा उपकरण पर कुल निवेश
-------	-----------------------------	--

ग III-बख 4]

विभाग	विभिन्न शाखाओं के नाम	गत 5 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
-------	-----------------------	--

7.0 कुरसी क्षेत्र (बग मीटर)

निर्माण का प्रकार	शिक्षण भवन	प्रशासनिक भवन	सुविधाएं	छात्रावास	निवास	कुल क्षेत्र
क) भार सी सी						
ख) बख						

8.0 भूमि उपलब्धता (बग मीटर)

शैक्षिक और प्रशासन	खेल के मैदान	छात्रावास	स्टाफ क्वार्टर	अन्य	जोड़
--------------------	--------------	-----------	----------------	------	------

कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कीजिए कि भूमि पर संस्था/न्यास का कब्जा है और भूमि उपयोग की अनुमति है तथा यह गारंटी है कि उल्लिखित भूमि केवल संस्था के उपयोग के लिए उपलब्ध है और इसका उपयोग किसी अन्य संस्था/गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। कृपया यह भी उल्लेख करें कि भूमि क्षेत्र में एक या अधिक भूखंड शामिल हैं।

9.0 गत 5 वर्षों के दौरान परामर्श, प्रायोजित अनुसंधान, व्यावसायिक विकास आदि

9.1 परामर्शी दत्तकार्यों और ग्राहक संगठनों के नाम सहित कुल भाय तथा प्रत्येक दत्तकार्य की अवधि और नाम, कुल भाय आदि का ब्योरा दीजिए।

9.2 शैक्षिक प्रहताओं, शिक्षण कौशल आदि के सुधार के लिए प्रद्यतन प्रायोजित संकाय संख्या।

कृपया संकाय के नाम, पद नाम, बधित प्रहताओं के नाम/उन्नत कौशल आदि का उल्लेख कीजिए।

9.3 सम्मेलनों तथा अन्य व्यावसायिक बैठक में भाग लेने के लिए भाज तक प्रायोजित संकायों की संख्या और इस प्रायोजन के लिए खर्च की गई कुल राशि।

कृपया संकाय का नाम, पदनाम, सहभागिता सम्मेलन/बैठकों का नाम कीजिए और स्थान और तारीख आदि का उल्लेख करें।

9.4 भाषको संस्था द्वारा संचालित अनुवर्ती इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या तथा सहभागियों की कुल संख्या।

कृपया कार्यक्रम का नाम, तारीख और अवधि, सहभागियों की संख्या यदि दीजिए।

10.0 वित्तीय

10.1 गत 2 शैक्षिक वर्षों (1990-91, 1991-92) के दौरान प्रावर्ती व्यय तथा प्रनावर्ती व्यय के रूप में कुल व्यय।

10.2 वित्तीय सहायता के स्रोत

स्रोत	प्रावर्ती व्यय	प्रनावर्ती व्यय
-------	----------------	-----------------

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(सीधे प्राप्ति)
राज्य सरकार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्रोत
निजी भास
दान
छात्रों से फीस
प्रतिष्ठित राजस्व

10.3 निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रति छात्र वसूल की गई कुल वार्षिक फीस का उल्लेख कीजिए (इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की शामिल है लेकिन छात्रावास फीस और खाद्य प्रभार शामिल नहीं है)।

- 1990-91
- 1991-92
- 1992-93

10.4 अतिरिक्त निधि की आवश्यकता, यदि हो।

विवरण	₹० लाख में
भावर्तों	
(क) शिक्षण कर्मचारियों का वेतन	
(ख) शिक्षणोत्तर स्टाफ का वेतन	
(ग) छात्रवृत्तियाँ	
(घ) यात्रा व्यय	
(ङ) अन्य भावर्तों व्यय	
भावर्तों का जोड़:	
प्रभावर्तों	
(क) अतिरिक्त भवन	
(ख) अतिरिक्त उपस्कर	
(ग) अन्य	
प्रभावर्तों का जोड़	

10.5 कृपया यह बताएं कि अतिरिक्त निधियों (जैसा 10.3 में अनुमान लगाया है) का सृजन किया प्रकार किश जाएगा।

11.0 वर्ष 1990-91, 1991-92, और 1992-93 के दौरान प्राप्त किए गए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन

पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों	वार्षिक प्रवेश	प्रारम्भ करने का वर्ष	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन की संख्या और तारीख

12.0 कृपया यह बताएं कि क्या प्रस्तावक कोई ऐसा कार्यक्रम या अन्य तकनीकी संस्था का संचालन और/या प्रबंध कर रहा है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं है।

यदि हां, कार्यक्रम/संस्था का नाम, उसका पता तथा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।

13.0 क्या प्रस्तावक के विरुद्ध राज्य सरकार या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में कोई प्रदाय मुकदमा चल रहा है।

14.0 शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियों (यदि हों) में आधार-संरचनात्मक/विस्तार संबंधी सुधार के लिए भावी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दें।

(सील)

संस्था के अध्यक्ष

का नाम तथा हस्ताक्षर

[अध्याय III-अध्याय 4]

प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

काम IV

[देखिए, विनियम 5 (2) (ब)]

प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के
कार्यकारी, अनुसूचित कलाओं आदिके
वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में
अतिरिक्त द्वितीय पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) तथा
प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने हेतु
प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
के अनुमोदनार्थ
प्रावेदनप्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के
कार्यकारी, अनुसूचित कलाओं आदि के वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)
अतिरिक्त द्वितीय पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) तथा प्रवेश
(प्रवेशों) में वृद्धि करने हेतु प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा
परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रावेदन(क) निर्धारित काम में तथा बहिष्कृत प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण
प्रावेदन-पत्र की मात प्रतियां परिषद् के व्योरी (प्रार. सी.)
को 31 दिसम्बर तक प्रेषण प्रस्तुत की जानी चाहिए।(ख) अपूर्ण एवं निर्धारित कामों में प्रस्तुत न किए गए प्रस्तावों पर
विचार नहीं किया जाएगा।(ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगे किन्तु जो व्यवस्थित रूप में
होंगे उन पर अनुवर्ती शैक्षिक वर्ष में कार्यवाई की जाएगी।(घ) प्रस्ताव केवल ए-4 प्रकार में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
बड़े प्रकार वाले प्रलेखों का प्रकार घटाकर ए-4 कर दिया
जाना चाहिए।(ङ) यदि प्रावेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों को गलत
समाधान पाया जाएगा तो प्रावेदनपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा।(च) प्रस्तावित संस्था के उपयोगार्थ अर्पणित भू-क्षेत्र होना चाहिए
जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार सोसाइटी/
न्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजीकृत पट्टानामा
होना चाहिए।(छ) यदि सोसाइटी/न्यास/प्रस्तावित संस्था के पास अर्पणित भू-क्षेत्र
नहीं होगा तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।(ज) प्रावेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था को मिलकर संस्था और संबंधित
प्राधिकरण के नाम में एक अध्यक्षनिधि सृजित करनी चाहिए जिसकी
अधिकतम वार्षिक प्रक्षिप्त प्रावर्ती व्यय के 30 प्रतिशत या राज्य
सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित राशि या ₹. 10 लाख (इनमें जो
अधिक हो) हो।(झ) प्रावेदन के समय, प्रावेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था के पास
किसी अनुसूचित बैंक में संस्था के नाम कम से कम 9 महीने से
चासु बचत या सावधि जमा खाता (खाने) में परियोजना की कुल
अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत राशि जमा होनी चाहिए।(ड) प्रावेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था की कुल परिस्थितियों को
प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के प्रमाणस्वरूप स्वीकार नहीं
किया जाएगा।(ढ) बचन-पत्रों को प्रस्तावित संस्था को स्थापना के लिए उपलब्ध
राशि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।और तकनीकी सहायक स्टाफ जाने को तैयार नहीं होता। इसलिए,
प्रावेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्थान को यह विश्वसनीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
होगा कि संस्था के लिए स्टाफ उपलब्ध है और उसकी व्यवस्था की जा
सकती है।

संलग्न किए जाने वाले प्रलेखों की सूची

प्रावेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित प्रलेख
संलग्न किए जा रहे हैं:

- (क) सोसाइटी/न्यास आदि के पंजीकरण प्रलेख की एक प्रति। उमके
माथ सोसाइटी/न्यास आदि के गठन की प्रति भी संलग्न करें।
- (ख) संस्था खोलने के लिए प्रति बैठक संगत सरकारी आदेशों की
एक प्रति।
- (ग) संस्थान/वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के संबंधन की प्रति
सहित संबंधक निकाय के पत्र की एक प्रति।
- (घ) प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन पत्रों
(प्रत्येक) की एक प्रति।

(ङ) शिक्षण और परीक्षा स्कीमों सहित वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्य-
क्रमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण की प्रतियां।(च) निम्नलिखित दस्तावेजों के स्पष्ट प्रमाण में सक्षम प्राधिकारियों
के पत्र:

- (1) नक्शों की एक प्रति जिसमें भू-खंड पर वर्तमान तथा प्रस्तावित
भवन (भवनों) का नक्शा (ले-आउट) दिखाया गया हो
और फोटो सहित प्रत्येक भवन का प्लोर नक्शा।
- (2) संस्था के भवन निर्माण के लिए स्थानीय उपनियमों
के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे।
- (3) भवनों का समापन/कच्चा प्रमाणपत्र।
- (4) शहरी भूमि विकास प्राधिकरण की अनुमति।

(छ) भूमि पंजीकरण कागजों/पंजीकृत पट्टानामा की एक प्रति (जो
लागू हो)।(ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाणपत्र की एक
प्रति जिसमें संस्था के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करने
की अनुमति दी गई हो।(झ) प्रावेदक के अधिशासी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस माध्यम का
प्रमाण-पत्र कि भूमि और सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य
संस्था/गतिविधि के लिए नहीं किया जा रहा है।(ड) एक रेखाचित्र जिसमें प्रत्येक भू-खंड का क्षेत्र दिखाया गया हो
और भू-खंडों की मध्य दूरियां दी गई हों, यदि भूमि क्षेत्र में
एक से अधिक भू-खंड शामिल हों।(ढ) शहर की सड़कों के नक्शे की एक प्रति जिसमें संस्था की
प्रवर्तित दिखाई गई हो।(ड) शिक्षण तथा परीक्षा स्कीमों सहित प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्य-
क्रमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण की प्रतियां।(ङ) अतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने
के लिए राज्य सरकार के सफाई/अधेक्षण पत्र की एक प्रति।(च) प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने
से संबंधित संबंधक निकाय के राजामंदी पत्र की एक प्रति।

(छ) विचार निधि/प्रत्येक निधि सावधि जमा रसीदों की फोटो

(त) शेष निधियों की उपलब्धता के संबंध में अद्यतन बैंक विवरणों, सावधि जमा रसीदों आदि की फोटो प्रतियां।

(प) संस्थान के पिछले तीन वर्षों के प्राय-व्यय के विधिवत् परीक्षित विवरणों, तुलनपत्र और लेखापरीक्षित रिपोर्टों की फोटो प्रतियां।

(द) प्रतिरिक्त निधियां जुटाये जाने की पुष्टि में अधिप्रमाणित प्रलेख।

(घ) अधिप्रमाणित दस्तावेज जिनमें प्रक्षिप्त जनशक्ति मांग और प्रस्तावित विषयों के स्व-रोजगार की संभावनाओं का औचित्य सिद्ध किया गया हो।

(न) भवन (भवनों) के निर्माण के लिये स्थानीय उपनियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित भवन (भवनों) के अनुमोदित प्लान नक्शे (अर्थात् सिविल ड्राइंग)।

(प) भनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिये दावे की पुष्टि में अधिप्रमाणित प्रलेख।

(फ) वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिये संबंधित दावे के समर्थन में अधिप्रमाणित प्रलेख।

(ब) न्यायिकेतर स्टॉप कागज पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सामान्य शर्तों का अनुपालन करने के लिये एक वचनबंध जो संलग्न फॉर्मेट के अनुसार उप-पंजीयक या अन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां विधिवत् पंजीकृत हो।

(भ) संस्थान के प्रबंध के लिये जिम्मेदार निकाय/परिषद्/समिति की गत तीन बैठकों का कार्यवृत्त।

अनुबंध—I

न्यायिकेतर स्टॉप कागज पर वचनबंध प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो उप-पंजीयक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो।

मैं/हम (कालेज/संस्थान/मंडल/न्यास/सोसाइटी आदि के न्यासी/अध्यक्ष/प्रिंसिपल/निदेशक का नाम) एतद्वारा वचन देता हूँ/दिते हैं कि मैं/हम—सत्र से (पाठ्यक्रम/कालेज का नाम) आरंभ करने/स्थापित करने/सीटों की प्रवेश क्षमता से संबंधित अपने आवेदन(पत्र) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करूँगा/करेंगे:

1. प्रबंधक वर्ग (इसमें संस्थान/कालेज का शासी निकाय भी शामिल है) का गठन तथा निकाय/परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति परिषद् के मार्गनिर्देशों के अनुसार की जायेगी (अनुबंध—II)।

2. प्रबंधक वर्ग आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिये परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानकों एवं मानदंडों के अनुसार विकसित भूमि में निवेश करने तथा संबंधित आधार-संरचनात्मक, शिक्षणात्मक एवं अन्य सुविधाएँ, प्रदान करने के लिये निधियां उपलब्ध करायेगा।

3. पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों का संचालन तकनीकी कर्मियों की निर्धारित मांगों के अनुसार किया जायेगा।

4. (क) दाखिले संबंधित तकनीकी संस्थाओं प्रवेशार्थ परिषद् के विनियम एवं निर्देशिका के अनुदिये जायेंगे।

(ख) पाठ्यक्रमों में केवल तभी दाखिले दिये जा जब न्यूनतम अपेक्षित/विहित सुविधायें सृजित कर दी होंगी और संबंधक विश्वविद्यालय/राज्य बोर्ड ने पाठ्य आरंभ करने की अनुमति दे दी होगी।

(ग) संस्था परिषद् की पूर्व सहमति के बिना नि संस्था को बंद नहीं करायेगी या बंद कराने की अनुम नहीं देगी या पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को बंद नहीं कराये अथवा सीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं करेगी।

5. शिक्षा तथा अन्य शुल्क परिषद् द्वारा समय-पर निर्धारित किये गये मानदंडों के अनुसार लिये जा छात्रों/अभिभावकों से किसी भी रूप में कोई भी प्रति व्य. फीस नहीं ली जायेगी।

6. संस्था के लेखाओं की परीक्षा प्रति वर्ष नि सनदी लेखाकार द्वारा की जायेगी और परिषद् या या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उनका कभी निरीक्षण किया जा सकेगा।

7. शिक्षण तथा अन्य स्टाफ, का चयन परिषद् समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं, अर्हताओं अनुभव के अनुसार किया जायेगा।

8. प्रबंधक वर्ग अन्य उन शर्तों का भी पूरा पा करेगा जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जायेंगी।

9. यदि (सोसाइटी/न्यास/मंडल/कालेज/संस्था आदि का नाम) परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित/विहित किये गये मार्ग-निर्देशों, मानकों तथा शर्तों का पालन नहीं करेगा तो परि या कोई निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को किन्हीं भी संबद्ध मुद्दों पर विचार किये बिना संस्था से अनुमोदन या मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी और अनुमोदन या मान्यता वापस लेने की पूरी जिम्मेदा उस (सोसाइटी/संस्थान/कालेज) पर होगी।

10. कोई भी कालेज/संस्थान केवल इस आधार पर कि उसे परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है, संस्थान या आवर्ती व्यय आदि के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार से स्वतः सहायता-अनुदान प्राप्त करने का दावेदार नहीं बनेगा।

(वचन देने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और उसका पद)

स्थान :

दिनांक :

(सील)

1. कोष्ठकों में संगत विवरण दिया जाना चाहिये।

147

C.]

निकाय

संसा

शायि

ग

यक

किसी

मति

योग

गी।

समय

यगे

क्ति

किसी

बोर्ड

कभी

द्वारा

एव

पालन

गी।

म)

ग-

पद

भी

या

गी,

दारी

कि

य

न

का

भारत का राजपत्र : प्रसाधरण

35

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि स्टॉप कागज तथा

प्रतिप्रमाणन उचित रूप से किया गया है।

प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं के शासी निकाय
का माडल गठन

शासी निकाय में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित कम से कम दो सदस्य होंगे। पंजीकृत सोसाइटी/न्यास अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित 6 सदस्यों को नामित करेगा और बाकी सदस्यों का नामन इस प्रकार किया जायगा:—

अध्यक्ष का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जायगा।

सदस्यों का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जायगा।

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नामिती—
राष्ट्रीय अधिकारी (पटैन)

उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद/शिक्षाविद का नामन
राष्ट्रीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल से परिषद के नामिती
संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जायगा।

सामान्य सूचना

संस्था का नाम और पता तथा तार पता, फैनस और फोन नंबर
(एस टी डी कोड सहित)

संस्था के अध्यक्ष का नाम और पद तथा निवास और कार्यालय का
पता (एस टी डी कोड सहित)

संस्था का प्रकार (निम्नलिखित में से किसी एक को निर्दिष्ट करें)

ग्राइवेट-पैर-अनुदान प्राप्त/ग्राइवेट/सहायता प्राप्त सरकारी (केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित क्षेत्र) अन्य (निर्दिष्ट करें)

किसी ग्राइवेट संस्था के मामले में न्यास/सोसाइटी आदि का पूरा डाक पता और अध्यक्ष का नाम, और तार पता, फैनस और फोन नं. (कोडक) में
(एस टी डी कोड सहित) दिया जाए।

संस्था की स्थापना की तारीख (रूपया सरकार के संगत आदेश की प्रति संलग्न करें)।

संबंधित विश्वविद्यालय/निकाय का नाम और पूरा डाक पता लिखिए। कुलपति और कुल सचिव या समकक्ष अधिकारियों के नाम और फोन नम्बर भी

लिखित सूचना:

प्रस्तावित किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम :

क्षेत्र/विशेषज्ञता	पूर्ण/ अंशकालिक	प्रवधि (वर्ष)	स्वीकृत प्रवेश	प्रारंभ वर्ष
सिविल इंजीनियरी	पूर्णकालिक	4	60	1972
यांत्रिक इंजीनियरी	अंशकालिक	4	30	1980
वास्तुकला	पूर्ण कालिक	5	60	1989
कामेसी	पूर्णकालिक	4	60	1985
मशीन डिजाइन	पूर्णकालिक	1.5	10	1982
ताप इंजीनियरी	अंशकालिक	3	10	1984

8. संबंधक निकाय/विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का नामिती।

9. राज्य सरकार का नामिती—तकनीकी शिक्षा निर्देशक (पदन)।

10. राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया क्षेत्र से एक उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद/शिक्षाविद।

11. संबंधित तकनीकी संस्था का प्रिंसिपल/निर्देशक (सोसाइटी/न्यास के नामिती के रूप में)—सदस्य-सचिव।

तकनीकी संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत सोसाइटी के नामितियों और संबंधित क्षेत्र के शिक्षाविदों की इतनी ही संख्या जोड़कर सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन शासी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।

शासी निकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति

शासी निकाय का अध्यक्ष मुख्यतः एक तकनीकी व्यक्ति अर्थात् कोई उद्यमी या उद्योगपति या विद्यार्थी शिक्षाविद होगा जो तकनीकी शिक्षा के विकास में रुचि रखता हो और मूल सोसाइटी/न्यास का सदस्य हो तथा जिसने विशेषतः उच्च कोटि की शिक्षा को बढ़ावा देने में रुचि प्रदर्शित की हो।

—यदि हाँ, प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सभी प्रमुखोदय प्रयोगों की प्रति संलग्न की जाएगी।
—यदि संभावित किए जा रहे किसी कार्यक्रम (प्रमुखों) को प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने प्रमुखोदय प्रदान नहीं किया है तो उसका कारण बताएँ।

2.3 वर्तमान पाठ्यक्रमों में प्रवेश:	प्रवेश के लिए प्रसिद्धता	प्रवेश विधि तथा प्रमाण
<p>उत्तराखण्ड विद्यालयों का नाम</p> <p>उत्तराखण्ड विद्यालयों का नाम</p>	<p>उत्तराखण्ड विद्यालयों का नाम</p> <p>उत्तराखण्ड विद्यालयों का नाम</p>	<p>उत्तराखण्ड विद्यालयों का नाम</p> <p>उत्तराखण्ड विद्यालयों का नाम</p>

2.4 यदि दाखिल ग्रहक परीसा (यसा 10+2 ग्रदि) में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाते हैं तो भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में निम्नलिखित न्यूनतम कुल प्रतिशत अंकों और न्यूनतम औसत प्रतिशत अंकों के संबंध में सभी दाखिलों का यूपीसी दीजिए।

2.5 स्वीकृत एवं वास्तविक दाखिले : स्वीकृत (स्वी) और वास्तविक (वा.) प्रवेश

स्वीकृत (स्वी) और वास्तविक (वा.) प्रवेश	
199-9	199-9
स्वी. वा.	स्वी. वा.
199-9	199-9
स्वी. वा.	स्वी. वा.

2.6 स्वीकृत प्रवेश के प्रतिशत के रूप में सीटों का वितरण प्रारक्षण

बितरण		प्रबंध	प्रनु.जा./ प्रनु.ज.जा.	वार्षिक राज्य के बाहर जन जातीय	अन्य
राज्य सरकार					

EC. 4)

[भाग III-बन्ध 4]

2.7 बिगत पूरे 2 शैक्षिक वर्षों के दौरान प्रथम वर्ष के छात्र-नामांकन का व्योरा (2 वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	कुल स्वीकृत	कुल प्रवेश	निम्नलिखित के कुल दाखिले	कुल ड्राप-माउट	निम्नलिखित में से कुल ड्रापमाउट	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
			घनू.जा. / ग्रामीण राज्य लड़कियां		घनू.जा. / ग्रामीण राज्य लड़कियां	
			घनू.ज. और के		घनू.ज. और के	
			जा. जन- बाहर		जा. जन- बाहर	
			जातीय		जातीय	

(क) पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

ग्राम्य (निदिष्ट करें)

(ख) स्नातकोत्तर

पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

ग्राम्य (निदिष्ट करें)

(ग) पाठ्यक्रम या

समकक्ष

(घ) अन्य

2.8 बिगत पूरे 2 शैक्षिक वर्षों के दौरान द्वितीय वर्ष के छात्र-नामांकन का व्योरा (2 वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	कुल स्वीकृत प्रवेश	कुल प्रवेश	निम्नलिखित के कुछ दाखिले	कुल ड्राप-माउट	निम्नलिखित से कुल ड्रापमाउट	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
			घनू.जा. / ग्रामीण लड़कियां पारिवर्तिक		घनू.जा. ग्रामीण लड़कियां पारिवर्तिक	
			घनू.ज. और प्रवेशक		घनू.ज. और प्रवेशक	
			जाति जन- जातीय		जा. जन- जातीय	

(क) पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

ग्राम्य (निदिष्ट करें)

(ख) स्नातकोत्तर

पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

ग्राम्य (निदिष्ट करें)

(ग) पाठ्यक्रम या

समकक्ष

(घ) अन्य

2.9 यदि कुछ पाठ्यक्रमों में पारिवर्तिक प्रवेश द्वारा भी दाखिले किए जाते हैं तो पारिवर्तिक दाखिले की प्रवेश प्रहंता का व्योरा और पारिवर्तिक प्रवेश के लिए प्रवेश-आधारित सीटों का प्रतिशत तथा पारिवर्तिक प्रवेशकों की न्यूनतम दाखिला प्रहंता का विवरण दीजिए।

2.10 संबंधक संस्था के कैलेंडर के अनुसार दाखिले प्रारंभ और बंद करने की तारीखें।

2.11 बिगत दो शैक्षिक वर्षों के दौरान अंतिम परीक्षा परिणामों का विवरण (दो वर्षों का जोड़)

छात्रों का प्रकार	परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	कुल उत्तीर्ण छात्र	विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण छात्र	प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र	द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र
-------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

(क) पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

ग्राम्य (निदिष्ट करें)

(ख) स्नातकोत्तर

पूर्व-स्नातक

पूर्व-स्नातक

ग्राम्य (निदिष्ट करें)

2. 12 विगत दो शैक्षिक वर्षों के दौरान संस्था के कार्य समय का व्यौरा (बीसत)

प्रति सेमेस्टर/ प्रतिवर्ष प्रत्याशित कार्य दिवसों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/ प्रतिवर्ष वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/ प्रतिवर्ष शिक्षण संबंधी काम के घंटों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/ प्रतिवर्ष वास्तविक संपर्क घंटे	प्रकाश के दिनों की संख्या	परीक्षा के लिए व्यतीत गए दिनों की संख्या
---	---	--	---	------------------------------	---

2. 13 विगत दो शैक्षिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण छात्रों को नौकरी दिलवाने का न्यारा (2 वर्ष का जोड़)

पाठ्यक्रम	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3 महीने के भीतर नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3—6 महीने के अंतर्गत नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 6—12 महीने के अंतर्गत नौकरी दिलवाई गई
-----------	----------------------------	--	---	--

3. 0 शिक्षण संकाय के बारे में सूचना

3. 1 कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिए संकाय की संख्या।

संकाय का प्रकार	स्वीकृत संख्या				स्थानों की संख्या			
	पूर्व- स्नातक	स्नात- कोत्तर	अन्य	जोड़	पूर्व- स्नातक	स्नात- कोत्तर	अन्य	जोड़
पूर्णकालिक								
अंशकालिक								
अध्यागत								

3. 2 विगत दो वर्षों के दौरान वर्तमान शिक्षण संकायों की वर्गवार संख्या दीजिए

संकाय काउट	निम्नलिखित तारीखों की		निम्नलिखित के अनुसार धारा की	
			प्रपक्षित संख्या	(तारीख)
	जन. 1, 199	जन. 1, 199	राज्य/विश्वविद्यालय के मानक	"प्रभातशिप"† के मानक

प्रिंसिपल

प्रोफेसर

सह-प्रोफेसर

रीडर

सहायक प्रोफेसर

वरिष्ठ लेक्चरर

लेक्चरर

अन्य

† "प्रभातशिप"—प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्।

[भाग III-अध्याय 4]

3.3 परिलिखितों और प्राप्ति का व्योरा

विवरण	प्रोफेसर	सह-प्रोफेसर	रीडर	सहायक प्रोफेसर	वरिष्ठ लेक्चरर	लेक्चरर	अन्य
संकाय की संख्या							
न्यूनतम प्राप्ति (बर्ष)							
अधिकतम परि- लिखित							
न्यूनतम परि- लिखित							
संकाय में सेवा की न्यूनतम अवधि							
संकाय में सेवा की अधिकतम अवधि							
संकाय में सेवा की न्यूनतम अवधि							

3.4 वत 2 वर्षों के दौरान कर्मशाला, पुस्तकालय तथा अन्य सहायक स्टाफ की वर्गवार संख्या

विवरण	निम्नलिखित तारीखों की संख्या	निम्नलिखित के अनुसार (तारीख)	को प्रेषित संख्या
संकाय काबर			
जन. 1, 199	जन. 1, 199	राज्य/विश्वविद्यालय के मानक	प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानक

कर्मशाला अधीक्षक
कोरसेन इन्स्ट्रक्टर
कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर/
सहायक इन्स्ट्रक्टर
कुशल सहायक
प्रयोगशाला तकनीशियन/
सहायक
पुस्तकालयाध्यक्ष
पुस्तकालय सहायक
सिस्टम मैनेजर
सिस्टम विश्लेषक
कम्प्यूटर प्रोग्रामर

3.5 निम्नलिखित कार्य-कलापों के लिए प्रति सप्ताह कार्यभार
(एक सप्ताह में इयूटी के कुल घंटों की प्रतिशतता में)

कार्य-कलाप	प्रोफेसर	सह- प्रोफेसर-	रीडर	सहायक प्रोफेसर	वरिष्ठ लेक्चरर	लेक्चरर	अन्य
शिक्षण							
अनुसंधान							
प्रशासन							
संस्थान/कालेज							
विकास मार्ग-							
दर्शन एवं							
उपबोधन							
परामर्श							
प्रशिक्षण एवं							
स्थानन							
अन्य							

3.6 संकाय का व्योरा (नाम, पद, और अनुभव आदि)

नाम पद	कुल अनुभव	शिक्षण का कुल अनुभव	नियुक्ति को तारीख	नियुक्ति का- स्तर	वर्तमान वेतनमान तथा तारीख जिससे यह वेतनमान दिया गया है	इस तारीख को कुल वेतन	कुल परिलब्धियां
--------	-----------	------------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------	-----------------

लेक्चरर, वरिष्ठ लेक्चरर, सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अन्य यदि हों।

3.7 कृपया बताएं कि क्या सभी वर्तमान संकायों को भर्ती अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा इंजीनियरिंग कालेजों के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया, अनुभव और पदों के अनुसार की गई है।

3.8 कृपया बताएं कि शिक्षण संकाय के कितने प्रतिशत संकाय सदस्यों को मत दो व सैद्धांतिक वर्ष से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के वेतनमानों के अनुसार प्रदायगी की जा रही है।

3.9 कृपया संकाय सदस्यों को प्रदत्त सेवा हितलाभों यथा—छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा, व्यव को प्रतिपूर्ति, आवास व्यवस्था, बच्चों के लिए स्कूल आदि का विवरण दीजिए।

3.10 संकाय सदस्यों को प्रदत्त सेवानिवृत्ति और समय पूर्व सेवानिवृत्ति हितलाभ।

4.0 कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाएं

कृपया वर्तमान सुविधाओं (टर्मिनलों की संख्या, कम्प्यूटरों का प्रकार) और स्टाफ (शिक्षण स्टाफ को छोड़कर स्टाफ का स्तर और संख्या) का व्योरा दीजिए।

5.0 पुस्तकालय की सुविधाएं

5.1 पुस्तकें

वर्ग	गत 3 वर्षों के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	प्राप्त की तारीख पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या
------	--	--	--

(क) पाठ्य पुस्तकें

(ख) संदर्भ पुस्तकें

(ग) विश्वकोष

153

102

5.2 पत्रिकाएं

पत्रिकाओं की वर्तमान संख्या

(क) सहायक विभाग :

भारतीय

विदेश

(ख) इंजीनियरी विभाग

भारतीय

विदेश

(ग) अन्य विभाग

भारतीय

विदेश

6.0 प्रयोगशालाएं

विभाग	प्रत्येक विभाग के लिये विभिन्न प्रयोगशालाओं के नाम	गत 3 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
भौतिक इंजीनियरी	यांत्रिकी और गुड गतिविज्ञान	रु. 82.00 लाख
रासायनिक इंजीनियरी	तरल यांत्रिकी मशीनरी	रु. 25.00 लाख
विद्युत इंजीनियरी	संवेक्षण	रु. 2.00 लाख
परिवहन इंजीनियरी	परिवहन इंजीनियरी	रु. 05.00 लाख

टिप्पणी : विभिन्न कालकों में दिये गये विषय एवं संख्याएं केवल उदाहरण के लिये हैं।

कृपया प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये वर्तमान कीमतों पर रु. 5000 तथा अधिक लागत वाले उपस्कर की सूची संलग्न कीजिये।

6.1 कारखाना

विभाग	विभिन्न शापों के नाम	गत 3 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
भौतिक इंजीनियरी	मशीन शाप	रु. 5.00 लाख
परिवहन इंजीनियरी	फिटिंग शाप	रु. 3.00 लाख

टिप्पणी : विभिन्न कालकों में दिये गये विषय और संख्याएं केवल उदाहरण के लिये हैं।

कृपया प्रत्येक शाप के लिये वर्तमान कीमतों पर रु. 5000 या अधिक की लागत वाले उपस्करों की सूची संलग्न कीजिये।

7.0 शिक्षण स्कीम और परीक्षा योजना सहित संस्था द्वारा प्रस्तावित गये पाठ्यक्रमों की एक प्रति संलग्न कीजिये।

8.0 कुर्सी क्षेत्र (नग्न मीटर)

निर्माण का प्रकार	शिक्षण भवन	प्रशासनिक भवन	मुख्यालय	छात्रावास	निवास	कुल क्षेत्र
(क) भार हो लो						
(ख) शेट						

संस्था के प्रमुख पर भवनों का एक नक्शा दीजिए।

टिप्पणी : कृपया निम्नलिखित के विषय में स्पष्ट प्रमाण संलग्न कीजिये।

(क) संस्था के प्रयोजनों के लिये भवन का उपयोग।

(ख) भवन निर्माण के लिये स्थानीय उप निग्रहों के अनुस्तर संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदित नक्शे।

(ग) भवनों का स्थापन/वर्ना प्रमाणपत्र।

(घ) शक्ती विकास प्राधिकरण की अनुमति।

9.0 भूमि उपलब्धता (बर्गमीटर)

शैक्षिक और प्रशासन

खेल के मैदान

छात्रावास

स्टाफ

क्वार्टर

अन्य

जोड़

कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कीजिये कि भूमि पर संस्था/व्यास का कन्ना है और भूमि उपयोग की अनुमति है तथा यह गारंटी है कि उल्लिखित भूमि केवल संस्था के उपयोग के लिये उपलब्ध है और इसका उपयोग किसी अन्य संस्था/गतिविधि के लिये नहीं किया जायेगा। कृपया यह भी उल्लेख करें कि कितनी भूमि क्षेत्र में एक या अधिक मूखंड शामिल हैं।

10.0 छात्र विकास, आचार तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण:

उन अवसरों का उल्लेख कीजिये जो विभाग में छात्रों को संगत तकनीकी/व्यावसायिक सोसाइटियों में सहभागिता और मददगार के लिये उपलब्ध हैं। ये अवसर विभाग द्वारा कैसे उपलब्ध कराये जाते हैं।

11.0 गत 3 वर्षों के दौरान, परामर्श, प्रायोजित अनुसंधान, व्यावसायिक विकास आदि।

11.1 परामर्श दत्तकार्यों और ग्राहक संगठनों के नामों सहित कुल आय तथा प्रत्येक दत्तकार्य की अवधि और नाम, कुल आय आदि ब्यौरा दीजिये।

11.2 परियोजना के प्रायोजक संगठनों के नाम, परियोजना के नाम तथा कुल मूल्य सहित प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं तथा कुल आय का ब्यौरा दीजिये।

11.3 शैक्षिक प्रवृत्तियों, शिक्षण कौशल आदि के सुधार के लिये प्रयत्न प्रायोजित संकाय संख्या।

कृपया संकाय के नाम, पदनाम, वृद्धि प्रवृत्तियों के नाम उन्नत कौशल आदि का उल्लेख कीजिये।

11.4 सम्मेलनों तथा अन्य व्यावसायिक बैठकों में भाग लेने के लिये प्राप्त तक प्रायोजित संकायों की संख्या और इस प्रयोजन के लिये खर्च की गई कुल राशि।

कृपया संकाय का नाम, पदनाम, सहभागिता सम्मेलन/बैठकों का नाम दीजिये और स्थान और तारीख आदि का उल्लेख कीजिये।

11.5 आयुक्ती संस्था द्वारा संचालित अनुवर्ती इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या तथा सहभागियों की कुल संख्या।

कृपया कार्यक्रम का नाम, तारीख और अवधि, सहभागियों की संख्या आदि दीजिये।

12.0 वित्तीय

12.1 गत 2 वार्षिक वर्षों के दौरान आवर्ती व्यय तथा प्रनावर्ती व्यय के रूप में कुल व्यय।

12.2 वित्तीय सहायता के स्रोत :

स्रोत	आवर्ती व्यय	प्रनावर्ती व्यय
-------	-------------	-----------------

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सीधे प्राप्ति)

राज्य सरकार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य स्रोत

निजी व्यास

दान

छात्रों से फीस

आंतरिक राजस्व

उत्पादन

अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

जोड़

12.3 गत 2 वर्षों के दौरान प्रति छात्र बसूल की गई कुल वार्षिक फीस का उल्लेख कीजिये (इनमें शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला फीस शामिल हैं लेकिन छात्रावास फीस और खाद्य भरण शामिल नहीं हैं)।

13.0 गत 2 वर्षों के दौरान प्राप्त किये गये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन

पाठ्यक्रम/(पाठ्यक्रमों) संस्थाओं का नाम

वार्षिक प्रवेश

प्रारंभ करने का वर्ष

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

मोदन की संख्या

तारीख

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण

[अध्याय-4]

14.0 प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रतिरिक्त छात्रों से संबंधित सूचना :

14.1 प्रारंभ किये जाने वाले प्रस्तावित शैक्षिक कार्यक्रम :

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवधि (वर्षों में)	प्रवेश छात्र संख्या	प्रारंभ करने का प्रस्तावित वर्ष	प्रवेश स्तर/निम्नतम योग्यता
तैलकौनिक इंजीनियरी	4	60	1993-94	12+
कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	4	60	1993-94	12+
ग्राफिक इंजीनियरी	4	60	1993-94	12+

टिप्पणी : विभिन्न कालमों में दिये गये विषय एवं संख्याएँ केवल उदाहरण के रूप में हैं।

14.2 शिक्षण और परीक्षा स्कीम के साथ प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये संस्था द्वारा प्रस्तावित जाने वाले पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण प्रतियां साथ लगाएं।

14.3 शैक्षिक कार्यक्रम जिनमें छात्र प्रवेश संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है :

पाठ्यक्रम का नाम	संस्कृत छात्र संख्या	प्रस्तावित छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि	प्रवधि (वर्षों में)	प्रस्तावित वर्ष जिसमें छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि करनी है	प्रवेश स्तर/निम्नतम योग्यता
तैलकौनिक एवं संचार इंजीनियरी	45	15	4	1993-94	12+
ग्राफिक इंजीनियरी	30	15	4	1993-94	12+
सर्विस इंजीनियरी	30	15	4	1993-94	12+

टिप्पणी : विभिन्न कालमों में दिये गये विषय एवं संख्याएँ केवल उदाहरण के लिये हैं।

15.0 क्या प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा समर्थित है? यदि हां, तो राज्य सरकार के पत्र को प्रति संलग्न करें।

16.0 क्या संबद्ध करने वाले निकाय (प्रस्तावित पाठ्यक्रमों) को संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय) से प्रश्नित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या स्वीकृति दिये जाने की शर्त के आधार पर सहमति प्राप्त कर ली गई है, यदि हां, तो सहमति पत्र को प्रति संलग्न करें।

17.0 वित्त :

17.1 क्या निकाय निधि/प्रक्षय निधि स्थापित कर ली गई है और उसे राज्य सरकार के पास बंधक रख दिया गया है? यदि हां, तो उतका मांग संलग्न करें।

17.2 पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि के संबंध में होने वाले यावर्ती और अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिये उपलब्ध संधियों का व्योरा प्रस्तुत करें और इसके समर्थन में नवीनतम बैंक-विवरणिकाएँ, एक बी प्रार की रसीदें आदि संलग्न करें। बचत-पत्र स्वीकार्य नहीं हैं।

17.3 प्रस्तावित प्रतिरिक्त पाठ्यक्रमों छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि के लिये प्रतिरिक्त निधि जरूरतों का यदि कोई हो, व्योरा दें :

विवरण

राशि रुपयों में

यावर्ती

(क) शिक्षण कर्मचारियों का वेतन

(ख) गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन

(ग) छात्रवृत्तियां

(घ) यात्रा व्यय

(ङ) अन्य यावर्ती व्यय

आदि यावर्ती व्यय का जोड़ :

अनावर्ती

(क) प्रतिरिक्त भवन

(ख) प्रतिरिक्त उपकरण

(ग) अन्य

आदि अनावर्ती व्यय का जोड़ :

18.0 अधिकृत

18.1 क्या एक या अधिक प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में छात्र प्रवेश संख्या में प्रस्तावित वृद्धि वाले पाठ्यक्रम जिनके एक या अधिक संस्थानों में पहले से चलाये जा रहे हैं जहाँ कालेज स्थित है? यदि हाँ, तो संस्थानों, चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों का नाम दें और साथ में वहाँ में स्वीकृत छात्र प्रवेश संख्या का विवरण दें।

संस्था	पाठ्यक्रम	अधिकृत प्रवेश
--------	-----------	---------------

टिप्पणी : जो लागू न हो उते काट दें।

18.2 पिछले शैक्षिक वर्ष में, प्रत्येक प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में छात्र प्रवेश संख्या में प्रस्तावित वृद्धि वाले पाठ्यक्रमों में राज्य में कुल छात्र प्रवेश संख्या का उल्लेख करें:

प्रस्तावित प्रतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) जिनमें प्रतिरिक्त छात्र प्रवेश अपेक्षित है, उसका नाम	राज्य में कुल छात्र प्रवेश संख्या
--	-----------------------------------

टिप्पणी : जो लागू न हो उते काट दें।

18.3 18.1 एवं 18.2 को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विषयों और प्रवेश/वर्तमान विषयों में छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का अधिकृत प्रक्षेपित जनशक्ति-मांग एवं औद्योगिक दृष्टिकोण और स्वरोजगार की संभावना की तुलना में दें।

18.4 वर्तमान प्रस्ताव के अलावा, संस्था के संश्लेष-आधार के विस्तार, उच्च-प्रवेश में वृद्धि, नये पाठ्यक्रमों की शुरुआत, अनुसूचित जाति/पाश्वर्कियों का संचालन, भाषा को नर्सिंग योजना का उल्लेख करें:

पाठ्यक्रम का नाम	पूर्णकालिक/अर्धकालिक प्रवृत्तों	प्रस्तावित छात्र प्रवेश संख्या	प्रारंभ करने का वर्ष
------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------

19.0 प्रतिरिक्त आधार-संरचना

19.1 यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रतिरिक्त प्रवेश के लिये भवन स्थान उपलब्ध है तो निम्नांकित कुरसी क्षेत्र (बर्ग मीटर) में दें।

निर्माण का प्रकार	शिक्षण भवन	प्रशासनिक भवन	सुविधाएँ	अनावास	निवास	कुल क्षेत्र
-------------------	------------	---------------	----------	--------	-------	-------------

(क) भार सी सी

(ख) गैर

19.2 यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रतिरिक्त छात्र प्रवेश के लिये प्रतिरिक्त भवन स्थान के निर्माण की आवश्यकता है तो अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों और मानदंडों के अनुसार वर्षवार प्रतिरिक्त शिक्षण क्षेत्र (कक्षा, अनुशिक्षण कक्ष, ड्राइंग हॉल, प्रयोग-शाला आदि) प्रशासनिक क्षेत्र (काबालिय, स्टॉक कक्ष, आदि) सुविधाएँ (विनोद कक्ष, खेल-रूढ़ कक्ष, एन सी सी, एन एन एन, कैंटीन, लाबी केन्ट, आदि) और आवासीय क्षेत्र, छात्रावास स्टॉक-क्वार्टर आदि) का उल्लेख करें। संस्था के पास उपलब्ध भूमि में वर्तमान भवन के सामने में प्रतिरिक्त भवन निर्माण का निष्ठाउट प्रस्तुत करें।

स्थान का नाम	वर्ष के दौरान निर्माण किया जाने वाला क्षेत्र कुलों	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि से पूर्व समय अवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
--------------	--	--	--	--------------	------------	-------------

मञ्चा

अनुशिक्षण कक्ष

ड्राइंग हॉल

4) निम्नलिखित वर्षों के दौरान

19.3 क.सं. 19.2 में उल्लिखित प्रतिरिक्त भवनों के निर्माण पर हुए व्यय का वर्ष शान्कनन दीजिये।

स्थान का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रतिरिक्त स्थान के निर्माण का व्यय			
पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि शुरू होने से पहले की अवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का प्रथम वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का दूसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का चौथा वर्ष
कक्षाएं				
प्रशिक्षण कक्षाएं				
प्रायोगिक कक्षाएं				
कर्मशालाएं				

स्थानों के नाम केवल उदाहरण के लिये हैं। अधिक विवरण के लिये "प्रशासनिक" के संबंधित मानक एवं मानदंडों का प्रयोग करना करें।

19.4 प्रयोगशालाएं-कृपया विभिन्न प्रयोगशालाओं के स्थापना (प्रधान प्रयोगशालाओं के उपकरणों से लैस करने तथा उनका उपयोग प्रारंभ करना) की योजना दीजिये। साथ ही, वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में प्रतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रस्तावित प्रवेशों को लागू करने के लिये उपकरणों, उपकरणों, जुड़नार और फिटिंग, फर्नीचर आदि की अधिप्राप्ति के लिये अनुमानित लागत भी दीजिये।

प्रयोगशाला का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये व्यय			
पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि शुरू होने से पहले की अवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का प्रथम वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का चौथा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का चौथा वर्ष

विस्तृत विवरण के लिये कृपया मानक एवं मानदंड तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या देखें।

19.5 कर्मशालाएं

कृपया प्रतिरिक्त कर्मशालाओं यदि हो तो वर्षवार कार्ययोजना दीजिये। साथ ही वर्तमान पाठ्यक्रमों में प्रतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/लागू करने प्रवेशों में प्रस्तावित वृद्धि करने के लिये उपकरण, औजार, मशीनें, फर्नीचर, जुड़नार तथा फिटिंग प्राप्त करने के लिये अनुमानित लागत भी प्रस्तुत कीजिये।

कर्मशाला का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न कर्मशालाओं की स्थापना के लिये व्यय			
पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि शुरू होने से पहले की अवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का प्रथम वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का दूसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि का चौथा वर्ष

व्यय के लिये मानक एवं मानदंड तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या दीजिये।

19.6 अभिकलन सुविधाएं

कृपया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मशीनें, फर्नीचर, फिटिंग, और जुड़नार आदि की प्राप्ति के लिये वर्षवार कार्ययोजना प्रस्तुत करें ताकि लागत शान्कननों के साथ विद्यमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में प्रतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रस्तावित छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि को लागू करने के लिये कंप्यूटर केंद्रों को सज्जत बनाया जा सके।

सुविधाएं	निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न कंप्यूटर सुविधाओं की स्थापना के लिये व्यय			
छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि की शुरुआत से पूर्व की अवधि	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का प्रथम वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का दूसरा वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का तीसरा वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का चौथा वर्ष

19.7. पुस्तकालय :

कृपया लागत के प्राक्कलनों के साथ पुस्तकों (पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकें विश्वकोश तथा ग्रन्थ), के प्रतिरिक्त स्टाफ पत्रिकाओं (देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय कर्नलर, जुडनार, फिटिंग आदि को प्राप्त करने के लिए बर्षवार कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

मद	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)
	छात्र प्रवेश संख्या में	छात्र प्रवेश संख्या में	छात्र प्रवेश संख्या में	छात्र प्रवेश संख्या में	छात्र प्रवेश संख्या में
	वृद्धि की गुरुघात से	वृद्धि का प्रथम वर्ष	वृद्धि का दूसरा वर्ष	वृद्धि का तीसरा वर्ष	वृद्धि का चौथा वर्ष
	पूर्व की प्रवृत्ति				

पाठ्यपुस्तकें
संदर्भ पुस्तकें
पत्रिकाएँ

भ्योरे के लिए कृपया मानकों और मानदण्डों तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों की विस्तृत पाठ्यचर्या को देखें)

19.8 शिक्षण संकाय :

कृपया प्रतिरिक्त शिक्षण संकाय (प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, वरिष्ठ लेक्चरर) की भर्तियों के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें। यदि पहले से ही उपलब्ध है तो कृपया प्रत्येक वर्ग के स्टाफ की संख्या का भी उल्लेख करें।

संकाय कांडर	पहले से ही उपलब्ध संकाय का प्रकार की संख्या	निम्न वर्गों के दोषान भर्तों किए जाने वाले की संख्या	प्रशासनिक/पुर्णकालिक/प्रश्यागत	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)
				छात्रप्रवेश संख्या में	छात्रप्रवेश संख्या में	छात्रप्रवेश संख्या में	छात्रप्रवेश संख्या में	छात्रप्रवेश संख्या में
				वृद्धि की गुरुघात से	वृद्धि का प्रथम वर्ष	वृद्धि का दूसरा वर्ष	वृद्धि का तीसरा वर्ष	वृद्धि का चौथा वर्ष
				पूर्व की प्रवृत्ति				

भ्योरे के लिए कृपया प्रभातशिव के संबंध मानक और मानदण्डों को देखें।

19.9 तकनीकी सहायक और अन्य स्टाफ

कृपया प्रतिरिक्त तकनीकी सहायक तथा वर्कशॉप अनुदेशक, फोर्मेन अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय, वर्कशॉप सहायक, पुस्तकालय सहायक आदि जैसे अन्य स्टाफ की भर्तियों के लिए वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करें। यदि पहले से ही उपलब्ध है तो प्रत्येक वर्ग के स्टाफ की संख्या का भी उल्लेख करें।

संकाय कांडर	पहले से विद्यमान संकाय का प्रकार की संख्या	निम्नलिखित वर्गों के दोषान भर्तों किए जाने वाले की संख्या	प्रशासनिक/पुर्णकालिक/प्रश्यागत	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)
				छात्रप्रवेश संख्या में	छात्रप्रवेश संख्या में	छात्रप्रवेश संख्या में	छात्रप्रवेश संख्या में	छात्रप्रवेश संख्या में
				वृद्धि की गुरुघात से	वृद्धि का प्रथम वर्ष	वृद्धि का दूसरा वर्ष	वृद्धि का तीसरा वर्ष	वृद्धि का चौथा वर्ष
				पूर्व की प्रवृत्ति				

भ्योरे के लिए कृपया प्रभातशिव के संबंध मानक और मानदण्डों को

(3) यदि उपर्युक्त से ही उपलब्ध है तो प्रतिवर्तित शिक्षण संकाय।

प्रदत्ता	कुल अनुभव	शिक्षण का कुल अनुभव	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति का स्तर	वर्तमान वेतनमान और तारीख जब से दिया गया है	पेक्षा तारीख को मूल वेतन तद्विषय	कुल परि-
----------	-----------	---------------------	-------------------	------------------	--	----------------------------------	----------

सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल

(3) निम्न प्रयोगशालाओं/वर्कशॉप में उपलब्ध कराये जाने के लिए मुख्य उपकरणों की वर्षवार सूची दें। साथ ही विद्यमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि को लागू करने के लिए दिग्गज रूपरेखा में संशोधन स्वीकार भी दें।

प्रयोगशाला/वर्कशॉप	उपकरण का नाम	संशोधन व्योम	उपलब्ध किए जाने की मात्रा
			I वर्ष II वर्ष III वर्ष IV वर्ष

उपरोक्त करें कि क्या नगरपालिका के पेय जल की नियमित सफाई तथा प्रयोगशाला/वर्कशॉप आदि के लिए अपेक्षित पानी उपलब्ध है। यदि नहीं तो उपरोक्त तकनीकी समस्या का उल्लेख करें।

उपरोक्त करें कि क्या पर्याप्त और नियमित बिजली की सफाई उपलब्ध है/उपलब्ध हो जायेगी इसके समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।

(3) व्यास/सोसाईटी द्वारा संचालित/प्रबंधित तकनीकी संस्थाएं

प्रदत्त नाम	अवस्थिति शहर और राज्य	संचालित पाठ्यक्रम	नया प्रभातशिप (ए आई सी टी ई.) द्वारा अनुमोदित है या नहीं
-------------	-----------------------	-------------------	--

(3) क्या प्रस्तावक का राज्य सरकार या प्रभातशिप के विरुद्ध कोई अदालती मामला है। यदि हां तो तो कृपया संशोधन विवरण दें।

(3) कृपया संलग्न फॉर्म में उपपंजीयक या किसी अन्य समकक्ष मध्यम प्राधिकारी से पंजीकृत न्यायिक स्टांप पर बतवस्तु संलग्न करें।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि :

(क) पिछले पत्र में उल्लिखित सभी कमियों को दूर कर दिया गया है।

(ख) प्रभातशिप द्वारा निर्धारित मार्गदर्शों निम्नलिखित के अनुसार शासी निराकरण गतिविधि किया गया है।

(ग) प्रभातशिप वेतनमान शिक्षण संकाय और अन्य स्टाफ को दे दिए गए हैं।

(घ) पाठ्यक्रम के आधार पर प्रभातशिप के प्रवेश संबंधी मार्गदर्शों निम्नलिखित के अनुसार प्रवेश किए जाते हैं और प्रतिवर्तित शुल्क या किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

(ङ) प्रभातशिप द्वारा निर्धारित प्रदत्तों और अनुभव के आधार पर शिक्षण संकाय और स्टाफ नियुक्त किया गया है।

(च) प्रभातशिप द्वारा निर्धारित समय प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क लिए जाते हैं।

(छ) राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्टाफ और छात्रों को आरक्षण दिया जाता है।

(ज) निर्धारित लेखाकार द्वारा संस्था के लेखाओं को परीक्षित किया जाता है।

(झ) प्रभातशिप के अनुमोदन के बिना (प्रभातशिप के पिछले अनुमोदन से) इसमें कोई नया पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है।

(ञ) अनुमोदित प्रवेशार्थियों की संख्या के बाहर प्रभातशिप अनुमोदित पाठ्यक्रमों के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है।

(3) व्यास/सोसाईटी आदि के अध्यक्ष/सचिव का नाम और हस्ताक्षर

संस्था के अध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

फार्म V

[देखिए, विनियम, 5 (2) (ड)]

इंजीनियरी/प्रायोगिकी, वास्तुकला, फार्मोसी, अनुप्रयुक्त कलाओं आदि

के

वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में अतिरिक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) तथा प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

के अनुमोदनार्थ

आवेदन

इंजीनियरी/प्रायोगिकी, वास्तुकला, फार्मोसी, अनुप्रयुक्त कलाओं आदि के वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में अतिरिक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) तथा प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदनार्थ आवेदन

1. (क) निर्धारित फार्म में तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण आवेदन-पत्र की सात प्रतियां परिषद् के ब्यूरो (पार.सी.) को 31 दिसम्बर तक अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ख) अपूर्ण एवं निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत न किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगे किन्तु जो व्यवस्थित रूप में होंगे उन पर अनुवर्ती शैक्षिक वर्ष में नकारबाई की जाएगी।

(घ) प्रस्ताव केवल ए-4 आकार में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बड़े आकार वाले प्रलेखों का आकार पटाकर ए-4 कर दिया जाना चाहिए।

(ड.) यदि आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों की गलत पाया जाएगा तो आवेदनपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2. (क) प्रस्तावित संस्था के उपयोगार्थ अपेक्षित भू-क्षेत्र होना चाहिए जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार सोसाइटी/न्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजीकृत पट्टादनामा होना चाहिए।

(ख) यदि सोसाइटी/न्यास/प्रस्तावित संस्था के पास अपेक्षित भू-क्षेत्र नहीं होगा तो प्रस्ताव की स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था को मिलाकर संस्था और प्राधिकरण के नाम में एक असहयतिवि सृजित

आवर्ती व्यय के 30 प्रतिशत या राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित राशि या रु. 10 लाख (इनमें जो अधिक हों) हो।

4. (क) आवेदन के समय, आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था के पास किसी अनुसूचित बैंक में संस्था के नाम से कम से कम 9 महीने से चालू बचत या ताबदी जमा खाता (खाते) में परियोजना की कुल अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत राशि जमा होनी चाहिए।

(ख) आवेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था की कुल परिणामशक्तियों को प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता प्रमाणस्वरूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ग) बचत-पत्रों को प्रस्तावित संस्था की स्थापना लिए उपलब्ध राशि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

5. विशेषतः दूरवर्ती क्षेत्रों में यदि कोई संस्था स्थापित की जाती है तो इसके संबंध में स्वामाविक कठिनाइयों से होती कि वहां शिक्षण संकाय और तकनीकी सहायक स्टाफ को तैयार नहीं होता। इसलिए, आवेदक/सोसाइटी/न्यास संस्था को यह विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि संस्था के लिए स्टाफ उपलब्ध है और उसकी व्यवस्था की जा सकती है।

संग्रहित किए जाने वाले प्रलेखों की सूची

आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्न लिखित प्रलेख संग्रहित किए जा रहे हैं:

(क) सोसाइटी/न्यास आदि के पंजीकरण प्रलेख की एक प्रति। उसके साथ सोसाइटी/न्यास आदि के गठन प्रति भी संग्रहित करें।

(ख) संस्था खोलने के लिए प्रति बैठक संगत सरकार आदेशों की एक प्रति।

(ग) संस्थान/वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के संबंधन की प्रति सहित संबंधक निकाय के पत्र की एक प्रति।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन पत्रों (प्रत्येक) की एक प्रति।

(ड.) शिक्षण और परीक्षा स्कीमों सहित वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य विवरण की प्रतियां।

(ब) निम्नलिखित दस्तावेजों के स्पष्ट प्रमाण में संस्था प्राधिकारियों के पत्र:

(1) नक्शे की एक प्रति जिसमें भू-खंड पर वर्तमान तथा प्रस्तावित भवन (भवनों) का नक्शा (देखाउट) दिखाया गया हो और फोटो सहित प्रत्येक भवन का फ्लोर नक्शा।

(2) संस्था के भवन निर्माण के लिए स्थानीय उप-नियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे।

(3) भवनों का समापन-कब्जा प्रमाणपत्र।

(4) शहरी भूमि विकास प्राधिकरण की अनुमति।

(5) भूमि पंजीकरण कागजों/पंजीकृत पट्टानामा की एक प्रति (जो लागू हो)।

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाणपत्र की एक प्रति जिसमें संस्था के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई हो।

(7) आवेदक के अधिशासी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस प्रकार का एक प्रमाण-पत्र कि भूमि और सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य संस्था/गतिविधि के लिए नहीं किया जा रहा है।

(8) एक रेखाचित्र जिसमें प्रत्येक भू-खंड का क्षेत्र दिखाया गया हो और भू-खंडों की मध्य दूरियां दी गई हों, यदि भूमि क्षेत्र में एक से अधिक भू-खंड शामिल हों।

(9) शहर की सड़कों के नक्शे की एक प्रति जिसमें संस्था की अवस्थिति दिखाई गई हो।

(10) शिक्षण तथा परीक्षा स्कीमों सहित प्रस्तावित पाठ्य-क्रम (पाठ्यक्रमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य विवरण की प्रतियां।

(11) अतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के सिफारिशों/अग्रप्रेषण पत्र की एक प्रति।

(12) प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने से संबंधित संबंधक निकाय के राजामंदी पत्र की एक प्रति।

(13) निकाय निधि/अक्षय निधि सावधि जमा रसीदों की फोटो प्रतियां।

(14) शेष निधियों की उपलब्धता के संबंध में अद्यतन वेंच विवरणों, सावधि जमा रसीदों आदि की फोटो प्रतियां।

(15) संस्थान के पिछले तीन वर्षों के आय-व्यय के विविध परोक्षित विवरणों, तुलनपत्र और लेखापरोक्षित रिपोर्टों की फोटो प्रतियां।

(16) अतिरिक्त निधियां जुटाए जाने की पुष्टि में अधि-प्रमाणित प्रलेख।

(17) अधिप्रमाणित दस्तावेज जिनमें प्रक्षिप्त जनशक्ति मांग और प्रस्तावित विषयों के स्व-रोजगार की संभावनाओं

(न) भवन (भवनों) के निर्माण के लिए स्थानीय उपनियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित भवन (भवनों) के अनुमोदित फ्लोर नक्शे (अर्थात् सिविल ड्राइंग)।

(प) अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए दावे की पुष्टि में अधिप्रमाणित प्रलेख।

(फ) वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित दावे के समर्थन में अधिप्रमाणित प्रलेख।

(ब) न्यायिकेतर स्टाम्प कागज पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सामान्य शर्तों का अनुपालन करने के लिए एक वचनबंध जो संलग्न फॉर्मेट के अनुसार उप-पंजीयक या अन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां विधिवत पंजीकृत हो।

(भ) संस्थान के प्रबंध के लिए जिम्मेदार निकाय परिषद् समिति की गत तीन बैठकों का कार्यवृत्त।

अनुबन्ध-I

न्यायिकेतर स्टाम्प कागज पर वचनबंध प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उप-पंजीयक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो।

मैं/हम (कालेज/संस्था/मंडल/न्यास/सोसाइटी आदि के न्यासी/अध्यक्ष/प्रिंसिपल/निदेशक का नाम) एतद्वारा वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम सत्र से (पाठ्यक्रम/कालेज का नाम) प्रारम्भ करने/स्थापित करने/सीटों की प्रवेश क्षमता से संबंधित अपने आवेदन (पत्र) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे :

प्रबन्धकवर्ग (इसमें संस्थान/कालेज का शासी निकाय भी शामिल है) का गठन तथा निकाय/परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति परिषद् के मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाएगी। (अनुबन्ध-II)।

2. प्रबंधक वर्ग आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानकों एवं मानदंडों के अनुसार विकसित भूमि में निवेश करने तथा संबंधित आधार—संरचनात्मक, शिक्षणात्मक एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा।

3. पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों का संचालन तकनीकी कार्मिकों की निर्धारित मांगों के अनुसार किया जाएगा।

4. (क) दाखिले संबंधित तकनीकी संस्थाओं में प्रवेशार्थ परिषद् के विनियम एवं निर्देशिका के अनुसार दिए जाएंगे।

(ख) पाठ्यक्रमों में केवल तभी दाखिले दिए जाएंगे जब न्यूनतम अपेक्षित/विहित सुविधाएं सृजित कर दी गई होंगी और संबंधक विश्वविद्यालय/राज्य बोर्ड ने पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्मृति दे दी होगी।

(ग) संस्था परिषद् की पूर्व-सहमति के बिना किसी संस्था को बंद नहीं कराएगी या बंद कराने की अनुमति नहीं देगी या पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को बंद नहीं कराएगी अथवा शीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं करेगी।

5. शिक्षा तथा अन्य शुल्क परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार लिए जाएंगे। छात्रों/अभिभावकों से किसी भी रूप में कोई भी प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी।

6. संस्था के लेखाओं की परीक्षा प्रतिवर्ष किसी सनदी लेखाकार द्वारा की जाएगी और परिषद् या बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।

7. शिक्षण तथा अन्य स्टाफ का चयन परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं, प्रहंताओं एवं अनुभव के अनुसार किया जाएगा।

8. प्रबंधकवर्ग अन्य उन शर्तों का भी पूरा पालन करेगा जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाएगी।

9. यदि (सोसाइटी/न्यास/मंडल/कालेज/संस्था आदि का नाम) परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित/विहित किए गए मार्ग-निर्देशों, मानकों तथा शर्तों का पालन नहीं करेगा तो परिषद् या कोई निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को किन्हीं भी संबद्ध मुद्दों पर विचार किए बिना संस्था से अनुमोदन या मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी, और अनुमोदन या मान्यता वापस लेने की पूरी जिम्मेदारी उस (सोसाइटी/संस्थान/कालेज) पर होगी।

10. कोई भी कालेज/संस्थान केवल इस आधार पर कि उसे परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है, संस्थान या आवर्ती व्यय आदि के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार से स्वतः सहायता-अनुदान प्राप्त करने का दावेदार नहीं बनेगा।

(वचन देने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और उसका पद)

स्थान :

(सील)

दिनांक :

1. कोष्ठकों में संगत विवरण दिया जाना चाहिए।

2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टांप कागज तथा वचनबंध का अधिप्रमाणन उचित रूप से किया गया है।

प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं के शासी निकाय का माडल गठन

शासी निकाय में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित कम से कम 11 सदस्य होंगे। पंजीकृत सोसाइटी/न्यास अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित 6 सदस्यों को नामित करेगा और बाकी 5 सदस्यों का नामन इस प्रकार किया जाएगा :—

1. अध्यक्ष : अध्यक्ष का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जाएगा।

2-5. सदस्यों का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जाएगा।

6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का नामिती—क्षेत्रीय अधिकारी (पदेन)।

7. क्षेत्र से एक उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद्/शिक्षाविद् का नामन परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पैनल से परिषद् के नामिती के रूप में संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जाएगा।

8. संबंधक निकाय/विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का नामिती।

9. राज्य सरकार का नामिती—तकनीकी शिक्षा निदेश (पदेन)।

10. राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया क्षेत्र एक उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद्/शिक्षाविद्।

11. संबंधित तकनीकी संस्था का प्रिंसिपल/निदेश (सोसाइटी/न्यास के नामिती के रूप में)—सदस्य सचिव।

तकनीकी संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत सोसाइटी के नामितियों और संबंधित क्षेत्र के शिक्षाविद् की इतनी ही संख्या जोड़कर सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन शासी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।

शासी निकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति :

शासी निकाय का अध्यक्ष मुख्यतः एक तकनीकी व्यक्ति अर्थात् कोई उद्यमी या उद्योगपति या विख्यात शिक्षाविद् होगा जो तकनीकी शिक्षा के विकास में रुचि रखता हो और मूल सोसाइटी/न्यास का सदस्य हो तथा जिसे विशेषतः उच्च कोटी की शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रदर्शित की हो।

4) सामान्य सूचना

- 1.0 सामान्य सूचना
- 1.1 संस्था का नाम और पता तथा तार पता, फैंक्स और फोन नम्बर (एस टी डी कोड सहित)
- 1.2 संस्था के अध्यक्ष का नाम और पता तथा निवास और कार्यालय का टेलीफोन नं. (कोष्ठकों में एस टी डी कोड सहित)
- 1.3 संस्था का प्रकार (निम्नलिखित में से किसी एक को निर्दिष्ट करें)
प्राइवेट गैर अनुदान प्राप्त/प्राइवेट/सहायता प्राप्त सरकारी (केन्द्रीय/राज्य/संघ आसित क्षेत्र) अन्य (निर्दिष्ट करें)
- 1.4 किसी प्राइवेट संस्था के मामले में न्यास सोसायटी आदि का पूरा डाक पता और अध्यक्ष का नाम और तार पता, फैंक्स और फोन नं. (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित) दिया जाए।
- 1.5 संस्था की स्थापना की तारीख (कृपया सरकार के मंगल आदेश की प्रति संलग्न करें)।
- 1.6 संबंधक विश्वविद्यालय/निकाय का नाम और पूरा डाक पता लिखिए। कुलपति और कुल सचिव या समकक्ष अधिकारियों के नाम और फोन नम्बर भी दें।

2.0 शैक्षिक सूचना :

2.1 संचालित किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम :

शिक्षा कार्यक्रम	क्षेत्र/विशेषज्ञ	पूर्ण/ अंशकालिक	अवधि (वर्ष)	प्रारंभ
उत्तर डिप्लोमा	सिविल इंजीनियरी	पूर्ण कालिक	3	1989
	इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी	अंश कालिक	4	1990
उत्तर डिप्लोमा	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	पूर्ण कालिक	1.5	1990
	प्रशीतन तथा वातानुकूलन	अंशकालिक	1.5	
निदेशक सदस्य	का. सचिवालय पद्धति	पूर्ण कालिक	1	1980
उच्च डिप्लोमा	औजार इंजीनियरी	पूर्ण कालिक	2	1989
इंजीनियरी	औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स	पूर्ण कालिक	1.5	1985
क्षात्रिक				
की जा				
1 संख्या				
अन्य				

टिप्पणी : विभिन्न कालों में दिए गए विषय और संख्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

2.2 क्या संस्था और संचालित किया गया/ किए गए पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित हैं ?

— यदि हां, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सभी अनुमोदन पत्रों की प्रति संलग्न कीजिए।

— यदि संचालित किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

2.3 वर्तमान पाठ्यक्रमों में प्रवेश :

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश के लिए अर्हता	प्रवेश विधि
------------------	----------------------	-------------

कृपया यह बताएं कि क्या प्रवेश परीक्षा का आधार ग्रहक परीक्षा में प्राप्त अंक हैं?

2.4 यदि दाखिले ग्रहक परीक्षा (यथा 10+2 आदि) में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाते हैं तो भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में निर्धारित न्यूनतम कुल प्रतिशत अंकों और न्यूनतम औसत प्रतिशत अंकों के संबंध में सभी दाखिलों का ब्योरा दीजिए।

2.5 स्वीकृति एवं वास्तविक दाखिले :

पाठ्यक्रम	स्वीकृत (स्वी.)	और वास्तविक (वा)	प्रवेश
	199-9 स्वी. वा.	199-9 स्वी. वा.	199-9 स्वी. वा.

टिप्पणी : यदि स्वीकृत और 'अभातशिप' द्वारा अनुमोदित प्रवेशों में अंतर है तो समर्थक प्रलेखों सहित कारण दीजिए।

2.6 स्वीकृत प्रवेश के प्रतिशत के रूप में सीटों का वितरण/भारक्षणा वितरण

राज्य सरकार	प्रबन्ध	अनु. जा. / अनु. ज. जा.	ग्रामीण और जन जातीय	राज्य के बाहर	अन्य
-------------	---------	---------------------------	------------------------	------------------	------

721.000.000

165

विगत पूरे 2 शैक्षिक वर्षों के दौरान प्रथम वर्ष के छात्र-नामांकन				का ग्योरा (2 वर्षों का जोड़)							
कुल	कुल	निम्नलिखित के कुल	दाखिले	कुल	निम्नलिखित में से कुल	डाप घाउट	उत्तीर्ण छात्रों				
स्वीकृत	प्रवेश			डाप							
प्रनु.	प्रामीण	राज्य	लड़कियां	घाउट	प्रनु.	प्रामीण	राज्य	लड़कियां की			
जा.	और	के			जा.	और	के	संख्या			
प्रनु.	जन.	बाहर			प्रनु.	जन	बाहर				
ज.	जातीय				ज.	जातीय					
जा.					जा.						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

डिप्लोमा :-

गणनालिक (२०११)

REVISED

उत्तर दिशोऽप्रा

गणेशालिङ्ग

संस्थापक

सिद्धान्त

महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन

10/11/14

अधिकांशक

2.8 विगत

डिप्लोमा :

प्रार्थनाकालिक—

अधिकारिक

विद्युत्तर डिप्लोमा

पण कालिक

आकालिक

डिप्लोमा

पूर्णः कालिक

श्री कालिक

2.9 यदि

का न

दाखिल

2-10 संबंध

विषय १११ विषय

2:11 (9)

को-का-प्रकार--

FILE

1977

डिप्लोमा

पूर्णकालिक

अंशकालिक

विषयसूची

पुष्पं कालि

संश्लेष

मि. मिश्र

सिद्धि-कालि

सामाजिक

2.12 विगत दो शैक्षिक वर्षों के दौरान संस्था के कार्य समय का न्योरा (औसत)					
प्रति सेमेस्टर/प्रतिवर्ष प्रत्याशित कार्य दिवसों की संख्या	प्रतिसेमेस्टर/प्रति वर्ष वास्तविक कार्यदिवसों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/प्रतिवर्ष शिक्षण संबंधी काम के घंटों की संख्या	प्रतिसेमेस्टर/प्रति वर्ष वास्तविक संपर्क घंटे	प्रवकाश के दिनों की सं.	परीक्षा के लिए व्यतीत किए गए दिनों की संख्या

2.13 विगत दो शैक्षिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण छात्रों को नौकरी दिलवाने का न्योरा (2 वर्ष का जोड़)				
पाठ्य क्रम	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3 महीने के भीतर नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3-6 महीने के अंतर्गत नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 6-12 महीने के अंतर्गत नौकरी दिलवाई गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3.0 शिक्षण संकाय के बारे में सूचना

3.1 कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिए संकाय की संख्या

संकाय का प्रकार	स्वीकृत संख्या			स्थानों का संख्या		
	पूर्व स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य जोड़	पूर्वस्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य जोड़
पूर्ण कालिक						
अंशकालिक						
अध्यागत						

3.2 विगत दो वर्षों के दौरान वर्तमान शिक्षण संकायों को वर्गवार संख्या दीजिए

संकाय काडर	निम्नलिखित तारीखों को		निम्नलिखित के अनुसार प्राज की (तारीख) को अपेक्षित संख्या	
	जन. 1, 199	जन 1, 199	राज्य विश्वविद्यालय के मानक	प्रभातशिप के मानक

प्रिंसिपल
प्रोफसर/विभागाध्यक्ष/लेक्चरर
(सलेक्शन ग्रेड)

* प्रभातशिप"—प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

SEC. 11 (अध्याय 3)

लेखिका

के लिए लेखिका

किए गए सहसहायक लेखिका, यदि हो

संख्या

3.3 परिलब्धियों और आयु का ब्योरा

विवरण	प्रतिफल	विभागाध्यक्ष लेखिका (सलेक्शन ग्रेड)	वरिष्ठ लेखिका	लेखिका	सह सहायक लेखिका यदि हों
की संख्या	संख्या की संख्या				
महीने	संख्या आयु (वर्ष)				
करी	न्यूनतम परिलब्धियां				
	अधिकतम परिलब्धियां				
	न्यूनतम सेवा की न्यूनतम अवधि				
	अधिकतम सेवा की अधिकतम अवधि				
	अधिकतम सेवा की औसत अवधि				

3.4 गत 2 वर्षों के दौरान कर्मशाला, पुस्तकालय तथा अन्य सहायक स्टाफ की वर्गवार संख्या

वर्ग	निम्नलिखित तारीखों की संख्या	निम्नलिखित के अनुसार तारीख को अपेक्षित संख्या
जोड़	जन 1 199	जन 1 199
		राज्य विश्वविद्यालय के मानक
		अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानक
कर्मशाला प्रवीक्षक		
कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर		
कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर		
सहायक इन्स्ट्रक्टर		
कर्मशाला सहायक		
कर्मशाला तकनीशियन सहायक		
पुस्तकालयाध्यक्ष		
पुस्तकालय सहायक		
सिस्टम मैनेजर		
सिस्टम विश्लेषक		
कंप्यूटर प्रोग्रामर		
कंप्यूटर प्रचालक		

कार्यकलाप प्रोफेसर	प्रिंसिपल	विभागाध्यक्ष लेक्चरर (सलेक्शन क्षेत्र)	वरिष्ठ लेक्चरर	लेक्चरर	सह सहायक लेक्चरर यदि हो
शिक्षण					
अनुसंधान					
प्रशासन					
संस्थान/कलेज					
विकास मार्ग-दर्शन एवं उपबोधन					
परामर्श					
प्रशिक्षण एवं स्थान					
अन्य					

नाम ग्रहंताएं	कुल अनुभव	शिक्षण का अनुभव	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति का स्तर	वर्तमान वेतनमान तथा तारीख जिससे यह वेतनमान दिया गया	इस तारीख को मूल वेतन	कुल परि-लब्धियां
---------------	-----------	-----------------	-------------------	------------------	---	----------------------	------------------

कृपया वर्तमान सुविधाओं (टर्मिनलों की संख्या कम्प्यूटरों का प्रकार) और स्टाफ (शिक्षण स्टाफ को छोड़कर स्टाफ का स्तर - और संख्या) का ब्योरा दीजिए।

अध्याय 4]

5.0 पुस्तकालय की सुविधाएं

5.1 पुस्तकें

वर्ग	गत 3 वर्षों के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	प्राप्त की तारीख पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या
------	---	---	---

(5) पाठ्यपुस्तकें

(6) सदस्य पुस्तकें

(7) विश्वकोश

(8) अन्य

पत्रिकाएं

पत्रिकाओं की वर्तमान संख्या

(9) तकनीकी :

(10) और तकनीकी

(11) अन्य

6.10 प्रयोगशालाएं

विभाग

प्रत्येक विभाग के लिए विभिन्न
प्रयोगशालाओं के नामगत 3 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा
उपकरणों पर कुल निवेश

यांत्रिक इंजीनियरी

इलेक्ट्रॉनिक्स

रु. 6 लाख

रासायनिक इंजीनियरी

पावर इंजीनियरी

रु. 4 लाख

टिप्पणी: विभिन्न कालों में दिए गए विषय एवं संख्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

कृपया प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए वर्तमान कीमतों पर रु. 5000 या अधिक लागत वाले उपस्कर की सूची संलग्न कीजिए।

6.11 कर्मशाला :

विभाग

विभिन्न शापों के नाम

गत 3 वर्षों के दौरान
उपस्कर तथा उपकरणों
पर कुल निवेश

यांत्रिक इंजीनियरी

बढ़ईगिरी तथा पटन निर्माण

रु. 5.00 लाख

रासायनिक इंजीनियरी

इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स

रु. 3.00 लाख

टिप्पणी: विभिन्न कालों में दिए गए विषय और संख्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

कृपया प्रत्येक शाप के लिए वर्तमान कीमतों पर रु. 5000 या अधिक की लागत वाले उपस्करों की सूची संलग्न कीजिए।

1.0 शिक्षण स्कीम और परीक्षा योजना सहित संस्था द्वारा प्रपनाई गए पाठ्यक्रमों की एक प्रति संलग्न कीजिए।

8.0 कुरसी क्षेत्र (वर्ग मीटर)

निर्माण का प्रकार	शिक्षण भवन	प्रशासनिक भवन	सुविधाएं	छात्रावास	निवास	कुल क्षेत्र
-------------------	------------	---------------	----------	-----------	-------	-------------

(क) आर. सी. सी.

(ख) शेड

संस्था के भू-खंड पर भवनों का एक नक्शा दीजिए।

टिप्पणी : कृपया निम्नलिखित के विषय में स्पष्ट प्रमाण संलग्न कीजिए।

(क) संस्था के प्रयोजनों के लिए भवन का उपयोग।

(ख) भवन-निर्माण के लिए स्थानीय उप नियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदित नक्शे।

(ग) भवनों का समापन/कब्जा प्रमाणपत्र।

(घ) शहरी विकास प्राधिकरण की अनुमति।

9.0 भूमि उपलब्धता (वर्ग मीटर)

शैक्षिक और प्रशासन	खेल के मैदान	छात्रावास	स्टाफ क्वार्टर	अन्य	जोड़
--------------------	--------------	-----------	----------------	------	------

कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कीजिए कि भूमि पर संस्था/न्यास का कब्जा है और भूमि उपयोग की अनुमति है तथा यह गारंटी है कि उल्लिखित भूमि केवल संस्था के उपयोग के लिए उपलब्ध है और इसका उपयोग किसी अन्य संस्था/गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। कृपया यह भी उल्लेख करें कि क्या भूमि क्षेत्र में एक या अधिक भूखंड शामिल हैं।

10.0 गत 3 वर्षों के दौरान परामर्श, प्रायोजित अनुसंधान व्यावसायिक विकास आदि

10.1 परामर्शी दत्तकार्यों और ग्राहक संगठनों के नामों सहित कुल आय तथा प्रत्येक दत्तकार्य की अवधि और नाम, कुल आय का व्यौरा दीजिए।

10.2 शैक्षिक ग्रंथालयों, शिक्षण कौशल आदि के मुधार के लिए प्रयोजित संकाय संख्या।
कृपया संकाय के नाम, पदनाम, वर्धित ग्रंथालयों के नाम, उन्नत कौशल आदि का उल्लेख कीजिए।

10.3 सम्मेलनों तथा अन्य व्यावसायिक बैठकों में भाग लेने के लिए आज तक प्रायोजित संकायों की संख्या और इस प्रयोजन के लिए खर्च की गई कुल राशि।

कृपया संकाय का नाम, पदनाम, सहभागिता सम्मेलन/बैठकों का नाम दीजिए और स्थान और तारीख आदि का उल्लेख कीजिए।

10.4 आपकी संस्था द्वारा संचालित अनुवर्ती इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या तथा सहभागियों की कुल संख्या।
कृपया कार्यक्रम का नाम, तारीख और अवधि, सहभागियों की संख्या आदि दीजिए।

11.0 वित्तीय:

कृपया संचालित व्यय के रूप में कुल व्यय।

(I—Sec 4)

वित्तीय सहायता के स्रोत :

भावर्ती व्यय

प्रभावर्ती व्यय

कुल क्षेत्र
मानव संसाधन
कक्षा मंत्रालय
(संस्कृत प्रोत्ति)
राज्य सरकार
विश्वविद्यालय
न्याय प्रयोग
राज्य/राज्य सरकार के
स्रोत
राज्य
राज्य फीस
राज्य राजस्व
राज्य
राज्य (रूपया निर्दिष्ट करें)

गत 2 वर्षों के दौरान प्रति छात्र वसूल की गई कुल वार्षिक फीस का उल्लेख कीजिए (इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोग-शाला आदि की फीस शामिल है लेकिन छात्रावास फीस और छात्र प्रभार शामिल नहीं हैं।)

1990-91, 91-92 और 1992-93 के दौरान प्राप्त किए गए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन

प्रोग्राम (पाठ्यक्रमों)/संस्थाओं का नाम	वार्षिक प्रवेश	प्रारम्भ करने का वर्ष	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन की संख्या और तारीख
---	----------------	-----------------------	--

कुल आय

0 प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रतिरिक्त छात्रों से संबंधित सूचना :

1 प्रारम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित शैक्षिक कार्यक्रम :

प्रोग्राम का नाम	प्रवेश (वर्षों में)	प्रवेश छात्र संख्या	प्रारम्भ करने का प्रस्तावित वर्ष	प्रवेश स्तर/निम्नतम योग्यता
इलेक्ट्रिक इंजीनियरी	3	60	1993-94	10 +
सूक्ष्म विज्ञान एवं इंजीनियरी	3	60	1993-94	10 +
इंजीनियरी	3	60	1993-94	10 +

टिप्पणी : विभिन्न कॉलमों में दिए गए विषय एवं आंकड़े केवल उदाहरण के रूप में हैं।

प्रयोग और परीक्षा स्कीम के साथ प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए संस्था द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यचर्या और पाठ्य-विवरण की प्रतियां साथ लगाएं।

13.3 शैक्षिक कार्यक्रम जिनमें छात्र प्रवेश संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है :

पाठ्यक्रम का नाम	संस्वीकृत छात्र संख्या	प्रस्तावित छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि	प्रवधि (वर्षों में)	प्रस्तावित वर्ग जिसमें छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि करना	प्रवेश निम्नतः
इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरी	60	15	3	1993-94	10 +
यांत्रिक इंजीनियरी	60	15	3	1993-94	10 +
सिविल इंजीनियरी	60	15	3	1993-94	10 +

टिप्पणी : विभिन्न कॉलमों में दिए गए विषय एवं संख्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

14.0 क्या प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा समर्थित है? यदि हां, तो राज्य सरकार के पत्र की प्रति संलग्न करें।

15.0 क्या संबद्ध करने वाले निकाय (प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय) से प्रखिल भारतीय शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति दिए जाने की शर्त के आधार पर सहमति प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो सहमति पत्र की प्रति संलग्न करें।

16.0 वित्त :

16.1 क्या निकाय निधि/प्रक्षय निधि स्थापित कर ली गई है और उसे राज्य सरकार के पास बंधक रख दिया गया है तो उसका प्रमाण संलग्न करें।

16.2 पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) / छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि के संबंध में हो वाले आवर्ती और अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध निधियों का ब्योरा प्रस्तुत करें और इसके समर्थन में नवीनतम बैंक-विवरणिकाएं, एफडीआर की प्रतियां संलग्न करें। बचत-पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

16.3 प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधि जरूरतों का यदि कोई हों, ब्योरा प्रस्तुत करें।

विवरण राशि रूपों में

आवर्ती

- (क) शिक्षण कर्मचारियों का वेतन
- (ख) गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन
- (ग) छात्रवृत्तियां
- (घ) यात्रा व्यय

इ. अन्य आवर्ती व्यय

आवर्ती क्रम का जोड़

अनावर्ती

क. अतिरिक्त भवन

ख. अतिरिक्त उपस्कर

ग. अन्य

अनावर्ती व्यय का जोड़

16.4 कृपया बताएं कि उपर्युक्त 17.3 में दर्शाए गए अतिरिक्त व्यय के लिए अगले 3 से 4 वर्षों में निधियों का

173

17. औचित्य

17.1 क्या एक या अधिक प्रस्तावित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में छात्र प्रवेश संख्या में प्रस्तावित वृद्धि वाले पाठ्यक्रम जिले के प्रवेश स्तर या अधिक संस्थानों में पहले से चलाए जा रहे हैं जहां कालेज स्थित है? यदि हां, तो संस्थाओं, चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का नाम, और साथ में वर्ष में स्वीकृत छात्र प्रवेश संख्या का विवरण दें।

संस्था	पाठ्यक्रम	स्वीकृत प्रवेश
10 +		
10 +		
10 +		

टिप्पणी : जो लागू न हो उसे काट दें।

17.2 पिछले शैक्षिक वर्ष में, प्रत्येक प्रस्तावित पाठ्यक्रम (क्रमों)/पाठ्यक्रम (क्रमों) में छात्र प्रवेश संख्या में प्रस्तावित वृद्धि वाले पाठ्यक्रमों राज्य में कुल छात्र प्रवेश संख्या का उल्लेख करें :

पाठ्यक्रम का नाम	कुल छात्र प्रवेश संख्या
------------------	-------------------------

टिप्पणी : जो लागू न हो उसे काट दें।

17.3 17.1 एवं 17.2 को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विषयों और प्रवेश/वर्तमान विषयों में छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का औचित्य प्रसंगित जनशक्ति-मांग एवं औद्योगिक दृष्ट्यावली और स्वरोजगार की संभावना की तुलना में दें।

17.4 वर्तमान प्रस्ताव के अलावा, संस्था के शैक्षिक-आधार के विस्तार, यथा-प्रवेश में वृद्धि, नए पाठ्यक्रमों को शुरू करना, अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन, आदि की वर्षवार योजना का उल्लेख करें :

पाठ्यक्रम का नाम	पूर्णकालिक/अंशकालिक अनुवर्ती	प्रस्तावित छात्र प्रवेश संख्या	प्रारंभ करने का वर्ष
------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------

18. अतिरिक्त आधार-संरचना

18.1 यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) अतिरिक्त/प्रवेश के लिए भवन स्थान उपलब्ध हैं तो निम्नानुसार कुर्सी क्षत्र (वर्ग मीटर) में दें।

निर्माण का प्रकार	शिक्षण भवन	प्रशासनिक भवन	सुविधाएं	छात्रावास	निवास कुल क्षेत्र
-------------------	------------	---------------	----------	-----------	-------------------

(क) मर सो सी

(ख) शंड

18.2 यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/अतिरिक्त छात्र प्रवेश के लिए अतिरिक्त भवन स्थान के निर्माण की आवश्यकता है तो मिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों और मानदंडों के अनुसार वर्षवार अतिरिक्त शिक्षण क्षत्र (कक्षा, अनु-शिक्षण कक्ष, डाइनिंग हाल, प्रयोगशालाएं आदि) प्रशासनिक क्षेत्र (कार्यालय, स्टाफ कक्ष आदि), सुविधाएं विनोद कक्ष, खेल-कद

कक्षा, एन सी सी, एन एस एस, कैंटीन, हॉबी केंद्र, आदि) और आवासीय क्षेत्र, छात्रावास स्टीफ क्वार्टर आदि) का उल्लेख करें। संस्था के पास उपलब्ध भूखंड में वर्तमान भवन के मामले में अतिरिक्त भवन के निर्माण का लेआउट प्रस्तुत करें।

स्थान का नाम	वर्ष . . . के दौरान निर्माण	किया जाने वाला क्षेत्र कुरसी			
	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/छात्र	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/ छात्र			
	प्रवेश संख्या में वृद्धि से	प्रवेश संख्या में वृद्धि का			
	पूर्व समय अवधि	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
कक्षा					
अनुशिक्षण कक्षा					
डाइंग हाल					
प्रयोगशालाएं					
कर्मशाला					

स्थानों के नाम केवल उदाहरण हैं। विवरण के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् संबंधित मानकों और मानदंड देखें।

18.3 क्र.सं. 18.2 में उल्लिखित अतिरिक्त भवनों के निर्माण पर हुए व्यय का वर्ष प्राक्कलन दीजिए।

स्थान का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान अतिरिक्त स्थान के निर्माण का व्यय				
पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम
(पाठ्यक्रमों)	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/
प्रवेश में वृद्धि शुरू होने से पहले की अवधि	प्रवेश में वृद्धि का प्रथम वर्ष	प्रवेश में वृद्धि का दूसरा वर्ष	प्रवेश में वृद्धि का तीसरा वर्ष	प्रवेश में वृद्धि का चौथा वर्ष	
कक्षाएं					
अनुशिक्षा					
कक्षाएं					
डाइंग हाल					
प्रयोगशालाएं					
कर्मशालाएं					

स्थानों के नाम केवल उदाहरण के लिए हैं। अधिक विवरण के लिए "अमानशिप" के संबंधित मानक एवं मानदंडों का अवलोकन करें।

18.4 प्रयोगशालाएं: कृपया विभिन्न प्रयोगशालाओं के स्थापना, (अर्थात् प्रयोगशालाओं के उपकरणों से लैस करने तथा उनका उपयोग आरंभ करना) की वर्षवार कार्य योजना दीजिए। साथ ही, वर्तमान पाठ्यक्रम [पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रस्तावित प्रवेशों को लागू करने के लिए उपकरणों, जुड़ना और फिटिंग, फर्नीचर आदि की अधिप्राप्ति के लिए अनुमानित लागत भी दीजिए।]

प्रयोगशाला का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए व्यय				
	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम
	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/
	प्रवेश में वृद्धि	प्रवेश में वृद्धि	प्रवेश में वृद्धि	प्रवेश में वृद्धि	प्रवेश में वृद्धि
	शुरू होने से	का प्रथम वर्ष	का दूसरा वर्ष	का तीसरा वर्ष	का चौथा वर्ष
	पहले की अवधि				

विस्तृत विवरण के लिए कृपया मानक एवं मानदंड तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या दीजिए।

भाग II - खण्ड 4]

करें।

18.5 कार्यशालाएं

कृपया अतिरिक्त कर्मशालाओं यदि हों की वर्षवार कार्ययोजना दीजिए। साथ ही वर्तमान पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/लागू करने/प्रवेशों में प्रस्तावित वृद्धि करने के लिए उपस्कर, औजार, मशीनें, फर्नीचर, जुड़नार तथा फिटिंग आदि प्राप्त करने के लिए अनुमानित लागत भी प्रस्तुत कीजिए।

वर्ष

कर्मशाला का नाम

निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न कर्मशालाओं की स्थापना के लिए व्यय

पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि शुरू होने से पहले की अवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि का प्रथम वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि का दूसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि का चौथा वर्ष
--	---	---	---	--

आप के लिए मानक एवं मानदंड तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या दीजिए।

18.6 अभिकलन सुविधाएं कृपया हार्डवेयर और साफ्टवेयर मदों, फर्नीचर, फिटिंग और जुड़नार आदि की प्राप्ति के लिए वर्षवार कार्ययोजना प्रस्तुत करें ताकि लागत प्राक्कलनों के साथ विद्यमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में अतिरिक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों/प्रस्तावित छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि को लागू करने के लिए कम्प्यूटर केंद्रों को मजबूत बनाया जा सके।

सुविधाएं

निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न कम्प्यूटर सुविधाओं की स्थापना के लिए खर्च

पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि की शुरुआत से पूर्व की अवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का प्रथम वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का दूसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का चौथा वर्ष
--	--	--	--	---

ब्योरे के लिए कृपया मानकों और मानदण्डों तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या को देखें।

18.7 पुस्तकालय: कृपया लागत के प्राक्कलनों के साथ पुस्तकों (पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकें, विश्वकोष तथा अन्य), के अतिरिक्त स्टाफ पत्रिकाओं (देरी एवं अन्तर्राष्ट्रीय फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग आदि को प्राप्त करने के लिए वर्षवार कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

तथा

व्यय

तक के

मद	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि की शुरुआत में पूर्व की अवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का प्रथम वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का दूसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का चौथा वर्ष
----	---	--	--	--	---

वृद्धि

वर्ष

पाठ्यपुस्तकें

संदर्भ पुस्तकें

18.8 शिक्षण संकाय : कृपया अतिरिक्त शिक्षण संकाय (प्रोफेसर, सहायक, प्रोफेसर, वरिष्ठ लेक्चरर) की भर्ती के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें। यदि पहले से ही उपलब्ध है तो कृपया प्रत्येक वर्ग के स्टाफ की संख्या का भी उल्लेख करें।

संकाय काडर	पहले से ही उपलब्ध की संख्या	संकाय का प्रभार अंश-कालिक/पूर्ण-पाठ्यक्रमों) अभ्यागत	निम्न वर्षों के दौरान भर्ती किए जाने वालों की संख्या				
			पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)
			छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि की शुरुआत से पूर्व की अवधि	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का प्रथम वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का दूसरा वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का तीसरा वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का चौथा वर्ष

ब्योरे के लिए कृपया 'अभातशिप' के सम्बद्ध मानक और मानदण्डों को देखें।

18.9 तकनीकी सहायक और अन्य स्टाफ : कृपया अतिरिक्त तकनीकी सहायक तथा वर्कशाप अनुदेशक, फोरमैन अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकाध्यक्ष, वर्कशाप सहायक, पुस्तकालय सहायक आदि जैसे अन्य स्टाफ की भर्ती के लिए वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करें। यदि पहले से ही उपलब्ध है तो प्रत्येक वर्ग के स्टाफ की संख्या का भी उल्लेख करें।

संकाय काडर	पहले से विद्यमान की संख्या	संकाय का प्रकार	निम्न वर्षों के दौरान भर्ती किए जाने वालों की संख्या				
			अंशकालिक/पूर्णकालिक अभ्यागत	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)
			छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि की शुरुआत से पूर्व की अवधि	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का प्रथम वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का दूसरा वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का तीसरा वर्ष	छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का चौथा वर्ष

ब्योरे के लिए कृपया अभातशिप के संबंध मानकों और मानदण्डों को देखें।

18.10 यदि पहले से ही उपलब्ध है तो अतिरिक्त शिक्षण संकाय।

नाम	अहंता	कुल अनुभव	शिक्षण का कुल अनुभव	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति का स्तर	वर्तमान वेतनमान और तारीख जब से दिया गया है।	तारीख को मूल वेतन	कुल परिवर्धन
-----	-------	-----------	---------------------	-------------------	------------------	---	-------------------	--------------

लेक्चरर, वरिष्ठ लेक्चरर, सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल।

4] लिए 1. विभिन्न प्रयोगशालाओं/वर्कशाप में उपलब्ध कराये जाने के लिए मुख्य उपस्करों की वर्षवार सूची दें। साथ ही पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों/छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि को लागू करने के लिए निम्न रूपबंध में संक्षिप्त

उपस्कर का नाम	संक्षिप्त व्यौरा	उपलब्ध किए जाने की मात्रा			
		1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष
प्रयोगशाला/वर्कशाप					

5.0 कृपया उल्लेख करें कि क्या नगरपालिका के पेय जल की नियमित सप्लाई तथा प्रयोगशाला/वर्कशाप आदि के लिए पर्याप्त उपलब्ध है। यदि नहीं तो कृपया वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख करें।

20. कृपया उल्लेख करें कि क्या पर्याप्त और नियमित बिजली की सप्लाई उपलब्ध है/उपलब्ध हो जाएगी/उसके समर्थन में उल्लेख करें।

कामबंदी/खराबी (ब्रेकडाउन) की स्थिति में क्या आपाती व्यवस्था की जाएगी।

21.0 यदि संस्था नगर पालिका सीमा में स्थित नहीं है तो शहर से संस्था तक जाने-आने परिवहन की व्यवस्था के लिए बताएं।

22. न्यास/सोसाइटी द्वारा संचालित/प्रबंधित तकनीकी संस्थाएं

संस्था का नाम	अवस्थिति शहर और राज्य	संचालित पाठ्यक्रम	क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित है।
---------------	-----------------------	-------------------	---

23.00 क्या प्रस्तावक का राज्य सरकार या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का कोई अदालती केस चल रहा है? यदि हां, संक्षिप्त विवरण दीजिए।

24. कृपया न्यायकेतर कागज पर एक वचनबंध संलग्न कीजिए जो संलग्न फॉर्मेट के अनुसार उपपंजीयक या समान सक्षम अधिकारी के यहां विधिपूर्वक पंजीकृत हो।

25. प्रमाणित किया जाता है कि :

- पिछले अनुमोदन पत्र में उल्लिखित सभी वास्तविक विसंगतियों को दूर कर दिया गया है।
- शासी निकाय का गठन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है।
- अभातशिप वेतनमान शिक्षण संकाय और अन्य स्टाफ को दे दिए गए हैं।
- गुणक्रम के आधार पर अभातशिप के प्रवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्रवेश किए जाते हैं और प्रति व्यक्ति शुल्क या किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता है।
- अभातशिप द्वारा निर्धारित अर्हताओं और अनुभव के आधार पर शिक्षण संकाय और स्टाफ नियुक्त किया गया है।
- अभातशिप द्वारा निर्धारित समग्र प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क लिए जाते हैं।
- राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्टाफ और छात्रों को प्रारक्षण दिया जाता है।
- निर्धारित लेखाकार द्वारा संस्था के लेखाओं को परीक्षित किया जाता है।
- अभातशिप के अनुमोदन के बिना (अभातशिप के पिछले अनुमोदन से) इसमें कोई नया पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है।
- अनुमोदित प्रवेशार्थियों की संख्या के बाहर अभातशिप अनुमोदित पाठ्यक्रमों के किसी भी पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है।

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1994

No. F. 304-4/CCF/REG/94.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Grant of approval for starting new technical institutions, introduction of courses or programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or programmes) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability.—These regulations shall be applicable to the proposals relating to,—

- (a) grant of approval of the Council for establishment of new technical institutions including Universities or University Departments and deemed Universities and for technical institutions functioning on the date of commencement of these regulations at Degree and Diploma levels ;
- (b) grant of approval of the Council for introduction of any course or programme in the technical institutions and technical departments of Universities or deemed Universities ;
- (c) grant of approval of the Council for existing intake capacity of seats and for increase in the annual intake capacity of seats in courses and programmes.

3. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) ;
- (b) "Bureau BOS" means the Bureau of Board of Studies of the Council ;
- (c) "Bureau MPCD" means the Bureau of Manpower Planning and Career Development of the Council ;
- (d) "Bureau RA" means the Bureau of Recognition and Accreditation of the Council ;
- (e) "Bureau RC" means the Bureau of the Regional Committees of the Council ;
- (f) "Council" means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the Act ;
- (g) "deemed University" means any institution of higher education other than a University, declared as such under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) ;
- (h) "Form" means a form appended to these regulations ;
- (i) "Regional Office" means the Regional Office functioning as the secretariat of the Regional Committee of the Council ;
- (j) "University Technical Department" means the Department of the concerned University conducting 'Technical Education' courses or programmes ;
- (k) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.

4. Requirement of grant of approval.—(1) After the commencement of these regulations,—

(a) no new technical institution or University Technical

(b) no course or programme shall be introduced any technical institution, University including deemed University or University Department College ; or

(c) no technical institutions, Universities or deemed Universities or University Departments or Colleges shall continue to admit students for Degree Diploma courses or programmes ;

(d) no approved intake capacity of seats shall increased or varied ;

except with the approval of the Council.

(2) Applications for grant of approval under sub-regulation (1) shall be made by any of the following, namely :—

(i) Government institutions, Government aided institutions, deemed Universities and University Departments or Colleges.

(ii) registered Societies/Trusts in respect of professional colleges.

5. Forms for Applications.—(1) Forms application starting a technical institution or for approval of institution functioning on the date of commencement of these regulations or for introducing courses or programmes, or for increase the intake capacity of seats in the courses shall be made the form specified in sub-regulation (2) and shall be accompanied by the documents called for therein.

(2) (a) An application for starting technical institution shall be in Form I.

(b) An application for approval of Degree level institution functioning on the date of commencement of these regulations shall be made in Form II.

(c) An application for approval of diploma level institution functioning on the date of commencement of these regulations shall be made in Form III.

(d) An application for introduction of additional course or increase in the intake of seats in the degree level institution shall be made in Form IV.

(e) An application for introduction of additional course or increase in the intake of seats in the diploma level institution shall be made in Form V.

6. Conditions for grant of approval.—Every application under sub-regulation (1) of regulation 4 shall be considered subject to the fulfilment of the following conditions, namely :—

- (i) The financial position of the applicant shall be sound for investment in developed land and in providing related infrastructural and instructional facilities per the norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting annual recurring expenditure ;
- (ii) the courses or programmes shall be conducted per the assessed technical manpower demands ;
- (iii) the admissions shall be made according to the regulations and directions of the Council for admissions in the respective technical institution or university ;
- (iv) the tuition and other fees shall be charged within the overall criteria as may be laid down by the Council ;
- (v) the staff shall be recruited as per the norms and standards specified by the Council from time to time ;
- (vi) the Governing Body in case of private technical institutions shall be as per the norms as specified by the Council ;
- (vii) any other conditions as may be specified by the Council from time to time.

SEC.

complete in all respects, by 31st December for the institutions or courses or programmes commencing in the subsequent academic year.

Application for approval from the Government and Government aided institutions shall be sent to the Government concerned to the Bureau RC, along with the application of affiliation by the University/State Board. Application pertaining to a University, University or Deemed University shall be submitted through the Grants Commission.

Application from a registered society or trust of technical institution functioning on the date of those regulations or for setting up of institution at degree or diploma level or for programmes and the intake capacity of seats shall be submitted to the Bureau RC and also simultaneously to the State Government, the University or the Regional Office concerned by the Society or Trust, whichever may be.

of applications.—(1) The Bureau RC shall make scrutiny of every application received by it.

If the Bureau RC finds any application incomplete in its form, it shall return the same, within fifteen days of receipt to the applicant specifying the defects.

Application which has been found by the Bureau RC to be complete in all respects shall be processed in the manner specified in these regulations.

The Bureau RC shall invite comments/recommendations on the applications referred to in sub-regulation (3) from the following, namely :—

(a) The State Government concerned,

(b) The affiliating University/State Board of Technical Education,

(c) The Bureaus MPCD,

(d) The Bureau BOS,

(e) The Bureau RA,

(f) The Regional Office.

The Regional Office shall arrange visit of an Expert Committee, constituted by the Council under sub-regulation (2), to the institution concerned, and forward the recommendations of the Expert Committee to the Council's Office ordinarily within a period of two months or such other period as may be specified by the Council.

The State level Committee constituted under sub-regulation (4) of regulation 9 shall consider the recommendations of the State Government and others mentioned in sub-regulation (4) and shall make its recommendations to the Council.

The Central Task Force constituted under sub-regulation (5) of regulation 9 shall consider the recommendations of the State level Committee and send its recommendations to the Member-Secretary of the Council.

If there is a disagreement in the recommendations made by the State Government, University or the Regional Office, the Central Task Force shall invite representatives of the respective agencies for further consultations before making final recommendation ;

On the recommendation of the Central Task Force, the Council shall decide the question of grant of approval as mentioned in the application :

Provided that the Council may, for reasons to be communicated to the applicant, allow the approval with such restrictions or modifications as it may deem necessary ;

The decision of the Council shall be communicated to the Government concerned or the University Grants Commission or the State Government.

the applicant by 30th April in case the application was made before the preceding 31st December.

(11) If the Council has rejected an application the reasons for such rejection shall be communicated to the applicant.

(12) The rejection of an application shall not disentitle an applicant to make fresh application for any subsequent academic year.

(13) The Council shall, in every year, before 31st December publish the names of approved technical institutions, University Departments or Deemed Universities conducting courses in technical education, the courses and programmes approved by the Council and the number of seats permitted (annual intake capacity) for each course or programme and communicate relevant extracts of the same to the concerned authorities.

(14) All institutions, courses and number of seats approved after publication of a list under sub-regulation (13) shall stand included in the relevant list communicated to the competent authorities in the month of December.

(15) The time schedule and sequences of processing applications for approved proposals shall be as given in the Schedule appended to these regulations :

Provided that the Council may, for good and sufficient reasons to be recorded in writing, modify the time schedule in respect of any class or category of applications.

9. Committees.—(1) For processing of applications under these regulations, the Council shall constitute the following Committees, namely :—

- Expert Committee ;
- State level Committee ;
- Central Task Force.

(2) An Expert Committee which shall be constituted by the Council in consultation with the Chairman of the Regional Committee, shall consist of a representative of the concerned State Government, the Regional Officer or his nominee, a nominee of the University or Board concerned and Expert members.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), in urgent or special circumstances, Chairman of the Council shall appoint an Expert Committee with an Officer of the Council as Member-Secretary to consider any specific class or category of application.

(4) A State level Committee shall consist of the Chairman of the concerned Regional Committee, Secretary of the State Government concerned dealing with technical education and Director of Technical Education of the State Government concerned, two Vice-Chancellors, one Director of an Indian Institute of Technology, one member from the Executive Committee, nominee of the University Grants Commission and expert members from academic institutions and industry nominated by the Chairman of the Council, Adviser (BOS), Adviser (MPCD), Adviser (RA) and Adviser (RC), Regional Officer, Chief NTMIS Project, representative of MHRD Technical Bureau and any other member nominated by the Chairman of the Council. The State level Committee shall be chaired by an eminent educationist/industrialist nominated by the Chairman of the Council, and Adviser of the Council shall be nominated as Member-Secretary of the State level Committee by the Council.

(5) Central Task Force—The Central Task Force shall consist of two members of the Executive Committee of the Council, an Education Planner/Administrator, two expert members, one member from judiciary. The Central Task Force shall be chaired by the member of the Executive Committee nominated by the Chairman of the Council, and Adviser of the Council shall be nominated as Member-Secretary of the Central Task Force by the Council. The expert members shall be nominated provided they are not members of the State level Committee.

(6) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may invite any person to be associated with any of the above Committees.

10. Interpretation.—(1) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Council.

(2) The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which may arise in regard to implementation of these regulations.

11. Power to relax.—The Council may, for removal of any hardship or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of institutions.

12. Withdrawal of approval.—If any technical institution including University, University Department or deemed University or College contravenes any of the provisions of these regulations, the Council may, after making such inquiry as it may consider appropriate and after giving the technical institution concerned an opportunity of being heard, withdraw the approval granted under these regulations.

SCHEDULE

[See regulation 8(15)]

TIME SCHEDULE AND SEQUENCE OF PROCESSING OF APPLICATIONS FOR APPROVAL

Sl. No.	Stage of processing application	Last date by which the processing should be completed
(1)	(2)	(3)
1.	For receiving proposals by Bureau RC.	
2.	For the Bureau RC to screen the applications and — (a) to return the incomplete applications to applicants, and (b) to forward the applications to (i) State Government concerned (ii) University or State Board concerned, for their comments (iii) Regional Officer to arrange visits by Export Committees, and (iv) Bureaus MPCD, BOS and RA for their comments.	31st December
3.	For receiving the comments from (i) the State Government (ii) the University or State Board and (iii) the Regional Committee based on the Expert Committee's report and (iv) from the Bureaus MPCD, BOS and RA.	15th March
4.	For consideration of the comments from the State Governments, Universities or State Boards, Regional Committees, and Bureaus of the Council by the State level Committee.	31st March
5.	For recommendations to be made by the Central Task Force	15th April
6.	For communicating the final decision to the State Government or the University Grants Commission, under intimation to the Regional office, Director of Technical Education, applicant, University or State Board.	30th April

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION FORM I

[See regulation 5 (2) (a)]

APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF DEGREE/DIPLOMA INSTITUTION IN

ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE,
PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.
FOR AICTE APPROVAL

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR ESTABLISHMENT OF DEGREE/DIPLOMA INSTITUTIONS IN ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS etc.

- (a) Seven copies of the complete application in the prescribed FORM and in accordance with the prescribed procedure must be submitted to the Bureau (RC), of the Council.

Y. N. CHATURVEDI, Member-Secretary

- Incomplete proposals and those not submitted in prescribed format will not be processed.
 - The proposals which are received late but are in order will be processed for the subsequent academic year.
 - Proposals must be submitted in A-4 size only. All larger sized documents should be reduced to A-4 size.
 - In the event the informations and statements given by the applicant are found to be incorrect, the application is liable to be rejected.
- Requisite area of land must be in possession for the proposed institution either by a clear title or registered lease deed, as per rules of the State authorities, in the name of the Society/Trust/Institution.
 - If the requisite area of land is not in possession of the Society/Trust/proposed Institute, the proposal will not be accepted.
 - The applicant/Society/Trust/Institution should have an endowment fund.

SEC. III-Part 4]

100% of the peak annual recurring expenditure or as prescribed by the State Government/UT or Rs. 10 lakhs, whichever is less.

(a) At the time of application, the applicant/Society/Trust/Institute should have funds to the tune of 10% of the total estimated cost of the project in the name of the Institution in savings or fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of nine months.

(b) The total assets of the applicant/society/Trust/Institution are not acceptable as proof of financial viability of the proposal.

(c) Promissory notes are not accepted as evidence of availability of funds in hand for establishing the proposed institution.

The establishment of an institution particularly in remote areas has inherent difficulties of attracting teaching faculty and technical supporting staff. The applicant/Society/Trust/Institute should make available convincing evidence of staff availability and mobilisation.

LIST OF DOCUMENTS TO BE ATTACHED

Applicants should ensure to attach the following documents :

- (a) A copy of registration document of the Society/Trust, etc. alongwith the composition of society/Trust etc. (only for private Societies/Trusts).
- (b) Copies of the curriculum and syllabus of the proposed course(s) alongwith the teaching and examination schemes.
- (c) The undertaking on non-judicial stamp paper as per form enclosed (only for private Societies/Trusts).
- (d) A copy of the land registration papers/registered lease deed.
- (e) A sketch showing area of each plot and centre to centre distance between plots, if the land area is in more than one plot.
- (f) A copy of city road map showing location of the proposed site of the institution.
- (g) A copy of land use certificate from the competent authority allowing use of the selected land for institutional proposes.
- (h) Photocopies of the endowment fund fixed deposit receipts.
- (i) Photocopies of latest bank statements, fixed deposit receipts etc. regarding availability of funds in hand.
- (j) Authenticated documents to support mobilisation of additional funds.
- (k) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.
- (l) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following :
 - (i) A copy of map showing layout of the existing and proposed building(s) on the plot of land and floor plans of each building alongwith photographs.
 - (ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for construction of buildings for institutional purposes.
 - (iii) Completion/possession certificate of the buildings.
 - (iv) Clearance of Urban/Land Development Authority.
- (m) Approved floor plans of proposed building(s) (i.e. civil drawings) from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building(s).
- (n) An undertaking for compliance with the general conditions of the AICTE on non-judicial stamp

ANNEXURE I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTER OR ANY OTHER COMPETENT AUTHORITY)

I/We, the [name of the Trustee/Chairman/Principal/Director of the (name of the College/Institution/Mandal/Trust/Society, etc.)] hereby undertake to comply with the following in connection with my/our application for starting/establishment/intake capacity of seats of (name of Courses/College) from the session_____

1. That the Management including the Governing Body of the (Institute/College) shall be constituted and the Chairman of the Body/Council shall be appointed as per the guidelines of Council (Annexure-II).

2. That the management shall provide funds for investment in developed land and in providing the related infrastructural, instructional and other facilities as per Council's norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting the recurring expenditure.

3. That the courses or programmes shall be conducted as per the assessed technical manpower demands.

4. (a) That the admissions shall be made according to the regulation and directory of the Council for such admission in the respective technical institutions.

(b) That the admissions to the courses shall be made only after the minimum requisite/prescribed facilities are created and the affiliating University/State Board has given permission to start the course.

(c) That the Institution shall not cause or allow either closure of the Institution or discontinuation of the course(s) or start any new course(s) or alter the intake capacity of seats without the prior concurrence of the Council.

5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall charged from the students/guardians of the students in any form.

6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a chartered Accountant and shall be open for inspection by the Council or any board or person authorised by it.

7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.

8. That the Management shall strictly follow any further conditions as may be specified by the Council from time to time.

9. In the event of non-compliance by the (name of Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid/prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the (Society/Institute/College).

10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government for the Institute or for recurring expenditure etc.

Place :

Date :

(Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

1. The matter within brackets shall need to be filled up as relevant.

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below :—

1. Chairman : to be nominated by the Registered Society/Trust.
- 2.5. Members to be nominated by the Registered Society/Trust.
6. Nominee of the All India Council for Technical Education—Regional Officer (Ex-Officio).
7. An industrialist/technologist/educationist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.
8. Nominee of the Affiliating Body/University/State Board of Technical Education.

1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 Name and address of the applicant (Govt./Society/Trust) alongwith telegraphic address, Fax and phone no(s) (with STD Code in brackets) :

1.2 Proposed name of the Institution and its proposed location :

1.3 Type of the Institution (specify one of the following) :

Private No-grant/Private grant-in-aid/Govt. (Central/State/UT)/Other (specify)

1.4 For applicants other than a Govt. or University,

—Give the composition of the Trust/Society etc.

—Attach proof of registration of the Society etc.

—Give the qualification of the Trust to establish and manage the institution.

2.0 Technical Institutions run/managed by the Trust/Society (not for Govt./University).

Name of Institutions	City and State of location	Courses conducted	Whether AICTE* approved or not
----------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------------

*If not approved, please give reasons for non-approval and steps taken to seek/qualify for AICTE approval

3.0 Whether the applicant Trust/Society has any court case v/s the State Government or the AICTE? If so, please give brief details.

4.0 ACADEMIC INFORMATION

4.1 Academic programmes Proposed to be conducted:

Course titles	Duration (yrs)	Intake	Year of commencement	Entry Level
Electronics Engg.	4 or 3	60	1993-94	12+ or 10
Computer Science and Engg.	4 or 3	60	1993-94	12+ or 10
Mechanical Engg.	4 or 3	60	1993-94	12+ or 10

9. Nominee of the State (Government—Director Technical Education (ex-Officio).

10. An industrialist/technologist/educationist from the Region nominated by the State Government.

11. Principal/Director of the concerned technical Institution (as nominee of the Society/Trust)—Member Secretary.

The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from the Region keeping in view the interest of the Technical Institution. The total number of members of a Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body

The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either an entrepreneur or an industrialist or an educationist or repute who is interested in the development of technical education, is a member of the parent Society/Trust and has demonstrated an interest in promotion of quality education in particular.

[1-पृष्ठ 4]

2. Please attach copies of the curriculum and syllabi to be followed by the Institution for each of the proposed courses alongwith the teaching and examination schemes.

5.0 Has the proposal been supported by the State Government?

If yes, please attach a copy of the State Govt's recommendatory/forwarding letter.

If not, please give the reasons. (Please note that a letter from the DTE or any other Director is not sufficient)

6.0 Has the willingness/consent of the affiliating body (concerned University/Board of Technical Education) to affiliate the proposed course(s) subject to AICTE approval, been obtained?

If yes, please attach a copy of the willingness/consent letter.

If not, please give reasons for the same.

7.0 JUSTIFICATION

7.1 Are one or more of the proposed courses already being conducted in one or more institutions in the District in which the proposed college is to be located?

If so, please give names of the institutions and the course(s) being conducted alongwith the respective sanctioned annual intakes:

Name of Institution	Course title	Total sanctioned intake in the Distt.
XYZ	Mech Engg Civil Engg	120 60

Note : The text and numbers in various columns are only examples.

7.2 Please give the total seats available within the State in each of the proposed course(s) during the last academic year.

Course Title	Total sanctioned intake in the State
Electronics Comm. Engg.	240
Mechanical Engg.	480

Note : The text and numbers in various columns are only examples.

7.3 Keeping 7.1 and 7.2 in view, give detailed justification for introduction of the proposed disciplines is and intakes vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario and potential for self-employment.

7.4 Please indicate yearwise future plan for expanding the educational base of the proposed institution such as increase in intake, adding new courses, conduct of continuing education programmes, etc. Please note that the future Approvals would substantially be based on the information given here.

Proposed courses	Full-time/part-time/ continuing	Proposed intake	Proposed years of commencement
------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

8.0 LAND

8.1 State the land area (in hectares) in possession for establishing the Institute (Please consult the relevant AICTE norms and standards to assess the desired land area requirement).

Please attach a copy of the registration documents.

Also indicate if the land area is in one plot or more. If more than one please give a sketch showing area of each plot and centre to centre distance between the plots.

For valid form of ownership, please see instructions.

Attach a map of the District showing location of the proposed site of the institution.

8.3 Whether the land is allowed to be used for institutional purposes? Please attach a copy of land use certificate from the competent authority.

9.0 FINANCES:

9.1 Whether a corpus fund/endowment fund has been created and mortgaged with the State Government? If so, attach proof thereof.

9.2 Give details of investable funds available in hand for establishing the proposed institution, duly supported with copies of latest bank statements, FDRs, etc. Promissory notes are not acceptable.

9.3 Please indicate how the additional funds for investment in buildings, equipments, etc. would be mobilised over the next 3 to 4 years. Please attach authenticated documents to support your statement.

9.4 Please give yearwise annual anticipated recurring expenditure as below (I, II, III & IV) year pertaining to the year of establishment of the Institution):

Item of Expenditure	Anticipated annual expenditure in Rs. during			
	I	II	III	IV
a. Salaries, allowance, benefits, etc., of teaching staff				
b. Salaries of Technical supporting staff				
(2. Salaries of non-tech. supporting staff				
d. Training cost				
e. Maintenance of equipment and buildings				
f. Library				
g. Miscellaneous contingencies				
h. others				

For details, please consult the concerned norms and standards of the AICTE.

9.5 Please explain how the funds to meet the recurring expenditure at 9.4 would be generated from year year.

10.0 INFRASTRUCTURE

10.1 In case the building(s) for permanent or temporary accommodations of the Institution are already available, please give the plinth area (sqm) as below:

Type of construction	Instructional bldg.	Administrative bldg.	Amenities	Hostel	Resident	Total area
(a) RCC						
(b) Shed						

Give a layout of buildings on the plot of land and floor plan of each building alongwith photographs.

Note : Please attach clear proof of the following:

- Use of the building(s) for institutional purposes.
- Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for construction of the building(s).
- Completion/possession certificate of the building(s).
- Clearance of Urban Development Authority.

10.2 In case the permanent building(s) are to be constructed for the Institution, give yearwise plan of construction for instructional areas, (classrooms, tutorial rooms, drawing halls, laboratories, workshops, library, instructional Resource centre, computer centre, examination hall etc.), administrative areas. (offices staff rooms, conference room, confidential room, estate office etc.), amenities (common room, sports room, NCC, NSS, Canteen, lobby centre, dispensary, etc.) and residential areas (students hostel, staff quarters, guest house), as per the AICTE

Give a layout of proposed building(s) on the plot of land for the Institution and floor plan of each building.

Space title	Plinth area to be constructed during the				
	Period prior to commencement of classes.	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.

Class rooms
Tutorial rooms
Drawing halls
Laboratories
Workshops

Space titles are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

10.3 Please indicate year-wise estimates of expenditure on construction of buildings as at 10.2

Space title	Expenditure for construction of additional space areas during the year				
	Period prior to commencement of course(s) increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

Class room
Tutorial rooms
Drawing hall
Laboratories
Workshops

Space titles are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

10.4 Laboratories : Please give yearwise action plan of establishment (i.e. equipment and commencing of the of the laboratories) various laboratories alongwith cost estimates for procurement of equipments instruments or fixtures and fittings, furnitures etc.

Name of Laboratory	Expenditure for establishment of various laboratories during the year				
	Period prior to commencement of Classes	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.

Physics
Chemistry
Applied Mechanics

consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s).

186

10.5 Workshops : Please give yearwise action plan establishment of various workshops alongwith cost estimate for procurement of equipments, tools, machinery, furniture, fixtures and fittings etc.

Name of the Workshop	Expenditure for establishment of various workshops during the				
	Period prior to commencement of Classes	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.
Carpentry					
Fitting					
Block					
Welding					

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s)

10.6 Computing facilities : Please give yearwise action plan of procurement of hardware and software etc. furniture, fittings and fixtures etc. for establishment of computer centre alongwith cost estimates.

Facilities	Expenditure for establishment of various computing facilities during the				
	Period prior to commencement of classes	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.
Computer Centre					
Computer Lab					
Graphic Oab					

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s).

10.7. Library : Please give yearwise action plan for procurement of initial stock of books, yearly addition books (Text books reference books, encyclopedia, others) journals to be subscribed (National and International furniture, fixtures & fittings etc. alongwith cost estimates.

Item	Expenditure for procurement of Library books/periodicals during the				
	Period prior to Commencement of classes	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.
Text books					
Reference books					
Journals					

[II-अ, 4]

10.8 Teaching faculty : Please give action plan for recruitment of teaching faculty (Principal, Professor, Asstt. Professor/HOD, Senior Lecturer, Lecturer).

Faculty cadre	No. already available	Type of faculty (part-time/full-time/visiting)	No. to be recruited during the				
			period prior to commencement of classes	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.

Principal
Professor
Asstt. Prof./
HOD
Sr. Lecturer,
Lecturer

Kindly also indicate number of each category of staff, if already, available.

10.9 Workshop staff : Please give annual action plan for recruitment of workshop staff (Workshop Spdt. Foreman Instructor, Workshop Instructor/Asstt. Instructor, Lab. Technician/Asstt. Skilled Asstt. etc.) Kindly also indicate number of each category of staff, if already available.

Faculty cadre	No. already available	Type of faculty (part-time/full-time/visiting)	No. to be recruited during the				
			Period prior to commencement of classes.	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.

Workshop Supdt.

Foreman

Instructor

Workshop Instructor

For detail, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

10.10 Library, IRC, and Computer Staff : Please give annual action plan for recruitment of library, IRC, and Computer staff (Librarian, Asstt. Librarian, Library Asstt. System Manager, System Analyst, Computer Programmer, Computer Operator etc.) Kindly also indicate number of each category of staff, if already available.

Faculty cadre	No. already available	Type of faculty (part-time/full-time/visiting)	No. to be recruited during the				
			Period prior to Commencement of Classes	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.

Librarian Asstt.

Librarian System

Manager -System

Analyst

Computer Programmer

10.11 Technical Supporting and Administrative Staff : Please give annual action plan of recruitment like Admn. Officer, Finance Officer, Acctt. Steno., Maintenance Engineer, Store Keeper, Draughtsman, W Library Attd. etc. Kindly also indicate number of each category of staff, if already, available.

Faculty cadre	No. already available.	Type of faculty (part-time/full-time/visiting)	No. to be recruited during the				
			Period prior to commencement of classes	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.
1	2	3	4	5	6	7	8
Admn. Officer							
Finance Officer							
Accountant.							

For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

10.12 List the yearwise major equipments (costing Rs. 5000 or more per unit) to be provided in various laboratories/workshops alongwith brief specifications in the format given below :

Lab./Workshop	Name of Equipment.	Brief Specifications	Qty. to be provided			
			I yr.	II yr.	III yr.	IV yr.
1	2	3	4	5	6	7

11. Please state whether a regular Municipal supply of drinking water and water required for labs/workshops is available. If not, please explain the alternate arrangements for a regular supply.

12. Please state whether adequate and regular electricity supply is/would be available and attach supporting documents.

What shall be the standby arrangements in case of shut downs/break downs.

13. Please state transport arrangements from city to the Institution in case the Institution is not located within the Municipal limits.

14. Faculty shortages are noted in most of the institutions and these shortages are noted to be more in institutions located in semi-urban and non-urban areas.

It is also noted that for certain disciplines, availability of faculty is restricted due to various reasons.

Keeping the above in view, please indicate the faculty resource base if available and also as to who the applicant proposes to attract the faculty for the proposed courses.

EC. भाग III-अध्याय 4]

15. It is noted that all applicants do not possess sufficient expertise in establishing a technical education institution in a time bound manner and on appropriate lines (both physically and academically). For this purpose, it becomes necessary to have a very senior experienced person as the main consultant helped by subject-matter specialists to assist and advise the management establish the proposed institution. It, therefore, becomes necessary to identify the consultant and subject matter specialists and to have an agreement with them for atleast the first four years during which the institution is in the process of establishment.

Keeping the above in view, kindly give the names of consultants and subject matter specialists along with their qualifications and background. Also kind attach letters of agreement signed with the consultant and the subject matter specialists.

16. For bringing effectiveness in technical education, and also for making arrangements for training of students and staff and also for having selected lectures and advice from senior industry personnel, it is essential to establish linkages with the relevant industries in the vicinity of the institution.

Keeping the above in view, please give the names and locations of industries with whom linkages are to be established and also attach their letters of consent.

17. Please give the name(s) of your bankers along with the various accounts numbers held with them for the proposed institution.

18. Please give the name and addresses the auditors appointed or proposed to be appointed for the proposed institution.

19. Please attach an undertaking on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached (not applicable to Govt./University).

Name and Signature of Head of the Institutions/Managing Trustee/the Society/Trust.

IV

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION FORM II

[See regulation 5 (2 (b))]

APPLICATION

FOR EXISTING DEGREE INSTITUTION(S) SEEKING
AICTE APPROVAL WITHOUT ADDITIONAL COURSE(S)
AND/OR ADDITIONAL INTAKE(S)

IN

ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE,
PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.

INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR
EXISTING DEGREE INSTITUTION(S) SEEKING AICTE
APPROVAL WITHOUT ADDITIONAL COURSE(S) AND/
OR ADDITIONAL INTAKE(S) IN ENGINEERING/TECH-
NOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED
ARTS ETC.

1. (a) Seven copies of the application must be submitted in the prescribed Form to the Bureau (RC), AICTE, New Delhi by 31st December.

(b) Incomplete proposals and those not submitted in the prescribed format shall not be processed.

(c) The proposals which are received late but are in order shall be processed for the subsequent academic year.

(d) Proposals must be submitted 'A-4' size only and larger sized documents should be reduced to 'A-4' size.

(e) Proposals are likely to be rejected in the event that the information and statement given by the applicant are found to be incorrect.

2. (a) Requisite area of length for the existing and additional courses must be in possession for use of the Institution as per rules

(b) If the requisite area of land is not in possession of the applicant, the proposal shall not be accepted.

3. The applicant should create an endowment fund jointly in the name of the institution and the concerned State authority to the tune of 30 per cent of the peak annual recurring expenditure for existing and additional course(s)/increase in intakes or as prescribed by the State Government/UT or Rs. 10 Lakhs, whichever is less.

4. (a) At the time of application, the applicant should have funds to the tune of 50 per cent of the total estimated cost of provision of additional infrastructural and instructional facilities in the name Institution in a savings of fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of six months.

(b) The total assets of the applicant are not acceptable as proof of financial viability of the proposal.

(c) Promissory notes are not accepted as evidence of availability of funds in hand for starting the proposed course(s)/increase in intake(s).

5. Experience has shown that Institution located in remote areas has inherent difficulty of attracting teaching faculty and technical supporting staff. The applicant should make available convincing evidence of staff, availability and mobilization.

List of Documents to be attached

Applicant should ensure to attach the following documents.—(a) A copy of registration document of the Society/Trust etc. along with composition of Society/Trust etc.

(b) A copy of the relevant Government orders per meeting starting of the Institution.

(c) A copy of the letter of the affiliating body along with affiliation of the Institute/existing course(s).

(d) Copies of the curriculum and syllabus of the existing courses and examination schemes

- (e) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following :
- (i) A copy of the map showing layout of existing and proposed building(s) on plot or land and floor plans of each building along with photographs.
 - (ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for the existing buildings for institutional purposes.
 - (iii) Completion/possession certificate of the buildings.
 - (iv) Clearance of Urban/Land Development Authority.
- (f) A copy of the land registration papers/registered lease deed (as applicable).
- (g) A copy of land use certificate from the competent authority allowing use of the land for institutional purposes.
- (h) A certificate from the executive authority of the applicant that the land and facilities are not being shared with any other institution/activity.
- (i) A sketch showing area of each plot and centre to centre distance between plots, if the land area is in more than one plot.
- (j) A copy of city road map showing location of the institution.
- (k) Photocopies of the corpus fund/endowment fund fixed deposit receipts.
- (l) Photocopies of latest bank statements, fixed deposit receipts etc. regarding availability of funds in hand.
- (m) Photocopies of duly audited statements of income/expenditure, balance sheet and audited reports of the Institute for the preceding 3 years.
- (n) Authenticated documents to support mobilisation of additional funds.
- (o) Approved floor plans of proposed building(s) (i.e. civil drawings) from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building(s).
- (p) Authenticated documents to support claim of meeting non-recurring expenditure.
- (q) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.
- (r) An undertaking for compliance with the general conditions of the AICTE on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.
- (s) Minutes of the last three meetings of the Body/Council/Committee responsible for management of the Institute.

ANNEXURE-I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTERAR OR ANY COMPETENT AUTHORITY)

I/We, the (name of the Trustee/Chairman/Principal/Director of the College/Institution/Mandal/Trust/

following in connection with my/our application starting establishment/intake capacity of seats of of Courses/College) from the session—

1. That the Management including the Govt. Body of the (Institute/College) shall be constituted. The Chairman of the Body/Council shall be appointed as per the guidelines of Council (Annexure-II).

2. That the management shall provide funds for investment in developed land and in providing related infrastructural, instructional and other facilities as per Council's norms and standards laid down. The Council from time to time and for meeting recurring expenditure.

3. That the courses or programmes shall be conducted as per the assessed technical manpower demands.

4. (a) That the admissions shall be made according to the regulation and directory of the Council. Such admission in the respective technical institution.

(b) That the admissions to the courses shall be made only after the minimum requisite/pre-specified facilities are created and the affiliating University/State Board has given permission to start the course.

(c) That the Institution shall not cause or result in either closure of the Institution or discontinuation of the course(s) or start any new course(s) or alter intake capacity of seats without the prior concurrence of the Council.

5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall be charged from the students/guardians of students in any form.

6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a Chartered Accountant and shall be open for inspection by the Council or any body or person authorised by it.

7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.

8. That the Management shall strictly follow further conditions as may be specified by the Council from time to time.

9. In the event of non-compliance by the (name of the Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid down and prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such withdrawal would solely be that of the (Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.).

[III-अ 4]

10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government for the Institute or for recurring expenditure etc.

Place :

Date :

(Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

11. The matter within brackets shall need to be filled up as relevant.

12. It should be ascertained that the stamp-paper and the undertaking are properly authenticated.

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below :—

1. Chairman : to be nominated by the Registered Society/Trust.
2. 5. Members to be nominated by the Registered Society/Trust.
6. Nominee of the All India Council for Technical Education-Regional Officer (Ex-Officio).

7. An industrialist/technologist/educationist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.

8. Nominee of the Affiliating Body/University/State Board of Technical Education.

9. Nominee of the State Government-Director of Technical Education (ex-Officio).

10. An industrialist/technologist/educationist from the Region nominated by the State Government.

11. Principal/Director of the concerned technical institution (as nominee of the Society/Trust). —Member-Secretary

The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from the Region keeping in view the interest of the Technical Institution. The total number of members of a Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body

The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either an entrepreneur or an industrialist or an educationist of repute who is interested in the development of technical education, is a member of the parent Society/Trust and has demonstrated an interest in promotion of quality education in particular.

INFORMATION ABOUT THE EXISTING DEGREE INSTITUTION

(Engineering, Architecture, Pharmacy, Applied Arts etc.)

10. GENERAL

(1) Name and address :

(a) Name of the Institution :

(b) Postal address :

(with PIN code)

(c) Telegraphic address :

(d) Fax and phone Nos. (with STD code in bracket)

(2) Name and designation of the Head of the Institution with residential & office telephone numbers (with STD codes in brackets) :

(3) Type of the Institution : (specify one of the following)

Private No-grant

Private/Grant-in-aid

(4) In case of Private Institutions, full postal address of the Managing agency should be given alongwith telegraphic address, fax and phone Nos. (with STD code in bracket) :

(5) Date of establishment of the institution (please attach a copy of relevant Government orders) :

(6) Give name of affiliating University/body with full postal address. Also give the names and phone Nos. of the Vice-Chancellor and Registrar of the equivalent officers.

11. ACADEMIC INFORMATION :

2.1 Academic Programmes being conducted during 1992-93 :

Programme Level/ Degree awarded	Field/specialisation	Full/part time	Duration (yrs)	Sanctioned intake	Actual Admissions	Year of starting
Under-graduate						
B. Tech	Civil Engineering	Full	4	60	50	1972
B.E.	Mechanical Engineering	Part-time	4	30	28	1980
B. Arch	Architecture	Full	5	60	55	1989
B. Pharm	Pharmacy	Full	4	60	58	1985
Post-Graduate						
M. Tech	Machine Design	Full	1.5	10	10	1982
M.E.	Thermal Engineering	Part-time	3	10	10	1984
Others						

Note : The text and numbers in various columns are only examples.

2.2 Whether the Institution and the course(s) conducted are approved by the AICTE ?

—If yes, attach a copy of all AICTE approval letters.

—If any course(s) being conducted is/are not AICTE approved, please state reason(s) for the same.

2.3 Admissions :

Name of course	Entry Qualification	Method of* Admission	Seat Distribution %			
			State Government	Management	SC/ST	Others

*Please state whether by Entrance Test or based on marks obtained in the qualifying examination.

2.4 If admission is based on marks obtained in the qualifying examination (such as 10+2 etc.), please give full details for all admission regarding the minimum percent of aggregate marks and the minimum average % marks prescribed in the subject of Physics, Chemistry and Mathematics.

2.5 Sanctioned and actual admissions :

Course	Sanctioned (S) and Actual (A) Annual intakes											
	1987-88		1988-89		1989-90		1990-91		1991-92		1992-93	
	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A

2.6 Details of First year student enrolment during the preceding 5 full academic years (total of 5 years).

Type of Students	Total sanctioned intake	Total admission	% of total admission			Total drop- outs	% of total admissions			Total turn- out
			SC/ST	Rural Tribal	Girls		SC/ST	Rural Tribal	Girls	

(a) Under-graduate
Full-time
Part-time
Others (specify)

(b) Post-graduate
Full-time
Part-time
Others (specify)

(c) Doctoral or equivalent

(d) Others

2.7 Details of Second year student enrolment during the preceding 5 full academic years (total of 5 years) :

Type of students	Total sanctioned intake	Total admissions	% of total admission			Total drop-outs	% of the total drop-outs			Total turn-out
			SC/ST	Rural & Tribal	Girls Lateral entrants		SC/ST	Rural & Tribal	Girls Lateral entrants	
(a) Under-graduate										
Full-time										
Part-time										
Others (specify)										
(b) Post-graduate										
Full-time										
Part-time										
Others (specify)										
(c) Doctoral or equivalent										
(d) Others										

(e) If the institution has been functioning for less than 5 years, state the number of year for which the data is given)

2.8 If admissions are also made by lateral entry to certain courses, please give details of the entry qualification in the lateral admission, the percentage of total seats reserved for lateral entrance and the minimum entry qualification for lateral entrants.

2.9 Dates of the starting and stopping of all admissions as per the calendar of the affiliating body.

2.10 Details of examination results during the preceding two academic years. (total of 2 years)

Type of students	No. appeared	Total Passed	Passed with distinction	Passed with 1st Class	Passed with 2nd Class
(a) Under-graduate					
Full-time					
Part-time					
Others (specify)					
(b) Post-graduate					
Full-time					
Part-time					
Others (specify)					
(c) Doctoral or equivalent					
(d) Others					

2.11 Details of institutional Working hours etc. during the preceding two academic years (average) :

No. of expected working days per semester/year	No. of actual working days per semester/year	No. of expected Instructional hours per semester/year	Actual contact hours achieved per semester/year	No. of days of vacation	No. of days spent for examination
--	--	---	---	-------------------------	-----------------------------------

2.12 Details of placement of pass-outs during the preceding two academic years (total of 2 years) :

Courses	No. Passed	No. placed within 3 months	No. placed within 3 to 6 months	No. placed within 6 to 12 months
---------	------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

3.0 TEACHING FACULTY INFORMATION :

3.1 Faculty strength for various levels of programmes :

Type of Faculty	Sanctioned Strength				Nos. in Position			
	UG	PG	Others	Total	UG	PG	Others	Total
Full-time								
Part-time								

194

3.2 Give numbers of the teaching faculty in position by category during the preceding 2 years :

Faculty Cadre	Nos. in position on		Numbers required on January, 1, 1993 as per	
	January 1, 1992	January 1, 1993	State/University norms	AICTE norms
Principal				
Professor				
Associate Professor				
Reader				
Asst. Professor				
Senior Lecturer				
Lecturer				
Others				

3.3 Details of emoluments and age :

Particulars	Professor	Associate Professor	Reader	Assistant Professor	Senior Lecturer	Lecturer	Others
No. of faculty							
Average age (years)							
Highest emoluments							
Average emoluments							
Lowest emoluments							
Lowest length of service in the institution							
Highest length of service in the institution							
Average length of service in the institution							

3.4 Number of the Workshop, Library and other supporting staff by category :

Faculty Cadre	Nos. in position on		Numbers required on January 1, 1993 per	
	January, 1, 1992	January 1, 1993	State/University norms	AICTE norm
Workshop Supdt.				
Foreman Instructor				
Workshop Instructor/				
Asst. Instructor				
Skilled Asst.				
Lab Technician/				
Assistant				
Librarian				
Library Asst.				
System Manager				
System Analyst				
Computer Programmer				
Computer Operator				

3.5 Work-load per week (in percentage of total duty hours in a week) for the following activities:

Activity	Professor	Associate Professor	Reader	Assistant Professor	Senior Lecturer	Lecturer	Others
Teaching							
Research							
Administration							
Institute/							
College Dev.							
Guidance &							
Counseling							
Consultancy							
Training &							
Placement							

[Part III-Part 4]

3.6 Details of Faculty (name, qualifications and experience etc).

Name	Qualifications	Total Experience	Total teaching experience	Date of appointment	Level of appointment (Lecturer, Sr. Lecturer) Asst. Professor etc.	Present pay scale & date from which given	Basic pay as on date	Total employments
------	----------------	------------------	---------------------------	---------------------	--	---	----------------------	-------------------

3.7 Please state whether all the existing faculty has been recruited as per procedure, experience & qualifications prescribed by the AICTE for engineering colleges.

3.8 Please state what percentage of teaching faculty members is being paid as per the AICTE pay scales for the last 2 academic years.

3.9 Please give details of service benefits such as LTC, medical reimbursement, housing, schooling for children, etc given to faculty members.

3.10 Retirement and premature-retirement benefits given to faculty members.

4.0 COMPUTER HARDWARE & SOFTWARE FACILITIES.

Please give details of the existing facilities (number of terminals, type of computers) and staff (level and number of staff other than teaching staff).

5.0 LIBRARY FACILITIES

5.1 Books

Category	Total No. of titles acquired during the past five years.	Total No. of volumes acquired during the past years	Total No. of volumes in the library on date
(a) Text books			
(b) Reference books			
(c) Encyclopaedia			
(d) Others			

5.2 Periodicals:

Particulars

No. of periodicals subscribed to presently

(a) Supporting Departments:

—Indian
—Foreign

(b) Engineering Departments:

—Indian
—Foreign

(c) Other Departments

—Indian
—Foreign

6.0 LABORATORIES

Department	Name of various Laboratories	Total investment on equipment and instruments in the last 3 years
1		
2		
3		
4		
5		

Please attach a list of equipment costing Rs. 1000/- or more at current prices for each laboratory.

6.1 WORKSHOP

Department	Names of various Shops	Total investment on equipment and instruments in the last 3 years
------------	------------------------	---

1
2
3
4
5

7.0 Please attach a copy of the curriculum followed by the Institution along with the teaching scheme and the examination scheme.

8.0 PLINTH AREA (SQM):

Type of Construction	Instructional Building	Administrative Building	Amenities	Hostels	Residences	Total Area
----------------------	------------------------	-------------------------	-----------	---------	------------	------------

(a) RCC

(b) Shed

9.0 LAND AVAILABILITY (SQM):

Academic and Administration	Play Grounds	Hostels	Staff Quarters	Others	Total
-----------------------------	--------------	---------	----------------	--------	-------

1
2

Please attach very clear proof of land possession in the name of the institution/Trust, land use clearance and the type of guarantee that the indicated land is available for the use of the institution only and is not shared with any other institution/activity. (Please also indicate if the land area is in one plot or more.)

10.0 STUDENT DEVELOPMENT, ETHICS AND PROFESSIONAL OUTLOOK:

Describe the opportunities available to students in the Department for participation and membership in relevant technical/professional societies. How are these provided by the Department?

11.0 CONSULTANCY, SPONSORED RESEARCH, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, ETC. DURING THE LAST 5-YEARS.

11.1 Give details of consultancy assignments and total earnings along with names of client organizations and duration and title of each assignment, total earnings etc.

11.2 Give details of sponsored research projects and total earnings along with names of the organizations sponsoring the project, name of the project and total value.

11.3 Number of faculty sponsored till date for improvement of academic qualifications, teaching skills, etc.

Please give names of the faculty, designation, name of the qualifications added type of skills improved etc.

11.4 Number of faculty sponsored till date to attend conferences and other professional meetings, within and outside the country, and the total amount spent for this purpose.

Please give name of the faculty, designation, name of the conferences meetings attended with place, date etc.

11.5 Number of continuing engineering education programmes conducted by your institution, and the total number of participants. Please give name of the programme, date and duration, number of participants, etc.

12.0 FINANCIAL

12.1 Total Expenditure during for the last 2 academic years (1990-91, 1991-92) in category of Recurring Expenditure and Non-Recurring Expenditure.

12.2 Sources of Financial Support:

Source	Recurring Exp.	Non-Recurring Exp.
Ministry of HRD (Direct receipt)		
State Government		
UGC		
Other Central/State Govt. sources		
Private Trust		
Donations		
Student Fees		
Internal revenue generation		
Others (please specify)		
Total		

12.3 State the total annual fee (including tuition, library, laboratory, etc. but excluding hostel fee and food charges) charged per student during

— 1990-91

— 1991-92

— 1992-93

12.4 Additional Fund Requirement, if any:

Particulars	Amount lakhs of Rupees
-------------	------------------------

RECURRING

- (a) Salaries of teaching employees
- (b) Salaries of non-teaching employees staff
- (c) Scholarship
- (d) Expenditure for travel
- (e) Other recurring expenditure

Total of Recurring:

NON-RECURRING

- (a) Additional building
- (b) Additional equipment
- (c) Others

Total of Non-Recurring

12.5 Please explain how the additional funds (as estimated in 12.4) will be generated.

13.0 AICTE APPROVALS RECEIVED DURING THE LAST 2 YEARS:

Name of the course(s)/institutions	Annual Intake	Year of Starting	AICTE approval No. & date
1			
2			
3			
4			
5			

14.10 Please state whether the proposer is running and/or managing any programme or other technical institution which is not approved by the AICTE?

If so, please give the name of the programme/Institution, its address and the courses being conducted.

15.0 Whether the proposer has any court case in respect of violation of provisions of the State Government one or more the AICTE Act?

16.0 Please describe briefly future plans for improvements in infrastructure/expansion in academic & other activities, if any.

(Seal)

Name and Signature of the Head of the Institution

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

FORM III

[See regulation 5(2)(C)]

APPLICATION

FOR EXISTING DIPLOMA INSTITUTION(S)
SEEKING AICTE APPROVAL WITHOUT
ADDITIONAL COURSE(S) AND/OR
ADDITIONAL INTAKES

IN

ENGINEERING/TECHNOLOGY,
ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED
ARTS, ETC.

INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR EXISTING DIPLOMA INSTITUTION(S) SEEKING AICTE APPROVAL WITHOUT ADDITIONAL COURSE(S) AND/OR ADDITIONAL INTAKE(S) IN ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.

1. (a) Seven copies of the application must be submitted in the prescribed Form to the Bureau (RC), AICTE, New Delhi by 31st December.

(b) Incomplete proposals and those not submitted in the prescribed format shall not be processed.

(c) The proposals which are received late but are in order shall be processed for the subsequent academic year.

(d) Proposals must be submitted in 'A-4' size only and larger sized documents should be reduced to 'A-4' size.

(e) Proposals are likely to be rejected in the event that the information and statement given by the applicant are found to be incorrect.

2. (a) Requisite area of length for the existing and additional courses must be in possession for use of the Institution either by a clear title or registered deed as per rules of the State authorities in the name of the applicant.

(b) If the requisite area of land is not in possession of the applicant, the proposal shall not be accepted.

3. The applicant should create an endowment fund jointly in the name of the institution and the concerned State authority to the tune of 30% of the peak annual recurring expenditure for existing and additional course(s)/increase in intakes or as prescribed by the State Government/UT or Rs. 10 lakhs, whichever is less.

4. (a) At the time of application, the applicant should have funds to the tune of 50% of the total estimated cost of provision of additional infrastructural and instructional facilities in the name of Institution in a savings of fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of six months.

(b) The total assets of the applicant are not acceptable as proof of financial viability of the proposal.

(c) Promissory notes are not accepted as evidence of availability of funds in hand for starting the proposed course(s)/increase in intake(s).

5. Experience has shown that Institution located in remote areas has inherent difficulty of attracting teaching faculty and technical supporting staff. The applicant should make available convincing evidence of staff availability and mobilization.

List of Documents to be attached

Applicant should ensure to attach the following documents.—(a) A copy of registration document of the Society/Trust etc. along with composition of Society/Trust etc.

(b) A copy of the relevant Government orders pertaining to the meeting starting of the Institution.

(c) A copy of the letter of the affiliating body along with affiliation of the Institute/existing course(s).

(d) Copies of the curriculum and syllabus of the existing course(s) along with the teaching and examination schemes.

(e) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following :

(i) A copy of the map showing layout of existing and proposed building(s) on plot or land and floor plans of each building along with photographs.

(ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for the existing buildings for institutional purposes.

(iii) Completion/possession certificate of the buildings.

(iv) Clearance of Urban/Land Development Authority.

(f) A copy of the land registration papers/registered lease deed (as applicable).

(g) A copy of land use certificate from the competent authority allowing use of the land for institutional purposes.

(h) A certificate from the executive authority of the applicant that the land and facilities are not being shared with any other institution/activity.

(i) A sketch showing area of each plot and centre to centre distance between plots, if the land area is more than one plot.

(j) A copy of city road map showing location of the institution.

(k) Photocopies of the corpus fund/endowment fund fixed deposit receipts.

(l) Photocopies of latest bank statements, fixed deposit receipts etc. regarding availability of funds in hand.

(m) Photocopies of duly audited statements of income/expenditure, balance sheet and audited reports of the Institute for the preceding 3 years.

(n) Authenticated documents to support mobilisation of additional funds.

(o) Approved floor plans of proposed building(s) (i.e. civil drawings) from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building(s).

(p) Authenticated documents to support claim of meeting non-recurring expenditure.

(q) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.

(r) An undertaking for compliance with the general conditions of the AICTE on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.

(s) Minutes of the last three meetings of the Body/Council/Committee responsible for management of the Institute.

ANNEXURE-I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTER OR ANY OTHER COMPETENT AUTHORITY)

I/We, the (name of the Trustee/Chairman/Principal/Director of the (name of the College/Institution/Mandal/Trust/Society, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with my/our application for starting/establishment/intake capacity of seats of (name of Courses/College) from the Institution.

1. That the Management including the Governing Body of the (Institute/College) shall be constituted and the Chairman of the Body/Council shall be appointed as per the guidelines of Council (Annexure-II).

2. That the management shall provide funds for investment in developed land and in providing the related infrastructural, instructional and other facilities as per Council's norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting the recurring expenditure.

3. That the courses or programmes shall be conducted as per the assessed technical manpower demands.

(a) That the admissions shall be made according to the regulation and directory of the Council for such admission in the respective technical institutions.

(b) That the admissions to the courses shall be made only after the minimum requisite/prescribed facilities are created and the affiliating University/State Board has given permission to start the course.

(c) That the Institution shall not cause or allow closure of the Institution or discontinuation of course(s) or start any new course(s) or alter the capacity of seats without the prior concurrence

5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall be charged from the students/guardians of the students in any form.

6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a Chartered Accountant and shall be open from inspection by the Council or any board or person authorised by it.

7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.

8. That the Management shall strictly follow any further conditions as may be specified by the Council from time to time.

9. In the event of non-compliance by the (name of Society/Trust/Mandal/College/Institution, etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid/prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such withdrawal would solely be that of the (Society/Institute/College).

10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government for the Institute or for recurring expenditure, etc.

Place :

Date :

(Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

1. The matter within brackets shall need to be filled up as relevant.

2. It should be ascertained that the stamp-paper and the undertaking are properly authenticated.

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below :—

1. Chairman : to be nominated by the Registered Society/Trust.

2-5. Members to be nominated by the Registered Society/Trust.

6. Nominee of the All India Council for Technical Educational-Regional Officer (Ex-

7. An industrialist/technologist/educationist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.
8. Nominee of the Affiliating Body/University/State Board of Technical Education.
9. Nominee of the State Government-Director of Technical Education (Ex-Officio).
10. An industrialist/technologist/educationist from the Region nominated by the State Government.
11. Principal/Director of the concerned technical Institution (as nominee of the Society/Trust)—Member-Secretary.

The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from the Region keeping in view the interest of the Technical Institution. The total number of members of Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body.—The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either an entrepreneur or an industrialist or an educationist of repute who is interested in the development of technical education, is a member of the parent Society/Trust and has demonstrated an interest in promotion of quality education in particular.

INFORMATION ABOUT THE EXISTING DIPLOMA INSTITUTION

(Engineering/Technology, Pharmacy etc.)

1.0 GENERAL

1.1 Name and address:

- (a) Name of the Institution:
- (b) Postal address:
(with PIN code)
- (c) Telegraphic address:
- (d) Fax and phone Nos.
(with STD code in bracket)

1.2 Name and designation of the Head of the Institution with residential & office telephone numbers with STD codes in bracket

- ##### 1.3 Type of the Institution:
- (specify one of the following)
- Private No-grant

Govt. (Central/State/UT)

Other (specify) :

Private/Grant-in-aid

- ##### 1.4 In case of Private Institutions, full postal address of the Managing agency should be given alongwith telegraphic address, phone Nos. (with STD code in bracket):
- ##### 1.5 Date of establishment of the institution (please attach a copy of relevant Government orders):
- ##### 1.6 Give name of affiliating University/Board of Technical Education with full postal address. Also give the names and phone of the Secretary and Registrar or the equivalent officers.

2.0 ACADEMIC INFORMATION:

2.1 Academic Programmes being conducted during 1992-93:

Programme Level/ Diploma awarded	Field/specialisation	Full/part-time	Duration (yrs)	Year of starting
Diploma	Civil Engineering Electronic Engineering	Full	3	1989
		Part-time	4	1990
Post-Diplomas	Computer Application Refrigeration & Air-Conditioning Personal Sectt. Practice	Full	1.5	1990
		Part-time	1.5	1980
		Full	1	1979
Advanced-Diploma	Tool Engineering Industrial Electronics	Full	2	1989
		Full	1.5	1985
Others				

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2.8 If admissions are also made by lateral entry to certain courses, please give details of the entry qualifications for the lateral admissions, and the percentage of total seats reserved for lateral entrants.

2.9 Date of the starting and stopping of all admissions as per the calendar of the affiliating body.

2.10 Details of examination results during the preceding two academic years (total of 2 years).

Type of students	No. appeared	Total Passed	Passed with distinction	Passed with 1st Class	Passed with 2nd Class
(a) Diploma Full-time Part-time					
(b) Post-Diploma Full-time Part-time					
(c) Advanced Diploma Full-time Part-time					

2.11 Details of Institutional Working hours etc. during the preceding two academic years (average):

No. of expected working days per semester/year	No. of actual working days per semester/year	No. of expected Instructional hours per semester/year	Actual contact hours achieved per semester/year	No. of days of vacation	No. of days spent for examination

2.12 Details of placement of pass-outs during the preceding two academic years (total of 2 years):

Courses	No. Passed	No. placed within 3 months	No. placed within 3 to 6 months	No. placed within 6 to 12 months

3.0 TEACHING FACULTY INFORMATION:

3.1 Faculty strength for various levels of programmes:

Type of Faculty	Sanctioned Strength				Nos. in Position		
	Diploma	Post-Diploma	Adv. Diploma	Total	Diploma	Post-Diploma	Adv. Diploma
Full-time							
Part-time							
Visiting							

2024

SEC.

भाग II-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र: प्रसाधारण

91

3.2 Give numbers of the teaching faculty in position by category:

Faculty Cadre

Nos. in position on

Numbers required on January, 1993 as per

January 1, 1992

January 1, 1993

State/University norms

AICTE norms

Principal

HOD/Lecturer

(Selection Grade)

Senior Lecturer

Lecturer

Associate/Asstt.

Lecturer, if any

3.3 Details of age, emoluments and service:

Particulars

Principal

HOD/
Lecturer (S.G.)

Sr. Lecturer

Lecturer

Associate/Asstt.
Lecturer, if
any

No. of faculty

Average age
(years)

Highest emoluments

Average emoluments

Lowest emoluments

Lowest Length of service in the
InstitutionHighest Length of service in the
InstitutionAverage Length of service in the
Institution

3.4 Number of the Workshop, Library and other supporting staff by category:

Faculty Cadre

Nos. in position on

Numbers required on January, 1993 as per

January 1, 1992

January 1, 1993

State/University norms AICTE norms

Workshop Supdt.

Foreman instructor

Workshop Instructor

Lab. Technician/Assistants

Librarian

Library Asstt.

Computer Programmer

Computer Operator

3.5 Work-load per week (in percentage of total duty hours in a week) for the following activities:

Activity

Principal

HOD/Lecturer (S.G.)

Sr. Lecturer

Lecturer

Associate/Asstt.
Lecturer, if any

Teaching

Research

Administration

Institute/

Polytechnic Dev.

Guidance &

Counselling

Consultancy

Training &

Placement

Any other

3.6 Details of Faculty (name, qualifications and experience etc):

Name	Qualifications	Total Experience	Total teaching experience	Date of appointment	Level of appointment (Lecturer, Sr. Lecturer) etc.	Present pay scale & date from which given	Basic pay as on date	Total emoluments
1								
2								
3								
4								
5								

3.7 Please state whether all the existing faculty has been recruited as per procedure, experience & qualifications prescribed by the AICTE for Polytechnics (Diploma Programmes).

3.8 Please state what percentage of teaching faculty members is being paid as per the AICTE pay scales for the last 3 academic years.

3.9 Please give details of service benefits such as LTC, medical reimbursement, housing, schooling for children, etc. given to faculty members.

3.10 Retirement and premature-retirement benefits given to faculty members.

4.0 COMPUTER HARDWARE & SOFTWARE FACILITIES.

Please give details of the existing facilities (number of terminals, type of computers) and staff (level and number of staff other than teaching staff).

5.0 LIBRARY FACILITIES

5.1 Books

Category	Total No. of titles acquired during the past five years.	Total No. of volumes acquired during the past years	Total No. of volumes in the library on date
(a) Text Books			
(b) Reference books			
(c) Encyclopedia			
(d) Others			

5.2 Periodicals:

Particulars	No. of periodicals subscribed to presently
(a) Technical	
(b) Non-Technical	
(c) Others	

6.0 LABORATORIES

Department	Names of various Laboratories	Total investment on equipment and instruments in the last 5-years.
1		
2		
3		
4		
5		

6.1 WORKSHOP

Department	Names of various Shops	Total investment on equipment and instruments in the last 5-years.
1		
2		
3		
4		
5		

SEC. 4

[भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : प्रकाशन

7.0 PLINTH AREA (SQM)

Type of Construction	Instructional Building	Administrative Building	Amenities	Hostels	Residences	Total Area
(a) RCC						
(b) Shed						

8.0 LAND AVAILABILITY (SQM):

Academic and Administration	Play Grounds	Hostels	Staff Quarters	Others	Total
1					
2					
3					
4					
5					

Please attach very clear proof of land possession in the name of the institution/Trust, land use clearance and the type of guarantee that the indicated land is available for the use of the Institution only and is not shared with any other institution/activity. Please also indicate if the land area is in one plot or more.

9.0 CONSULTANCY, SPONSORED RESEARCH PROFESSIONAL DEVELOPMENT, ETC. DURING THE LAST 5-YEARS.

9.1 Give details of consultancy assignments and total earnings along with names of client organizations and duration and title of each assignment, total earnings, etc.

9.2 Number of faculty sponsored till date for Improvement of academic qualifications, teaching skills, etc.
Please give names of the faculty, designation, name of the qualifications added/type of skills improved, etc.

9.3 Number of faculty sponsored till date to attend conferences and other professional meetings, within and outside the country, and the total amount spent for this purpose.

Please give name of the faculty, designation, name of the conference/meetings attended with place, date etc.

9.4 Number of continuing engineering education programmes including Community Polytechnic conducted by your institution, and the total number of participants.

Please give name of the programme, date and duration, number of participants, etc.

10.0 FINANCIAL

10.1 Total Expenditure during for the last 2 academic years (1990-91, 1991-92) in category of Recurring Expenditure and Non-Recurring Expenditure.

10.2 Sources of Financial Support:

Source	Recurring Exp.	Non-Recurring Exp.
Ministry of HRD (Direct receipt)		
State Government		
Other Central/State Govt. sources		
Private Trust		
Donations		
Student Fees		
Internal revenue generation		
Others (please specify)		
Total		

10.3 State the total annual fee (including tuition, library, laboratory, etc. but excluding hostel fee and food charges) charged per student during

— 1990-91

— 1991-92

— 1992-93

207

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

94

10.4 Additional Fund Requirement, if any:

Amount lakhs of Rupees

Particulars

RECURRING

- (a) Salaries of teaching employees
- (b) Salaries of non-teaching employees staff
- (c) Scholarships
- (d) Expenditure for travel
- (e) Other recurring expenditure
- Total of Recurring:

NON-RECURRING

- (a) Additional building
- (b) Additional equipment
- (c) Others
- Total of Non-Recurring

10.5 Please explain how the additional funds (as estimated in 10.3) will be generated.

11.0 AICTE APPROVALS RECEIVED DURING 1990-91, 91-92 & 92-93:

Name of the course(s)/Institutions	Annual Intake	Year of Starting	AICTE approval No. & date
1			
2			
3			
4			
5			

12.0 Please state whether the proposer is running and/or managing any programme of other technical institution which is not approved by the AICTE?

If so, please give the name of the programme/Institution, its address and the courses being conducted.

13.0 Whether the proposer has any court case in respect of violation of provisions of State Government or one or more provisions of the AICTE Act?

14.0 Please describe briefly future plans for improvements in infrastructure/expansion in academic & other activities, if any.

Name and Signature of the Head of the institution

(b) Incomplete proposals and those not submitted in the prescribed format shall not be processed.

(c) The proposals which are received late but are in order shall be processed for the subsequent academic year.

(d) Proposals must be submitted 'A-4' size only and larger sized documents should be reduced to 'A-4' size.

(e) Proposals are likely to be rejected in the event that the informations and statement given by the applicant are found to be incorrect.

2. (a) Requisite area of length for the existing and additional courses must be in possession for use of the Institution either by a clear title or registered deed as per rules of the State authorities in the name of the applicant.

(b) If the requisite area of land is not in possession of the applicant, the proposal shall not be accepted.

3. The applicant should create an endowment fund for the institution and the

SEAL

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL
EDUCATION
FORM IV

[See regulation 5(2)(d)]

APPLICATION
FOR ADDITIONAL DEGREE COURSE(S)/ENHANCEMENT IN INTAKE(S) IN EXISTING COURSE(S)

IN
ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS, ETC.
FOR AICTE APPROVAL

INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR ADDITIONAL COURSE(S)/ENHANCEMENT IN INTAKE(S) IN EXISTING COURSE(S) IN ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.

annual recurring expenditure for existing and additional course(s)/increase in intakes or as prescribed by the State Government/UT or Rs. 10 Lakhs, whichever is less.

4. (a) At the time of application, the applicant should have funds to the tune of 50% of the total estimated cost of provision of additional infrastructural and instructional facilities in the name Institution in a savings of fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of six months.

(b) The total assets of the applicant are not acceptable as proof of financial viability of the proposal.

(c) Promissory notes are not accepted as evidence of availability of funds in hand for starting the proposed course(s)/increase in intake(s).

5. Experience has shown that Institution located in remote areas has inherent difficulty of attracting teaching faculty and technical supporting staff. The applicant should make available convincing evidence of staff availability and mobilization.

List of Documents to be attached

Applicant should ensure to attach the following documents.—(a) A copy of registration document of the Society/Trust etc. alongwith composition of Society/Trust etc.

(b) A copy of the relevant Government orders per meeting starting of the Institution.

(c) A copy of the letter of the affiliating body alongwith affiliation of the Institute/existing course(s).

(d) A copy each of all the AICTE approval letters.

(e) Copies of the curriculum and syllabus for the existing course(s) alongwith the teaching and examination schemes.

(f) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following :

(i) A copy of map showing layout of existing and proposed building(s) on plot of land and floor plans of each building alongwith photographs.

(ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for the existing buildings for institutional purposes.

(iii) Completion/possession certificate of the buildings.

(iv) Clearance of Urban/Land Development Authority.

(g) A copy of the land registration papers/registered lease deed (as applicable).

(h) A copy of land use certificate from the competent authority allowing use of the land for institutional purposes.

(i) A certificate from the executive authority of the applicant that the land and facilities are not being

(j) A sketch showing area of each plot and centre to centre distance between plots, if the land area is in more than one plot

(k) A copy of city road map showing location of the institution.

(l) Copies of the curriculum and syllabus of the proposed course(s) alongwith the teaching and examination schemes.

(m) A copy of the recommendatory/forwarding letter of State Govt. for the additional course(s)/increase in intake(s).

(n) A copy of the letter of willingness of the affiliating body in respect of proposed course(s)/increase in intake(s).

(o) Photocopies of the corpus fund/endowment fund fixed deposit receipts.

(p) Photocopies of latest bank statements, fixed deposit receipts etc. regarding availability of funds in hand.

(q) Photocopies of duly audited statements of income/expenditure, balance sheet and audited reports of the Institute for the preceding 3 years.

(r) Authenticated documents to support mobilisation of additional funds.

(s) Authenticated documents justifying projected manpowered demand and potential for self-employment of the proposed disciplines.

(t) Approved floor plans of proposed building(s) (i.e. civil drawings) from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building(s).

(u) Authenticated documents to support claim of meeting non-recurring expenditure.

(v) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.

(w) An undertaking for compliance with the general conditions of the AICTE on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.

(x) Minutes of the last three meetings of the Body/Council/Committee responsible for management of the Institute.

ANNEXURE—I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTER OR ANY OTHER COMPETENT AUTHORITY)

I/We, the (name of the Trustee/Chairman/Principal/Director) of the (name of the College/Institution/Mandal/Trust/Society, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with my/our application for starting/establishment/intake capacity of seats of (name of Courses/College) from the

1. That the Management including the Governing Body of the (Institute/College) shall be constituted and the Chairman of the Body/Council shall be appointed as per the guidelines of Council (Annexure-II).

2. That the management shall provide funds for investment in developed land and in providing the related infrastructural, instructional and other facilities as per Council's norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting the recurring expenditure.

3. That the courses or programmes shall be conducted as per the assessed technical manpower demands.

4. (a) That the admissions shall be made according to the regulation and directory of the Council for such admission in the respective technical institutions.

(b) That the admissions to the courses shall be made only after the minimum requisite/prescribed facilities are created and the affiliating University/State Board has given permission to start the course.

(c) That the Institution shall not cause or allow either closure of the Institution or discontinuation of the course(s) or start any new course(s) or alter the intake capacity of seats without the prior concurrence of the Council.

5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall be charged from the students/guardians of the students in any form.

6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a Chartered Accountant and shall be open for inspection by the Council or any board or person authorised by it.

7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.

8. That the Management shall strictly follow any further conditions as may be specified by the Council from time to time.

9. In the event of non-compliance by the (name of Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid/prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the (Society/Institute/College).

10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State

Place :

Date :

(Name of the authorised person giving undertaking along with his/her official position)

(SEAL)

1. The matter within brackets shall need to be filled up as relevant.

2. It should be ascertained that the stamp-paper and the undertaking are properly authenticated.

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have at least 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below :—

1. Chairman : to be nominated by the Registered Society/Trust.

2—5. Member to be nominated by the Registered Society/Trust.

6. Nominee of the All India Council for Technical Education-Regional Officer (Ex-Officio).

7. An industrialist/technologist/educationist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.

8. Nominee of the Affiliating Body/University/State Board of Technical Education.

9. Nominee of the State Government-Director of Technical Education (ex-Officio).

10. An industrialist/technologist/educationist from the Region nominated by the State Government.

11. Principal/Director of the concerned technical Institution (as nominee of the Society/Trust)—Member-Secretary.

The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from the Region keeping in view the interest of the Technical Institution. The total number of members of a Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body

The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either an entrepreneur or an industrialist or an educationist of repute who is interested in the development of technical education, is a member of the parent Society/Trust and has

1.0 GENERAL INFORMATION

- 1.1 Name and address of the Institution alongwith telegraphic address, FAX and phone numbers (with STD Code)
- 1.2 Name and designation of the Head of the Institution with residential & office telephone numbers (with STD codes in brackets);
- 1.3 Type of the Institution: (specify one of the following)
Private No-grant/Private Grant-in-aid, Govt. (Central/State/UT)/Other (specify)
- 1.4 In case of a Private Institution, full postal address of the Trust/Society, etc. and name of the Chairman alongwith telegraphic address, fax and phone Nos. (with STD code in bracket);
- 1.5 Date of establishment of the Institution (please attach a copy of the relevant Government orders):
- 1.6 Name of affiliating University/Body with full postal address. Also give the names and phone Nos. of the Vice-Chancellor and Registrar or the equivalent officers.

2.0 ACADEMIC INFORMATION:**2.1 Academic Programmes being conducted:**

Programme Level/ Degree awarded	Field/specialisation	Full/part- time	Duration (yrs)	Sanctioned intake	Year of starting
Under-graduate					
B. Tech	Civil Engineering	Full	4	60	1972
B.E.	Mechanical Engineering	Part-time	4	30	1980
B. Arch	Architecture	Full	5	60	1989
B. Pharm	Pharmacy	Full	4	60	1985
Post-Graduate					
M. Tech	Machine Design	Full	1.5	10	1982
M.E.	Thermal Engineering	Part-time	3	10	1984
Others					

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

2.2 Whether the Institution and the course(s) conducted are approved by the AICTE?

- If yes, attach a copy of all AICTE approval letters.
- If any course(s) being conducted is/are not AICTE approved' please state reason(s) for the same.

2.3 Admissions to the existing courses:

Name of course	Entry Qualification	Method of Admission
1		
2		
3		
4		
5		

*Please state whether by Entrance Test or based on marks obtained in the qualifying examination.

- 2.4 If admissions is based on marks obtained in the qualifying examination (such as 10+2 etc.), please give full details for all admissions regarding the minimum percent of aggregate marks and the minimum average % marks prescribed in the subjects of Physics, Chemistry and Mathematics.

211

2.5 Sanctioned intakes and actual admissions:

Name of course	Sanctioned(S) and Actual (A) annual intakes during the preceding 3 academic years:					
	199 -9		199 -9		199 -9	
	S	A	S	A	S	A

Note: If there is a variation between the sanctioned and AICTE approved intakes, please give reasons along with supportive documents.

2.6 Seat distribution/reservation as % of sanctioned intake:

Distribution			Reservation		
State Govt.	Management	SC/ST	Rural & Tribal	Out-of-State	Others

2.7 Details of First year student enrolment during the preceding 2 full academic years (total of 2 years).

Type of Students	Total sanctioned intake	Total admissions	total admissions of				Total drop-outs	total drop-out from				No. passed
			SC/ST	Rural & Tribal	Out- of State	Girls		SC/ST	Rural & Tribal	Out- of State	Girls	

(a) Under-graduate
Full-time
Part-time
Others
(specify)

(b) Post-graduate
Full-time
Part-time
Others
(specify)

(c) Doctoral or equivalent

2.8 Details of Second year student enrolment during the preceding 2 full academic years (total of 2 years):

Type of Students	Total sanctioned intake	Total admissions	Total admissions of					Total drop outs	Total drop-out from					No. passed
			SC/ST	Rural & Tribal	Out of State	Girls	Lateral Entrants		SC/ST	Rural & Tribal	Out of State	Girls	Lateral Entrants	

(a) Under-graduate
Full-time
Part-time
Others

(specify)

(b) Post-graduate
Full-time
Part-time

Other

(specify)

(c) Doctoral

or equivalent

(d) Others

2.9 If admissions are also made by lateral entry to certain courses, please give details of the entry qualification in the lateral admission, the percentage of total seats reserved for lateral entrants and the minimum entry qualification for lateral entrants.

2.10 Dates of the starting and stopping of all admissions as per the calendar of the affiliating body.

2.11 Details of final examination results during the preceding two academic years (total of 2 years)

Type of students	No. appeared	Total Passed	Passed with distinction	Passed with 1st Class	Passed with 2nd Class
------------------	--------------	--------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

(a) Under-graduate

Full-time

Part-time

Others (specify)

(b) Post-graduate

Full-time

Part-time

Others (specify)

(c) Doctoral or equivalent

(d) Others

2.12 Details of Institutional Working hours etc. during the preceding two academic years (average):

No. of expected working days per semester/year	No. of actual working days per semester/year	No. of expected Instructional hours per semester/year	Actual contact hours achieved per semester/year	No. of days of vacation	No. of days spent for examination
--	--	---	---	-------------------------	-----------------------------------

2.13 Details of placement of pass-outs during the preceding two academic years (total of 2 years).

Courses	No. Passed	No. placed within 3 months	No. placed within 3 to 6 months	No. placed within 6 to 12 months.
1				
2				
3				
4				
5				

3.0 TEACHING FACULTY INFORMATION:

3.1 Faculty strength for various levels of programmes:

Type of Faculty	Sanctioned Strength				Nos. in Position			
	UG	PG	Others	Total	UG	PG	Others	Total
Full-time								
Part-time								
Visiting								

3.2 Give numbers of the teaching faculty in position by category during the preceding 2 years:

Faculty Cadre	Nos. in position on		Numbers required as on date as per	
	January 1, 199	January 1, 199	State/University norms	AICTE norms
Principal				
Professor				
Associate Professor				
Reader				
Asst. Professor				
Senior Lecturer				
Lecturer				
Others				

3.3 Details of emoluments and age:

Particulars	Professor	Associate Professor	Reader	Assistant Professor	Senior Lecturer	Lecturer	Others
No. of faculty							
Average age (years)							
Highest emoluments							
Average emoluments							
Lowest emoluments							
Lowest length of service in the institution							
Highest length of service in the institution							
Average length of service in the institution							

3.7 Please state whether all the existing faculty has been recruited as per procedure, experience and qualification prescribed by the AICTE for engineering colleges.

3.8 Please state what percentage of teaching faculty members is being paid as per the AICTE pay scales for the last 2 academic years.

3.9 Please give details of service benefits such as LTC, medical reimbursement, housing, schooling for children etc. given to faculty members.

3.10 Retirement and premature-retirement benefits given to faculty members.

4.0 COMPUTER HARDWARE & SOFTWARE FACILITIES.

Please give details of the existing facilities (number of terminals, type of computers) and staff (level and number of staff other than teaching staff).

5.0 LIBRARY FACILITIES.

5.1 Books

Category	Total No. of titles acquired during the the past 3 years.	Total No. of volumes acquired during the past year	Total No. of volumes in the library on date
(a) Text books			
(b) Reference books			
(c) Encyclopedia			
(d) Others			

5.2 Periodicals:

Particulars	No. of periodicals subscribed to presently
(a) Supporting Departments:	
— Indian	
— Foreign	
(b) Engineering Departments:	
— Indian	
— Foreign	
(c) Other Departments	
— Indian	
— Foreign	

6.0 LABORATORIES

Department	Names of various Laboratories for each Department	Total investment on equipment and instruments in the last years
Mechanical Engg.	Mechanics & Kinematics	Rs 02.00 lakhs
	Fluid Mechanics/Machinery	Rs. 25.00 lakhs
	
Civil Engg.	Surveying	Rs. 20.00 lakhs
	Environmental Engg.	Rs. 05.00 lakhs
	
	
	

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

..... list of equipment costing Rs. 5000/- or more at current prices for each laboratory.

6.1 WORKSHOP

Department	Names of various Shops	Total investment on equipment and instruments in the last 3 years.
Mechanical Engg.	Machine shops	Rs. 50.00 lakhs
	Fitting shops	Rs. 03.00 lakhs
.....
.....

Note : The text and numbers in various columns are only examples.

Please attach a list of equipment costing Rs. 5,000/- or more at current prices for each shop.

7.0 Please attach a copy of the curriculum followed by the Institution alongwith the teaching scheme and the examination scheme.

8.0 PLINTH AREA (SQM):

Type of Construction	Instructional Building	Administrative Building	Amenities	Hostels	Residences	Total Area
(a) RCC						
(b) Shed						

Give a layout of buildings on the plot of land available with the Institution.

Note : Please attach clear proof of the following:

- Use of building for institutional purposes.
- Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for construction of buildings.
- Completion/possession certificate of the buildings.
- Clearance of Urban Development Authority.

9.0 LAND AVAILABILITY (SQM):

Academic and Administration	Play Grounds	Hostels	Staff Quarters	Others	Total
-----------------------------	--------------	---------	----------------	--------	-------

Please attached very clear proof of land possession in the name of the Institution/Trust, land use clearance and the type of guarantee that the indicated land is available for the use of the Institution only and is not shared with any other insitution/acitivity. Please also indicate if the land area is in one plot or more.

10.0 STUDENT DEVELOPMENT, ETHICS AND PROFESSIONAL OUTLAY :

Describe the opportunities available to students in the Department for participation and membership in relevant technical/professional societies. How are these provided by the Department/College?

11.0 CONSULTANCY, SPONSORED RESEARCH, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, ETC. DURING THE LAST 3-YEARS.

11.1 Give details of consultancy assignments and total earnings alongwith names of clinte organizations and duration and title of each assignment, total earnings etc.

11.2 Give details of sponsored research projects and total earnings alongwith names of the organizations sponsor- ing the project, name of the project and total value.

11.3 Number of faculty sponsored till date for improvement of academic qualifications, teaching skills, etc.

Please give names of the faculty, designation, name of the qualifications added/type of skills improved etc.

- 11.4 Number of faculty sponsored till date to attend conferences and other professional meetings, within and outside the country, and the total amount spent for this purpose.

Please give name of the faculty, designation, name of the conference/meetings attended with place, date etc.

- 11.5 Number of continuing engineering education programmes conducted by your institution, and the total number of participants.

Please give name of the programme, date and duration, number of participants, etc.

12.0 FINANCIAL

- 12.1 Total Expenditure during the last 2 academic years in category of Recurring Expenditure and Non-Recurring Expenditure.

- 12.2 Sources of Financial Support :

Source	Recurring Exp.	Non-Recurring Exp.
Ministry of HRD (Direct receipt)		
State Government		
UGC		
Other Central/State Govt. sources		
Private Trust		
Donations		
Students Fees		
Internal revenue generation		
Others (please specify)		
Total		

- 12.3 State the total annual fee (including tuition, library, laboratory etc. but excluding hostel fee and food charges) charged per student during the preceding 2 years;

13.0 AICTE APPROVALS RECEIVED DURING THE LAST 2-YEARS:

Name of the course(s)/Institutions	Annual Intake	Year of Starting	AICTE approval No. & date
------------------------------------	---------------	------------------	---------------------------

14.0 INFORMATION ON THE PROPOSED COURSE'S /ADDITIONAL INTAKES:

- 14.1 Academic programmes proposed to be introduced :

Course title	Duration (Yrs)	Intake	Proposed year of commencement	Entry level
Electronics Engg.	4	60	1993-94	12+
Computer Science & Engg.	4	60	1993-94	12+
Mechanical Engg.	4	60	1993-94	12+

Note : The text and numbers in various columns are only examples.

- 14.2 Please attach copies of the curriculum and syllabi to be followed by the Institution for each of the proposed courses alongwith the teaching and examination schemes.

- 14.3 Academic programmes in which increase in intakes is proposed:

Course titles	Sanctioned intake	Proposed increase in intake	Duration (yrs)	Year from which increase proposed	Entry level
Electronics & Common. Engg.	45	15	4	1993-94	12+
Mechanical Engg.	60	15	4	1993-94	12+
Civil Engg.	30	15	4	1993-94	12+

Note : The text and numbers in various columns are only examples.

15.0 Has the proposal been supported by the concerned State Government? If yes, please attach a copy of the State-Govt.'s letter thereof.

16.0 Has the willingness of the affiliating body (concerned University to affiliate the proposed course(s) subject to AICTE approval been obtained? If yes, please attach a copy of the willingness letter.

17.0 FINANCES:

17.1 Whether a corpus fund/endowment funds has been created and mortgaged with the State Government? If so, attach proof thereof.

17.2 Give details of funds available in hand for meeting the recurring and non-recurring expenditures for introduction of course(s) /increase in intakes, duly supported with copies of latest bank statements, FDRs, etc. Promissory notes are not acceptable.

17.3 Additional Fund Requirement for the proposed additional courses/intakes, if any:

Particulars	Amount, Rupees
RECURRING	
(a) Salaries of teaching employees	
(b) Salaries of non-teaching employees staff	
(c) Scholarships	
(d) Expenditure for travel	
(e) Other recurring expenditure	
Total of Recurring :	
NON-RECURRING	
(a) Additional building	
(b) Additional equipment	
(c) Others	
Total of Non-Recurring	

17.4 Please indicate how the additional funds as in 17.3 would be mobilised over the next 3 to 4 years. Please attach authenticated documents to support your statement.

18.0 JUSTIFICATION

18.1 Are one or more of the proposed courses*/courses in which increase in intakes proposed, already being conducted in one or more institutions in the District in which the college is located? If so, please give name of the institutions, the course(s) being conducted alongwith the respective sanctioned annual intakes.

Institution	Course	Sanctioned intake
-------------	--------	-------------------

Note : *Please strike out whichever is not applicable.

18.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in each of the proposed course (s)*/course(s) in which increase in intakes are proposed:

Title of the proposed additional course(s)/course in which additional intake desired	Total Intake in the State
--	---------------------------

*Note : Please strike out which ever is not applicable.

11.4 Number of faculty sponsored till date to attend conferences and other professional meetings, within and outside the country, and the total amount spent for this purpose.

Please give name of the faculty, designation, name of the conference/meetings attended with place, date etc.

11.5 Number of continuing engineering education programmes conducted by your institution, and the total number of participants.

Please give name of the programme, date and duration, number of participants, etc.

12.0 FINANCIAL

12.1 Total Expenditure during the last 2 academic years in category of Recurring Expenditure and Non-Recurring Expenditure.

12.2 Sources of Financial Support :	Recurring Exp.	Non-Recurring Exp.
Source		
Ministry of HRD (Direct receipt)		
State Government		
UGC		
Other Central/State Govt. sources		
Private Trust		
Donations		
Students Fees		
Internal revenue generation		
Others (please specify)		
Total		

12.3 State the total annual fee (including tuition, library, laboratory etc. but excluding hostel fee and food charges) charged per student during the preceeding 2 years;

13.0 AICTE APPROVALS RECEIVED DURING THE LAST 2-YEARS:

Name of the course(s)/Institutions	Annual Intake	Year of Starting	AICTE approval No. & date
------------------------------------	---------------	------------------	---------------------------

14.0 INFORMATION ON THE PROPOSED COURSE'S /ADDITIONAL INTAKES:

14.1 Academic programmes proposed to be introduced :

Course title	Duration (Yrs)	Intake	Proposed year of commencement	Entry level
Electronics Engg.	4	60	1993-94	12+
Computer Science & Engg.	4	60	1993-94	12+
Mechanical Engg.	4	60	1993-94	12+

Note : The text and numbers in various columns are only examples.

14.2 Please attach copies of the curriculum and syllabi to be followed by the Institution for each of the proposed courses alongwith the teaching and examination schemes.

14.3 Academic programmes in which increase in intakes is proposed:

Course titles	Sanctioned intake	Proposed increase in intake	Duration (yrs)	Year from which increase proposed	Entry level
Electronics & Common. Engg.	45	15	4	1993-94	12+
Mechanical Engg.	60	15	4	1993-94	12+
Civil Engg.	30	15	4	1993-94	12+

Note : The text and numbers in various columns are only examples.

15.0 Has the proposal been supported by the concerned State Government? If yes, please attach a copy of the State-Govt.'s letter thereof.

16.0 Has the willingness of the affiliating body (concerned University to affiliate the proposed course(s) subject to AICTE approval been obtained? If yes, please attach a copy of the willingness letter.

17.0 FINANCES:

17.1 Whether a corpus fund/endowment funds has been created and mortgaged with the State Government? If so, attach proof thereof.

17.2 Give details of funds available in hand for meeting the recurring and non-recurring expenditures for introduction of course(s) /increase in intakes, duly supported with copies of latest bank statements, FDRs, etc. Promissory notes are not acceptable.

17.3 Additional Fund Requirement for the proposed additional courses/intakes, if any:

Particulars	Amount, Rupees
-------------	----------------

RECURRING

- (a) Salaries of teaching employees
- (b) Salaries of non-teaching employees staff
- (c) Scholarships
- (d) Expenditure for travel
- (e) Other recurring expenditure

Total of Recurring :

NON-RECURRING

- (a) Additional building
- (b) Additional equipment
- (c) Others

Total of Non-Recurring

17.4 Please indicate how the additional funds as in 17.3 would be mobilised over the next 3 to 4 years. Please attach authenticated documents to support your statement.

18.0 JUSTIFICATION

18.1 Are one or more of the proposed courses*/courses in which increase in intakes proposed, already being conducted in one or more institutions in the District in which the college is located? If so, please give name of the institutions, the course(s) being conducted alongwith the respective sanctioned annual intakes.

Institution	Course	Sanctioned intake
-------------	--------	-------------------

Note : *Please strike out whichever is not applicable.

18.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in each of the proposed course(s)*/course(s) in which increase in intakes are proposed:

Title of the proposed additional course(s)/course in which additional intake desired	Total Intake in the State
--	---------------------------

*Note : Please strike out which ever is not applicable.

18.3 Keeping 18.1 and 18.2 in view, give justification for introduction of the proposed disciplines and intakes, increase in intakes in existing disciplines vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario and potential for self-employment.

18.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as increase in intake, adding new courses, conducting of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal:

Course title	Full-time/part-time/ continuing	Proposed intake	Year of commencement
--------------	------------------------------------	-----------------	-------------------------

19.0 ADDITIONAL INFRASTRUCTURE

19.1 In case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, please give the plinth area (sqm.) as below:

Type of construction	Instructional Building	Administrative Building	Amenities	Hostel	Residences	Total Area
----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------	--------	------------	---------------

(a) RDC

(b) Shed

19.2 In case additional buildings space are to be constructed for the proposed course(s) /additional intakes give yearwise plan of construction of additional instructional areas, (classrooms, tutorial-rooms, drawing halls, laboratories, etc.) administrative areas, (offices, staff rooms, etc.), amenities (common room, sports room, NCC, NSS, Canteen, hobby centre, etc.), and residential areas (students hostel, staff quarters, etc.), as per the AICTE norms & standards. Give a layout of additional buildings with respect to existing buildings on the plot of land available with the Institution.

Space title	Plinth area to be constructed during the				
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

Class rooms
Tutorial rooms
Drawing halls
Laboratories
Workshops

Space titles are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE

19.3 Please indicate year-wise estimates of expenditure on construction of additional buildings as at 19.2

Space title	Expenditure for construction of additional space areas during the				
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course (s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

Class rooms
Tutorial rooms
Drawing halls
Laboratories
Workshops

Space title are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

19.4 Laboratories: Please give year-wise action plan of establishment (i.e. equipping and commencing the use of the laboratories) of various laboratories alongwith cost estimates for procurement of equipments, instruments, fixtures and fittings, furnitures etc. for introduction of additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s):

Name of Laboratory	Expenditure for establishment of various laboratories during the				
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s).

19.5 Workshops : Please give year-wise action plan of establishment of additional workshops. If any, alongwith cost estimates for procurement of equipments, tools, machinery, furniture, fixtures and fittings etc., for introduction of additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s):

Name of Workshop	Expenditure for establishments of various Workshops during the				
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

19.6 Computing facilities : Please give year-wise action plan of procurement of hardware and software items furniture, fittings and fixtures etc. for strengthening of Computer Centre to introduce additional course(s) proposed increase in intakes in existing course(s) alongwith cost estimates.

Facilities	Expenditure for establishment of various Computer facilities during the				
	Period prior to Commencement of course(s); increase in intake	First year of the course(s); increase in intake	Second year of the course(s); increase in intake	Third year of the course(s); increase in intake	Fourth year of the course(s); increase in intake

For details, please consult the norms and standards and the detailed curriculum of the course(s).

19.7 Library : Please give year-wise action plan for procurement of additional stock of books (Text books, reference books, encyclopedia, others), journals to be subscribed (National and International), furniture, fixtures and fittings etc. alongwith cost estimates.

Item	Expenditure for procurement of Library books, periodicals during the				
	Period prior to Commencement of course(s); increase in intake	First year of the Course(s); increase in intake	Second year of the course(s); increase in intake	Third year of the course(s); increase in intake	Fourth year of the course(s); increase in intake

Text books
Reference books
Journals

For details, please consult the norms and standards and the detailed curriculum of the course(s).

19.8 Teaching faculty: Please give action plan for recruitment of additional teaching faculty (Professor, Asstt. Professor, Senior Lecturer, Lecturer). Kindly also indicate number of each category of staff, if already available.

Faculty cadre	No. already available	Type of faculty (part-time) full-time visiting)	No. to be recruited during the				
			Period prior to Commencement of course(s); increase in intake	First year of the course(s); increase in intake	Second year of the course(s); increase in intake	Third year of the course(s); increase in intake	Fourth year of the course(s); increase in intake

For details, please consult the concerned norms and standards of the AICTE.

19.9 Technical Supporting and other Staff : Please give annual action plan of recruitment of additional technical supporting and other staff like Workshop Instructor, Forman Instructor, Librarian, Workshop Attendant, Library Attd. etc. Kindly also indicate number of each category of staff, if already, available.

Faculty cadre	No. already available	Type of faculty (part-time/full-time/visiting)	No. to be recruited during the			
			Period prior to Commencement of course(s)/increase in intake	First year of the course(s)/increase in intake	Second year of the course(s)/increase in intake	Third year of the course(s)/increase in intake
						Fourth year of the course(s)/increase in intake

For details, please consult the concerned norms and standards of the AICTE.

19.10 Details of additional teaching faculty, if any already available.

Name	Qualifications	Total	Experience	Total teaching experience	Date of appointment	Level of appointment*	Present pay scale & date from which given	Basic pay as on date	Total emoluments
------	----------------	-------	------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	---	----------------------	------------------

*Lecturer, Sr. Lecturer, Asstt. Professor, Professor, Principal

11 List the year-wise major equipments to be provided in various laboratories/workshops along with brief specifications in the format given below for introduction of course(s)/increase in intake in existing course(s).

Laboratory/Workshop	Name of Equipment	Brief Specification	Quantity to be provided			
			I yr.	II yr	III yr	IV yr

12 Please state whether a regular Municipal supply of drinking water and water required for labs/workshop etc. is available. If not, please explain the alternate arrangements.

13 Please state whether adequate and regular electricity supply is/would be available and attach supportive documents.

14 What shall be the stand by arrangements in case of shut downs/break downs.

15 Technical Institutions run/managed by the Trust/Society.

Name of Institution	City and State of Location	Courses conducted	Whether AICTE approved or not
---------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------------

23.0 Whether the proposer has any court case v/s the State Government or the AICTE? If yes, please give brief details.

24.0 Please attach an undertaking on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.

25.0 Certified that :

- All the physical deficiencies stated in the last approval letter have been removed.
- The Governing Body has been constituted as per the AICTE laid down guidelines.
- The AICTE scales of pay have been granted to the teaching faculty and other staff.
- The admissions are made on merit and as per AICTE admission guidelines and no capitation fee or donation of any kind is charged for admission.
- The teaching faculty and staff have been recruited as per qualifications, experience laid down by the AICTE.
- The tuition and other fee are charged within the overall criteria prescribed by the AICTE.
- The reservations are provided for staff and students as per policy of the State Govt.
- The accounts of the Institute are audited by the Chartered Accountant.
- No new course has been stated (since the last approval by AICTE) without the approval of the AICTE.
- The intakes in any of the AICTE approved courses has not been increased beyond the approved intake.

Name and signature of
the Chairperson/Secretary
of the Trust/Society, etc.

Name and Signature
of the Head of the
Institution

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

FORM V

[See regulation 5(2)(e)]

APPLICATION

FOR ADDITIONAL DIPLOMA COURSE(S) AND ENHANCEMENT IN INTAKE(S) IN EXISTING COURSE(S)

IN

ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS, ETC FOR AICTE APPROVAL

INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF PROPO- SALS FOR ADDITIONAL COURSE(S)/ENHANCE- MENT IN INTAKE(S) IN EXISTING COURSE(S) IN ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITEC- TURE, PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.

1. (a) Seven copies of the application must be submitted in the prescribed Form to the Bureau (RC), AICTE, New Delhi by 31st December.

(b) Incomplete proposals and those not submitted in the prescribed format shall not be processed.

(c) The proposals which are received late but are in order shall be processed for the subsequent academic year.

(d) Proposals must be submitted 'A-4' size only and larger sized documents should be reduced to 'A-4' size.

(e) Proposals are likely to be rejected in the event that the informations and statement given by the applicant are found to be incorrect.

the Institution either by a clear title or registered details as per rules of the State authorities in the name of the applicant.

(b) If the requisite area of land is not in possession of the applicant, the proposal shall not be accepted.

3. The applicant should create an endowment fund jointly in the name of the institution and the concerned State authority to the tune of 30% of the peak annual recurring expenditure for existing and additional course(s)/increase in intakes or as prescribed by the State Government/UT or Rs. 10 Lakhs, whichever is less.

4. (a) At the time of application, the applicant should have funds to the tune of 50% of the total estimated cost of provision of additional infrastructure and instructional facilities in the name of the Institution in savings of fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of six months.

(b) The total assets of the applicant are not acceptable as proof of financial viability of the proposal.

(c) Promissory notes are not accepted as evidence of availability of funds in hand for starting the proposed course(s)/increase in intake(s).

5. Experience has shown that Institution located in remote areas has inherent difficulty of attracting teaching faculty and technical supporting staff. The applicant should make available convincing evidence of staff availability and mobilization.

List of Documents to be attached

Applicant should ensure to attach the following documents.—(a) A copy of registration document of the Society/Trust etc. alongwith composition of the Society/Trust etc.

(b) A copy of the relevant Government order for starting of the Institution.

(c) A copy of the letter of the affiliating body along with affiliation of the Institute/existing course(s).

(d) A copy each of all the AICTE approval letters.

(e) Copies of the curriculum and syllabus of the existing course(s) alongwith the teaching and examination schemes.

(f) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following :

(i) A copy of map showing layout of existing and proposed building(s) on plot of land and floor plans of each building alongwith photographs.

(ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-Laws for the existing buildings for institutional purposes.

(iii) Completion/possession certificate of the buildings.

(iv) Clearance of Urban/Land Development Authority.

(g) A copy of the land registration papers/register-
ed lease deed (as applicable).

(h) A copy of land use certificate from the competent authority allowing use of the land for institutional purposes.

(i) A certificate from the executive authority of the applicant that the land and facilities are not being
ever shared with any other institution/activity.

(j) A sketch showing area of each plot and centre
to centre distance between plots, if the land area is in
more than one plot.

(k) A copy of city road map showing location of the
institution.

(l) Copies of the curriculum and syllabus of the
proposed course(s) alongwith the teaching and exami-
nation schemes.

(m) A copy of the recommendatory/forwarding
letters of State Govt. for the additional course(s) in-
crease in intake(s).

(n) A copy of the letter of willingness of the affili-
ating body in respect of proposed course(s)/increase
in intake(s).

(o) Photocopies of the corpus fund/endowment
fund fixed deposit receipts.

(p) Photocopies of latest bank statements, fixed
deposit receipts etc. regarding availability of funds in
hand.

(q) Photocopies of duly audited statements of in-
come/expenditure, balance sheet and audited reports
of the Institute for the preceding 3 years.

(r) Authenticated documents to support mobilisa-
tion of additional funds.

(s) Authenticated documents justifying projected
manpower demand and potential for self-employment
of the proposed disciplines.

(t) Approved floor plans of proposed building(s)
i.e. civil drawing(s) from the concerned authority as
per local bye-laws for construction of building(s).

(u) Authenticated documents to support claim of
meeting non-recurring expenditure.

(v) Authenticated documents to support claim of
meeting annual recurring expenditure.

(w) An undertaking for compliance with the general
conditions of the AICTE on non-judicial stamp
paper duly registered with the sub-registrar or any
similar competent authority as per the format attach-
ed.

(x) Minutes of the last three meetings of the Body/
Council/Committee responsible for management of the
Institute.

ANNEXURE—I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP
PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED
WITH THE SUB-REGISTRAR OR ANY OTHER
COMPETENT AUTHORITY)

I/We, the (name of the Trustee/Chairman/Princi-
pal/Director of the (name of the College/Institution/
Mandal/Trust/Society, etc.) hereby undertake to
comply with the following in connection with my/our
application for starting/establishment/intake capacity
of seats of (name of Courses College) from the
session_____.

1. That the Management including the Governing
Body of the (institute/College) shall be constituted
and the Chairman of the Body/Council shall be
appointed as per the guidelines of Council (Annexure-
II).

2. That the management shall provide funds for
investment in developed land and in providing the
related infrastructural, instructional and other facilities
as per Council's norms and standards laid down by the
Council from time to time and for meeting the recur-
ring expenditure.

3. That the courses or programmes shall be con-
ducted as per the assessed technical manpower de-
mands.

4. (a) That the admission shall be made according
to the regulation and directory of the Coun-
cil for such admission in the respective tech-
nical institutions.

(b) That the admission to the courses shall be
made only after the minimum requisite/
prescribed facilities are created and the affi-
liating University/State Board has given
permission to start the course.

- (c) That the institution shall not cause or allow either closure of the Institution or discontinuation of the course(s) or start any new course(s) or alter the intake capacity of seats without the prior concurrence of the Council.

5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall be charged from the students/guardians of the students in any form.

6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a Chartered Accountant and shall be open for inspection by the Council or any board or person authorised by it.

7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.

8. That the Management shall strictly follow any further conditions as may be specified by the Council from time to time.

9. In the event of non-compliance by the (name of Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid/prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the (Society/Institute/College).

10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government for the Institute or for recurring expenditure etc.

Place :

Date :

(Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

1. The matter within brackets shall need to be filled up as relevant.

2. It should be ascertained that the stamp-paper and the undertaking are properly authenticated.

1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 Name and address of the Institution alongwith telegraphic address, FAX and phone numbers (with STD Code)

1.2 Name and designation of the Head of the Institution with residential & office telephone numbers (with STD codes in brackets);

1.3 Types of the Institution : (specify one of the following).

Private No-grant/Private Grant-in-aid/Govt. (Central/State/UT)/Other (specify).

1.4 In case of a Private Institution, full postal address of the Trust Society, etc. and name of the Chairman alongwith telegraphic address (with STD code in brackets):

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below :—

1. Chairman to be nominated by the Registered Society/Trust.

2—5. Members to be nominated by the Registered Society/Trust.

6. Nominee of the All India Council for Technical Education-Regional Officer (Ex-Officio).

7. An industrialist/technologist/educationalist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.

8. Nominee of the Affiliating Body/University/State Board of Technical Education.

9. Nominee of the State Government-Director of Technical Education (ex-Officio).

10. An industrialist/technologist/educationalist from the Region nominated by the State Government.

11. Principal/Director of the concerned technical Institution (as nominee of the Society/Trust) —Member-Secretary

The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from the Region keeping in view the interest of the Technical Institution. The total number of members of the Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body

The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either an entrepreneur, an industrialist or an educationist of repute who is interested in the development of technical education, is a member of the parent Society/Trust and has demonstrated an interest in promotion of quality education in particular.

T

CS GL/94-15

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2.7 Details of First year student enrolment during the preceding 2 full academic years (total of 2 years)

Type of Students	Total sanctioned intake	Total admissions	total admissions of				Total drop outs	total drop-out from				No. passed
			SC/ST	Rural Tribal	Out of State	Girls		SC/ST	Rural & Tribal	Out of State	Girls	
(a) Diploma Full-time Part-time												
(b) Post-Diploma Full-time Part-time												
(c) Advanced-Diploma Full-time Part-time												

2.8 Details of Second year student enrolment during the preceding 2 full academic years (total of 2 years).

Type of Students	Total sanctioned intake	Total admissions	total admissions of					Total drop-outs	total drop-out from				No. passed
			SC/ST	Rural & Tribal	Out of State	Girls	Lateral Entrants		SC/ ST	Rural Tribal	Out of State	Girls Lateral Entrants	
(a) Diploma Full-time Part-time													
(b) Post-Diploma Full-time Part-time													
(c) Advanced-Diploma Full-time Part-time													

2.9 If admissions are also made by lateral entry to certain courses, please give details of the entry qualifications for the lateral admissions and the percentage of total seats reserved for lateral entrants.

2.10 Date of the starting and stopping of all admissions as per the calendar of the affiliating body.

2.11 Details of examination results during the preceding two academic years (total of 2 years)

Type of students	No. appeared	Total Passed	Passed with distinction	Passed with 1st Class	Passed with 2nd Class
(a) Diploma Full-time Part-time					
(b) Post-Diploma Full-time Part-time					
(c) Advanced Diploma Full-time Part-time					

2.12 Details of Institutional Working hours etc. during the preceding two academic years (average):

No. of expected working days per semester/year	No. of actual working days per semester/year	No. of expected Instructional hours per semester/year	Actual contact hours achieved per semester/year	No. of days of vacation	No. of days spent for examination

2.13 Details of placement of pass-outs during the preceding two academic years (total of 2 years):

Courses	No. Passed	No. placed within 3 months	No. placed within 3 to 6 months	No. placed within 6 to 12 months
---------	------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

3.0 TEACHING FACULTY INFORMATION :

3.1 Faculty strength for various levels of programmes :

Type of Faculty	Sanctioned Strength				Nos. in Position			
	Diploma	Post-Diploma	Adv. Diploma	Total	Diploma	Post-Diploma	Adv. Diploma	Total
Full Time								
Part-time								
Visiting								

3.2 Give numbers of the teaching faculty in position by category during the preceding 2 years:

Faculty Cadre	Nos. in position on		Numbers required as on date as per	
	January 1, 199...	January 1, 199...	State/University norms	AICTE norms
Principal				
HOD/Lecturer (Selection Grade)				
Senior Lecturer				
Lecturer				
Associate/Asstt. Lecturer, if any				

3.3 Details of age, emoluments and service:

Particulars	Principal	HOD/ Lecturer (S.G.)	Sr. Lecturer	Lecturer	Associate /Asst. Lecturer, if any
No. of faculty					
Average age (years)					
Highest emoluments					
Average emoluments					
Lowest emoluments					
Lowest Length of service in the Institution					
Highest Length of service in the Institution					
Average Length of service in the Institution					

3.4 Number of the Workshop, Library and other supporting staff by category during the preceding 2 years:

Faculty Cadre	Nos. in position on		Numbers required as on date as per	
	January 1, 199...	January 1, 199...	State/University norms	AICTE norms
Workshop Supdt.				
Foreman Instructor				
Workshop Instructor				
Lab Technician/ Assistant				
Librarian				
Library Asstt.				
Computer Programmer				
Computer Operator				

229

3.5 Work-load per week (in percentage of total duty hours in a week) for the following activities:

Activity	Principal	HOD/Lecturer(SG)	Sr. Lecturer	Lecturer	Associates/Asstt. Lecturer, if any
Teaching					
Research					
Administration					
Institute/					
Polytechnic Dev.					
Guidance &					
Counselling					
Consultancy					
Training &					
Placement					
Any other					

3.6 Details of Faculty (name, qualifications and experience etc):

Name	Qualifications	Total Experience	Total teaching experience	Date of appointment	Level of appointment*	Present scale & date from which given	Basic pay as on date	Total emoluments

* Lecturer, Sr. Lecturer, HOD/Lecturer (S.G.), Principal, others if any.

3.7 Please state whether all the existing faculty has been recruited as per procedure, experience & qualifications prescribed by the AICTE for Polytechnics (Diploma Programmes).

3.8 Please state what percentage of teaching faculty members is being paid as per the AICTE pay scales for the last 2 academic years.

3.9 Please give details of service benefits such as LTC, medical reimbursement, housing, schooling for children, etc. given to faculty members.

3.10 Retirement and premature-retirement benefits given to faculty members.

4.0 COMPUTER HARDWARE & SOFTWARE FACILITIES

Please give details of the existing facilities (number of terminals, type of computers) and staff (level and number of staff other than teaching staff).

5.0 LIBRARY FACILITIES.

5.1 Books

Category	Total No. of titles acquired during the past 3 years.	Total No. of volumes acquired during the past year	Total No. of volumes in the library on date
----------	---	--	---

(a) Text Books

(b) Reference books

(c) Encyclopaedia

(d) Others

5.2 Periodicals :

Particulars	No. of periodicals subscribed to presently
(a) Technical	
(b) Non-Technical	
(c) Others	

6.0 LABORATORIES

Department	Names of various Laboratories for each Department	Total investment on equipment and instruments in the last 3 years.
Electronics Engg.	Electronics	Rs. 06.00 lakhs
Electrical-Engg.	Power Engg.	Rs. 04.00 lakhs

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

Please attach a list of equipment costing Rs. 5,000/- or more at current prices for each laboratory.

6.1 WORKSHOP

Department	Names of various Shops	Total investment on equipment and instruments in the last 3 years.
Mechanical Engg.	Carpentry & Pattern Making	Rs. 05.00 lakhs
Electrical Engg.	Electrical & Electronics	Rs. 03.00 lakhs

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

Please attach a list of equipment costing Rs. 5,000/- or more at current prices for each shop.

7.0 Please attach a copy of the curriculum followed by the Institution alongwith the teaching scheme and the examination scheme.

8.0 PLINTH AREA (SQM) :

Type of Construction	Instructional Building	Administrative Building	Amenities	Hostels	Residences	Total Area
(a) RCC						
(b) Shed						

Give a layout of buildings on the plot of land available with the Institution.

Note: Please attach clear proof of the following :

- Use of building for institutional purposes.
- Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building.
- Completion/possession certificate of the buildings.
- Clearance of Urban Development Authority.

9.0 LAND AVAILABILITY (SQM) :

Academic and Administration	Play Grounds	Hostels	Staff Quarters	Others	Total
-----------------------------	--------------	---------	----------------	--------	-------

Please attach very clear proof of land possession in the name of the Institution/Trust, land use clearance and the type of guarantee that the indicated land is available for the use of the Institution only and is not shared with any other institution/activity. Please also indicate if the land area is in one plot or more.

10.0 CONSULTANCY, SPONSORED RESEARCH, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, ETC. DURING THE LAST 3-YEARS.

10.1 Give details of consultancy assignments and total earnings alongwith names of client organizations and duration and title of each assignment, total earnings etc.

10.2 Number of faculty sponsored till date for improvement of academic qualifications, teaching skills, etc.
Please give names of the faculty, designation, name of the qualifications added/type of skills improved etc

10.3 Number of faculty sponsored till date to attend conferences and other professional meetings, within and outside the country, and the total amount spent for this purpose.

Please give name of the faculty, designation, name of the conference/meetings attended with place, date etc.

10.4 Number of continuing engineering education programmes including Community Polytechnic conducted by your institution, and the total number of participants.

Please give name of the programme, date and duration, number of participants, etc.

11.0 FINANCIAL

11.1 Total Expenditure during the last 2 academic years in category of Recurring Expenditure and Non-recurring Expenditure.

11.2 Sources of Financial Support:

Source	Recurring Exp.	Non-Recurring Exp.
Ministry of HRD (Direct receipt)		
State Government		
Other Central/State Govt. sources		
Private Trust		
Donations		
Student Fees		
Internal revenue generation		
Others (please specify)		
Total		

11.3 State the total annual fee (including tuition, library, laboratory, etc. but excluding hostel fee and food charge charged per student during the preceding 2-years :

12.0 AICTE Approvals Received during 1990-91, 91-92 & 92-93:

Name of the course(s)/Institutions	Annual Intake	Year of Starting	AICTE approval No. &
------------------------------------	---------------	------------------	----------------------

13.0 Information on the proposed Course(s)/Additional Intakes :

13.1 Academic programmes proposed to be introduced :

Course titles	Duration (yrs)	Intake	Proposed Year of commencement	Entry level
Electronics Engg.	3	60	1993-94	10+
Computer Science & Engg.	3	60	1993-94	10+
Mechanical Engg.	3	60	1993-94	10+

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

13.2 Please attach copies of the curriculum and syllabi to be followed by the Institution for each of the proposed courses alongwith the teaching and examination schemes.

13.3 Academic programmes in which increase in intakes is proposed :

Course titles	Sanctioned intake	Proposed increase in intake	Duration (yrs)	Year from which increase proposed	Entry level
Electronics & Commn. Engg.	60	15	3	1993-94	10+
Mechanical Engg.	60	15	3	1993-94	10+
Civil Engg.	60	15	3	1993-94	10+

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

14.0 Has the proposal been supported by the concerned State Government? If yes, please attach a copy of the State Govt's letter thereof.

15.0 Has the willingness of the affiliating body (concerned University to affiliate the proposed course(s) subject to AICTE approval been obtained? If yes, please attach a copy of the willingness letter.

16.0 FINANCES :

16.1 Whether a corpus fund/endowment fund has been created and mortgaged with the State Government? If so, attach proof thereof.

16.2 Give details of funds available in hand for meeting the recurring and non-recurring expenditures for introduction of course(s)/increase in intakes, duly supported with copies of latest bank statements, FDRs, etc. Pro-missory notes are not acceptable.

16.3 Additional Fund Requirement for the proposed additional courses/intakes, if any :

Particulars	Amount, Rupees
Recurring	
(a) Salaries of teaching employees	
(b) Salaries of non-teaching employees staff	
(c) Scholarships	
(d) Expenditure for travel	
(e) Other recurring expenditure	
Total of Recurring :	
Non-Recurring	
(a) Additional building	
(b) Additional equipment	
(c) Others	
Total of Non-Recurring	

16.4 Please indicate how the additional funds as in 16.3 would be mobilised over the next 3 to 4 years. Please attach authenticated documents to support your statement.

17.0 Justification

17.1 Are one or more of the proposed courses*/courses in which increase in intakes proposed, already being conducted in one or more institutions in the District in which the college is located? If so, please give names of the institutions, the course (s) being conducted alongwith the respective sanctioned annual intakes.

Institution	Course	Sanctioned intake

Note: *Please strike out whichever is not applicable.

17.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in each of the proposed course(s)*/course(s) in which increase in intakes are proposed :

Course title	Total Intake

Note: *Please strike cut which ever is not applicable.

17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give justification for introduction of the proposed disciplines and intakes/ increase in intakes in existing disciplines vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario and potential for self-employment.

17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as increase in intake, adding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal :

Course title	Full-time/part-time/ continuing	Proposed intake	Year of commencement

18.0 Additional Infrastructure

18.1 In case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, please give the plinth area (sqm.) as below :

Type of construction	Instructional Building	Administrative Building	Amenities	Hostel	Residences	Total area

(a) RCC

(b) Shed

18.2 In case additional buildings space are to be constructed for the proposed course(s) additional intakes give yearwise plan of construction of additional instructional areas. (classrooms, tutorial rooms, drawing halls, etc.) staff rooms, etc. amenities (common room, sports room, etc.)

Canteen, etc.), and residential areas (students hostel, staff quarters, etc.), as per the AICTE norms & standards. Give a layout of additional buildings with respect to existing buildings on the plot of land available with the Institution.

Space title	Plinth area to be constructed during the				
	Period prior to commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake
Class rooms					
Tutorial rooms					
Drawing halls					
Laboratories					
Workshops					

Space titles are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

18.3 Please indicate yearwise estimates of expenditure on construction of additional buildings as at 18.2.

Space title	Expenditure for construction of additional space areas during the				
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake
Class rooms					
Tutorial rooms					
Drawing halls					
Laboratories					
Workshops					
.....					

Space titles are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

18.4 Laboratories: Please give yearwise action plan of establishment (i.e. equipping and commencing the use of the laboratories) of various laboratories alongwith cost estimates for procurement of equipments, instruments, fixtures and fittings, furnitures etc. for introduction of additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s):

Name of Laboratory	Expenditure for establishment of various laboratories during the				
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s).

18.5 Workshops: Please give yearwise action plan of establishment of additional workshops, if any, along with cost estimates for procurement of equipments, tools, machinery, furniture, fixtures and fittings introduction of additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s) :—

Name of the Workshop	Expenditure for establishment of various workshops during the				
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s)

18.6 Computing facilities: Please give yearwise action plan of procurement of hardware and software items, furniture, fittings and fixtures etc. for strengthening of Computer Centre to introduce additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s) along with cost estimates.

Facilities	Expenditure for establishment of various Computer facilities during the				
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the Course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s).

18.7 Library: Please give yearwise action plan for procurement of additional stock of books, (Text books, reference books, encyclopedia, others), journals to be subscribed (National and International), furniture, fixtures & fittings etc. along with cost estimates.

Item	Expenditure for procurement of Library books/periodicals during the				
	Period prior to Commencement to course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

Text books
Reference books
Journals

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s).

[Part III-Part 2]

भारत का राजपत्र : प्रकाशित

18.8 Teaching faculty:—Please give action plan for recruitment of additional teaching faculty (Head of Department/ Lecturer (S.G.), Senior Lecturer, Lecturer). Kindly also indicate number of each category of staff, if already available.

Faculty cadre	No. already available	Type of faculty (part-time/ full-time/ visiting)	No. to be recruited during the				
			Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

18.9 Technical Supporting and other Staff : Please give annual action plan of recruitment of additional technical supporting and other staff like workshop Instructor, Farm Instructor, Lab Asstt., Librarian, Workshop Attendant, Library Attd. etc. Kindly also indicate number of each category of staff, if already available.

Faculty cadre	No. already available	Type of faculty (Part-time/ full-time/ visiting)	No. to be recruited during the				
			Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

18.10 Details of additional teaching faculty, if any already available

Name	Qualifications	Total Experience	Total teaching experience	Date of appointment	Level of appointment	Present pay scale & date from which given	Basic pay is on date	Total emoluments
------	----------------	------------------	---------------------------	---------------------	----------------------	---	----------------------	------------------

*Lecturer, Sr. Lecturer, HOD/Lecturer (S.G), Principal, others if any.

18.11 List the yearwise major equipments to be provided in various laboratories, workshops along with brief specifications in the format given below for introduction of course(s)/ increase in intake in existing course(s)/.

Laboratory/Workshops	Name of Equipment	Brief Specification	Quantity to be provided			
			I yr	II yr	III yr	IV yr

19.0 Please state whether a regular Municipal supply of drinking water and water required for labs/workshop etc. is available. If not, please explain the alternate arrangements.

20.0 Please state whether adequate and regular electricity supply is/would be available and attach supportive documents.

What shall be the standby arrangements in case of shut downs/break downs?

21.0 Please state transport arrangements from city to the Institution in case the Institution is not located within the Municipal limits.

22.0 Technical Institutions run/managed by the Trust/Society :

Name of Institution	City and State of Location	Course conducted	Whether AICTE approved or not
---------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

23.0 Whether the proposer has any court case V/s the State Government or the AICTE? If yes, please give brief details.

24.0 Please attach an undertaking on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.

25.0 Certified that :

- All the physical deficiencies stated in the last approval letter have been removed.
- The Governing Body has been constituted as per the AICTE laid down guidelines.
- The AICTE scales of pay have been granted to the teaching faculty and other staff.
- The admissions are made on merit and as per AICTE admission guidelines and no capitation fee or donation of any kind is charged for admission.
- The teaching faculty and staff have been recruited as per qualifications, experience laid down by the AICTE.
- The tuition and other fee are charged within the overall criteria prescribed by the AICTE.
- The reservations are provided for staff and students as per policy of the State Govt.
- The accounts of the Institute are audited by the Chartered Accountant.
- No new course has been stated (since the last approval by AICTE) without the approval of the AICTE.
- The intakes in any of the AICTE approved courses has not been increased beyond the approved intake.

Name and signature of the
Chairperson/Secretary of the
Trust/Society, etc.

Name and Signature of the
Head of the Institution

Sd/-

(Y.N. CHATURVEDI) Member Secretary
All India Council for Technical Education
New Delhi.

Dated : 31st October, 1994